लोक-सभा

शुक्रवार,
९ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बानिहाल सुरंग परियोजना

*१५९७. **श्री राधा रमण :** क्या **परिवहन** मंत्री १६ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और श्रीनगर के बीच बानिहाल सुरंग निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खुदाई का काम प्रारम्भ हो गया है। उत्तर और दक्षिण की ओर क्रमशः ९०० और ११०० फुट लम्बे सूराख भी किये गये हैं।

(ख) काम इस प्रकार निश्चित किया गया है कि सुरंग की एक नाली ३० नवम्बर, १९५६ तक पूरी हो जाये और सारा काम ३० अप्रैल, १९५८ तक पूरा हो जाये। अब तक इसी क्रम से कार्य चल रहा है।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान परियोजना मूलरूप में नहीं है और यदि हां, तो उसमें क्या सुधार किये गये हैं ?

श्री अलगेशन : यह परियोजना मूल रूप में नहीं है। प्रारम्भ में एक ही नाली की सुरंग की योजना थी किन्तु अब दो नालियों का निश्चय किया गया है; और इस में अपेक्षतया कम खर्च लगेगा।

श्री राधा रमण : जब काम पूरा हो जायेगा तो वह कुल व्यय के अनुमान के अनुसार ही होगा अथवा इससे अधिक होगा ?

श्री अलगेशन : यह भविष्य का विषय है। मेरे विचार से अनुमान के अनुसार ही व्यय होगा।

रेलवे दुर्घटनायें

*१५९८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर इन बातों का विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ जुलाई १९५५ के बीच जिन स्थानों पर रेलवे की भारी दुर्घटनायें हुईं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन में मृतकों की संख्या कितनी है ;

(ग) गम्भीर आघात वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) अभी तक क्षतिपूर्ति दिये गये लोगों की सख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६५**]

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से ज्ञात होता है कि कुल नौ दुर्घटनायें हुई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिये जांच समितियां नियुक्त की गई थीं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच पर विचार किया गया है, और क्या माननीय मंत्री उन समितियों की जांच का विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री अलगेशन : पहले तो केवल एक दुर्घटना के लिये प्रश्न किया जाता था किन्तु अब सारी दुर्घटनाओं के लिये प्रश्न किया गया है ।

प्रथा यह है कि जैसा भी मामला होता है उसके अनुसार प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है । यहां भी वैसा ही किया गया है और सम्बन्धित लोगों को उत्तरदायी बता कर उन पर कार्यवाही की गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी जायेगी और अभी तक केवल एक व्यक्ति को ही क्षतिपूर्ति क्यों दी गई है ?

श्री अलगेशन : उनके दावे प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन हैं । कुछ अस्वीकार किये गये हैं और कुछ विचाराधीन है । अभी तक एक को स्वीकार किया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या प्रस्ताव रखे गये हैं ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न पर अनेक समितियों ने विचार किया है और हाल ही में पुनर्विलोकन समिति ने भी कुछ सिफारिशें की हैं । उन सब को कार्यरूप में परिणित कर दिया गया है ।

तारों का पहुंचाया जाना

*१६००. **श्री इब्राहीम** : क्या **संचार** मंत्री इन बातों का विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य और द्रुतगामी (आवश्यक) तारों को ले जाकर देने में विलम्ब करने के सम्बन्ध में १९५४-५५ में बिहार क्षेत्र में की गई शिकायतों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) कितने मामलों में पूछताछ की गई थी;

(ग) कितने मामलों में डाकियों की लापरवाही पाई गई और उन्हें दण्ड दिया गया ; और

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें कोई पूछताछ नहीं की गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २३१७ ।

(ख) २२५६ ।

(ग) ९८७ ।

(घ) ६१, क्योंकि वे शिकायतें समय-सीमा के बाद में आई थीं ।

श्री इब्राहीम : क्या ये तार उन्हीं डाकियों द्वारा दिये जाते हैं जो चिट्ठी बांटते है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं । तारवाहक तार पहुंचाते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन शिकायतों की जांच विशेष शिकायत विभाग द्वारा की गई थी या किसी अन्य विभाग द्वारा ?

श्री राज बहादुर : डिवीजनों तथा सर्किलों (क्षेत्रों) में एक एक जांच निरीक्षक होता है । जहां कहीं बहुत अधिक विलम्ब होता है अथवा कोई गम्भीर कार्य-अवहेलना होती है वहां सहायक शिकायत अफसर से भी सहायता ली जाती है ।

श्री एस० एन० दास : ये आंकड़े पहले के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं प्राप्त किये गये तथा भेजे गये कुल तारों के आंकड़े के साथ इन आंकड़ों की तुलना कर सकता हूं । इस क्षेत्र में बाहर भेजे गये तारों की संख्या १६,७३,७३० थी । सब प्रकार के तारों की संख्या ६५,४९,०६८ है जबकि शिकायतों की संख्या केवल २३१७ है ।

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन

*१६०१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञों के उस दल ने, जो संयुक्त राज्य अमरीका में कृषि सम्बन्धी गवेषणा संस्थाओं तथा विद्यालय के कार्य को अध्ययन करने के लिये गया था, अपने प्रतिवेदन में सरकार को कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) उन की यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). संयुक्त दल का प्रतिवेदन सरकार को उस समय दिया जायगा जबकि इस दल के अमरीकी सदस्य भारतीय संस्थाओं का अध्ययन कर चुकेंगे ।

(ग) केवल उन के वेतन और भत्तों को छोड़कर तथा भारत में यात्रा-व्यय को छोड़ कर, भारतीय अफसरों का समस्त व्यय संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भुगता गया ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो विशेषज्ञ मंडली अमरीका गई है, उस के लोगों को किस आधार पर सेलेक्ट किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक तो इस ख्याल से कि वह लोग इस के बारे में जानकारी रखते हैं और दूसरे इस ख्याल से कि उनके वहां हो आने के बाद उन की सलाह से हम अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : इस मंडली में विभिन्न प्रदेशों से आदमी लिये गये हैं या सिर्फ केन्द्र के ही आदमी भेजे गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन में से एक तो वैस्ट बंगाल के डाइरेक्टर आफ ऐग्रिकल्चर हैं, दूसरे डाइरेक्टर, इंडियन वेटर्नेरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, यू० पी० हैं, बाकी हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अफसर हैं ।

श्री विभूति मिश्र : उस की रिपोर्ट हम मेम्बरों को कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस में ज्यादा देरी की सम्भावना नहीं है क्योंकि यह मंडली यू० एस० ए० हो आई है और सम्भव है कि उनकी रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या उस समिति के काम में, जो संयुक्त राज्य अमरीका गई, और कृषि मंत्रालय के दल में जो रूस गया एकसूत्रता लाने और पुनर्विलोकन करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब उनके द्वारा प्रतिवेदन दे दिये जायेंगे तो हम उन की अवश्य जांच करेंगे ।

श्री एस० एन० दास : उस दल ने जिन संस्थाओं को देखा उनकी संख्या कितनी है और उन्होंने किन विषयों का अध्ययन किया?

डा० पी० एस० देशमुख : वे विषय मुख्यत: इस प्रकार हैं :—भारतीय तथा अमरीकी कृषि गवेषणा संस्थाओं तथा विद्यालयों का संगठन और कार्य कैसे चलता है । भारतीय गवषणा तथा शिक्षा सुविधाओं में जो न्यून-

तायें हैं उन्हें दूर करने के लिये वे सिफारिशें करेंगे । जिन संस्थाओं को उन्होंने देखा है उनकी सूची बहुत लम्बी है और अभी वह मेरे पास नहीं है ।

उर्वरक

*१६०२. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २० अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य घटाने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष किसानों को उर्वरक किस दर पर दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय उर्वरक का उत्पादन तथा विक्रय मूल्य कितना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : किसान को इस समय १२ रुपये ११ आने प्रति मन की दर से दिया जाता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कारखाने में उत्पादन मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी है वह बता दिया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठलराव : उन्होंने केवल एक ही आंकड़ा बताया है ।

श्री नानादास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि सम्बन्धी मूल्य गिर रहे हैं और कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही केन्द्रीय सरकार से उर्वरकों का मूल्य कम करने के लिये कहा है, क्या सरकार अन्य उत्पादकों के सामने एक आदर्श रखने के लिये उर्वरकों का मूल्य कम करेगी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : उर्वरकों को समूहित मूल्य पर बेचा जाता है जिसे कम करने पर हम विचार कर रहे हैं किन्तु कोई आर्थिक सहायता देने का इरादा नहीं है ।

श्री नानादास : सरकार इस विषय में अन्तिम निश्चय कब तक करेगी ?

श्री ए० पी० जैन : हम शीघ्रातिशीघ्र निश्चय करने की चेष्टा कर रहे हैं । मेरा विचार है कि बहुत शीघ्र यह काम होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन रासायनिक खादों की कीमतों, उनकी उपादेयता और प्रचार के सम्बन्ध में मैंने उत्पादन मंत्री से प्रश्न पूछा था कि इसके लिये क्या क्या साधन अपनाये गये हैं । उन्होंने कहा था कि इस प्रश्न को खाद्य मंत्री से पूछना चाहिये । तो मैं जानना चाहता हूं कि देहातों में इसके प्रचार के लिये सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अच्छी फसल उगाने के लिये और अच्छी काश्तकारी के लिये जो सारे हमारे प्रबन्ध हैं वह इसी वास्ते हैं कि इस की ज़्यादा खपत हो और इस की मांग भी हो ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : सिन्द्री उर्वरक कारखाना तो लाभ पर चल रहा है । क्या उस के लाभ की सीमा निश्चित कर दी गई है ताकि वे अपने लाभ को उत्पादन की ओर जोड़ सकें जिससे कृषकों को न्यूनतम मूल्य पर उर्वरक प्राप्त हो सकें ।

श्री ए० पी० जैन : सिन्द्री उर्वरक कारखाना निरन्तर अपने दाम घटा रहा है और दाम ३६५ रुपये से घट कर २७५ रुपये हो गये हैं ।

आमों का निर्यात

*१६०३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अभी तक निर्यात किये गये आमों का परिमाण कितना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : डिब्बों में बन्द कर के भेजे गये आमों के पृथक् आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । चालू वर्ष में अभी तक निर्यात किये गये आमों का परिमाण लगभग १०० टन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या निर्यात किये जाने वाले डिब्बों में बन्द आमों की जांच के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है । इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न देश काफी मात्रा में भारतीय आम ले रहे हैं और क्या सरकार अच्छी किस्म के आम भेजने के लिये कोई प्रबन्ध करना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खराब आम भेजने के बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है ?

श्री काजरोल्कर : उन राज्यों के नाम क्या हैं जो डिब्बों में बन्द करने और निर्यात करने के लिये काफी तादाद में आमों का उत्पादन कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इस विषय में एक दूसरे की स्पर्धा करें । प्रत्येक को अपने आमों पर गर्व है । बम्बई को देखिये, आंध्र को देखिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : बनारसी लंगड़े के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

श्री डी० सी० शर्मा : होशियारपुर के सम्बन्ध में ?

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

*१६०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये नये डाकघर खोलने की शर्तों में ढील देने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने समय समय पर यह घोषित नहीं किया है कि गवर्नमेंट का लक्ष्य पांच वर्ष या दस वर्ष के अन्दर प्रत्येक ग्राम में एक डाकखाना खोलने का है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या गवर्नमेंट नियमों में कुछ सुधार करने का भी विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : जो घोषणा की गई है वह इससे कुछ भिन्न है । घोषणा यह की गई थी कि जहां १९५१ में १५,५३८ व्यक्तियों के ऊपर एक डाकखाना था और २७ सक्वेयर मील के बीच में एक डाकखाना था, इसको घटा कर ७५०० व्यक्तियों के पीछे एक डाकखाना खुल सके और इसी तरह से प्रति डाकखाने के लिए जो क्षेत्रफल है उसको भी कम किया जा सके ।

श्री भक्त दर्शन : इस समय जो नियम है उसके अनुसार कम-से-कम २००० आबादी होनी चाहिये और दो मील से अधिक का कोई

गांव डाकखाने के बगैर नहीं रहना चाहिये । क्या गवर्नमेंट इस सुझाव पर भी विचार कर रही है कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १००० की आबादी और एक मील का क्षेत्रफल हो और साथ में हानि का जो एमाउंट ७५० है उसे घटाकर ५००) कर दिया जाए ? क्या इस पर विचार हो रहा है ?

श्री राज बहादुर : अगर लास की लिमिट को ७५०) से घटा कर ५००) कर दिया जाए तब तो डाकखाने और भी कम हो जायेंगे । अगर इसे बढ़ा कर १००० करें तब और डाकखानों के खुलने की उम्मीद हो सकती है । यह निश्चित है कि जहां हमारा लक्ष्य यह था कि २ मील के दायरे में बसने वाले ग्राम समूहों के लिए (यदि उनकी आबादी २,००० है तो) एक डाकखाना हो उसके दायरे में तबदीली करें, इस पर विचार हो रहा है लेकिन अन्त में क्या फैसला होगा यह कहना मेरे लिए समय से पूर्व होगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : आजकल एक गांव से डाकघर अधिक-से-अधिक कितनी दूर रखने का विचार किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : तीन मील ।

बिजली से चलने वाले रेल के डिब्बे

*१६०५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १ सितम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न सख्या १७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक किन्हीं भारतीय कारखानों ने बिजली से चलने वाले रेल के डिब्बे बनाना प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस काम के लिये उनमें से किसी को आर्डर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स जेसप एण्ड को०, लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ग) जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी इलैक्ट्रिक कोचिज़ बनाने का आर्डर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : १०४ ।

डा० राम सुभग सिंह : पूर्वी रेलवे पर बिजली से गाड़ियां चलाये जाने के लिए वर्तमान योजनाओं के अनुसार कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी ?

श्री अलगेशन : जब पूर्वी रेलवे पर बिजली से गाड़ियां चलाई जायेंगी तो इन डिब्बों से काम नहीं चलेगा । अतः हमने जर्मनी और अन्य देशों को भी आर्डर दिये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या दूसरे देशों में भी ऐसे डिब्बे बनाने के आर्डर्ज़ दिये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : यही तो मैं कह रहा हूं । हमने ४९ डिब्बों के लिये जर्मनी और स्विटज़रलैण्ड को आर्डर दिये हैं ।

श्री एस० एन० दास : इस समवाय की पूंजी पूर्णतः भारतीय है अथवा विदेशी ?

श्री अलगेशन : मुझे पता चला है कि वह पूर्णरूपेण भारतीय है ।

स्पार्क अरेस्टर्स (चिंगारी रोकने की जाली)

*१६०६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलों के स्टीम इंजिनों में, विशेष रूप से उनमें जो कपास और जूट के क्षेत्रों में चलते

हैं, स्पार्क अरेस्टर्स की व्यवस्था करने का कोई विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नीचे दिये गये इंजिनों में चिंगारी-रोक (चिंगारी रोकने की जाली) लगाने का नियम है :—

(१) चालू लाइनों पर चलने वाले भाप के सभी नये इंजिन ;

(२) जहां कहीं सम्भव है सवारी गाड़ियों में चलने वाले इंजिन ; और

(३) आर्डनेन्स फैक्टरियों और इसी तरह की दूसरी जगहों में चलने वाले इंजिन ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या उन क्षेत्रों में जहां पर ज्यादातर जूट और रूई पैदा होती है स्पार्क अरेस्टर्स स्टीम इंजिनों में लगाये जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी और जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है । इस पर भी विचार किया जाएगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि छोटी लाइनों पर उनकी चिंगारियों के कारण खेतों में आग लग जाती है और इसकी रोकथाम करने के लिए क्या कुछ आदेश रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जितने भी नए इंजिन हैं उनमें से हर इंजिन में स्पार्क अरेस्टर्स लगाए जायेंगे । पुराने इंजिनों के सम्बन्ध में कुछ विचार करना पड़ता है कि कब उनका समय खत्म हो रहा है और जल्दी खत्म हो रहा हो तो फिर उसमें न लगायें । लेकिन इस बारे में भी जांच हो रही है कि उनमें से भी कितनों में स्पार्क अरेस्टर्स लगाए जाएं ।

मकान बनाने के लिये ऋण

***१६१०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कुल कितना धन निर्धारित किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, ये ऋण डाक-तार कर्मचारियों की गृह-निर्माण-सहकारी समितियों को ही दिये जाते हैं, सीधे प्रत्येक कर्मचारी को नहीं ।

(ख) १० लाख रुपये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : अब तक कुल कितने कर्मचारियों ने ऋण के लिये प्रार्थना की है, और कितने प्रार्थना पत्र मंजूर हुए हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है, कुछ ही प्रार्थना पत्र मंजूर हुए हैं और आर० एम० एस० सहकारी संस्था, लखनऊ, से ब्याज रहित ४ लाख रुपये के ऋण की प्रार्थना आई थी । वह स्वीकार नहीं की गई है, क्योंकि उस संस्था की स्थिति इस योग्य नहीं थी ।

श्री नानादास : इनमें से प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम कितनी राशि दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : यह बात सहकारी इकाई में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा संस्था विशेष की आवश्यकताओं और हमारे पास उपलब्ध निधि पर निर्भर है ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को अधिकतम कितना मिल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है, यदि मैं ठीक समझ सका हूं तो ये ऋण सहकारी संस्थाओं को दिये जायेंगे, व्यक्तियों को नहीं ।

श्री एस० एन० दास : इस वर्ष के लिये निर्धारित धन में से कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

श्री राज बहादुर : डाक तथा तार सहकारी गृह-निर्माण संस्था, मद्रास के लिये ७$^{१}/_{२}$ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं और २$^{१}/_{२}$ लाख रुपये डाकीय सहकारी गृह-निर्माण संस्था, बम्बई के लिये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने प्रतिशत ब्याज लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : ब्याज की दर ४$^{१}/_{२}$ प्रतिशत वार्षिक है ।

खनिजों पर भाड़े की दरें

***१६११. श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **परिवहन** मंत्री ८ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी जहाजों के मालिकों ने खनिजों के भाड़े की दरों पर अधिभार लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण बताये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लोहा और मैंगानीज अयस्क पर भाड़े की दरें १५ जून, १९५५ से ५ शिलिंग बढ़ा दी गई हैं । इस वृद्धि का "अधिभार चेतावनी" से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : नौवहन समवायों ने भाड़ा बढ़ाने और अधिभार लगाने का क्यों विचार किया है ?

श्री अलगेशन : दोनों भिन्न भिन्न हैं । यहां भाड़े की दरों में वृद्धि से हमारा सम्बन्ध है । वह समय समय पर हो रहा है । यह सम्मेलन लाइनज़् द्वारा किया जा रहा है और सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है । किन्तु, इस मामले में, मैं समझता हूं, कि यह ठेके प्रणाली के निर्यातक और कभी कभी के निर्यातकों द्वारा ली जाने वाली दरों के बीच तक प्रकार का अन्तर रखने के लिये किया गया था । अतः ठेके प्रणाली के निर्यातकों की दर कुछ बढ़ा दी गई थी; लोहा अयस्क और मैंगानीज अयस्क पर भाड़े की दर को ५ शिलिंग बढ़ाने के लिये यही कार्यवाही की गई थी ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या पोत-स्वामियों, विशेषतः विदेशी पोत स्वामियों, की यह आम शिकायत रही है कि पत्तनों पर सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप वहां पहुंचने वाले जहाज़ों को देर होती है और इसीलिए उन्हें दर बढ़ानी पड़ती है तथा अधिभार लगाना पड़ता है ?

श्री अलगेशन: उन्होंने अधिभार लगाने का एक यह कारण भी बताया था । यह इसका दूसरा पहलू है और हमने पत्तनों के इस कार्यकरण की स्थिति को सुधारने की कार्यवाही की है तथा यह अधिभार स्थगित किया गया है ।

हैदराबाद को सीधी गाड़ी

***१६१२. श्री पी० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हैदराबाद और मद्रास के बीच सीधी गाड़ी सेवा के लिये और हैदराबाद तथा दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों में सीधे जाने वाले अधिक डिब्बे लगाने के बारे में सरकार के पास कुछ अभ्यावेदन आये हैं ;

(ख) क्या हैदराबाद को मद्रास, दिल्ली और बम्बई से मिलाने वाली सीधी गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्री यातायात की भीड़ को कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६६]**

श्री पी० रामस्वामी : दिल्ली से मद्रास जो ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस जाती है उसका एक डिब्बा बलहारशाह पर अलाहिदा कर दिया जाता है और उसके बाद काज़ीपेठ पर दो डिब्बे अलाहिदा कर दिए जाते हैं । इस तरह उस गाड़ी से तीन डिब्बे निकाल दिये जाते हैं । अगर हैदराबाद से मद्रास जाने के लिए तीन डिब्बे जोड़ दिए जायें और वापिसी पर भी ऐसी ही व्यवस्था की जाये, तो मैं समझता हूं कि मद्रास और हैदराबाद के बीच में पैसेंजर्स की भीड़ में काफी कमी हो जायगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि विजयवाडा और मद्रास के बीच ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में दूसरा डिब्बा जोड़ना सम्भव नहीं है, किन्तु विजयवाडा और मद्रास के बीच जनता एक्सप्रैस में और डिब्बे जोड़ने का विचार किया जा रहा है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्योंकि हैदराबाद से जाने वाली जनता गाड़ी के साथ जोड़ी जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है, जैसा कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस के लिये तो क्या सरकार हैदराबाद स चलने वाली जनता गाड़ी के साथ जुड़ जाने वाली किसी गाड़ी को चलाने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : जी हां, विवरण में इसका वर्णन किया गया है ।

श्री हेडा : मैं समझता हूं कि यह जनता गाड़ी जो अन्य जनता गाड़ियों से अधिक सफल है, केवल सप्ताह में तीन दिन चलती है । क्या इसे दैनिक गाड़ी बनाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : हम इसे दैनिक एक्सप्रेस बनाना चाहते हैं, किन्तु इस समय हमारे पास इंजिनों, डिब्बों आदि की कमी है ।

बम्बई के डाक घर

*१६१३. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेटर (वृहत्तर) बम्बई और थाना ज़िलों के बहुत से डाकघरों में अपर्याप्त स्थान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से डाकघरों में, मजबूत कमरे नहीं हैं और सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तियों की रक्षा करने के लिये कोई उचित रक्षा व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख)जी, नहीं । विभाग की इमारतों में साधारणतया मजबूत कमरे बनाये जाते हैं. किन्तु स्थान की कमी के कारण, जहां ऐसा नहीं हो सकता और किराये की इमारतों में, दीवारों में मजबूत अलमारियां (तिजौरियां) लगाने अथवा फर्श में पेटियां (चैस्ट) गड़वाने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया जाता है । जहां अनिवार्य होता है, वहां सरकारी म्पत्ति की रक्षा के लिये रात को पहरा लगाया जाता है ।

(ग) डाकघरों में स्थान की कमी को पूरा करने के लिये, विभाग ने भूमि अधिग्रहण

करने और इमारतें बनाने के लिये पहले ही एक पर्याप्त व्यापक कार्यक्रम आरम्भ कर रखा है । डाकघरों में रक्षा का प्रबन्ध पहले से ही है ।

श्री गिडवानी : अभी भी कितने डाकखाने किराये के मकानों में हैं ? जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सरकार का कार्यक्रम है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे अपने डाकघरों का निर्माण कार्यक्रम कितने वर्षों में पूरा हो जाएगा ।

श्री राज बहादुर : ग्रेटर (वृहत्तर) बम्बई और थाना जिले में विभागीय डाकघरों की १५ इमारतें हैं । वहां भी हमारे पास स्थान की कमी है और वहां इन दो क्षेत्रों में किराये की ७० इमारतें हैं । वहां भी हमारे पास स्थान की कमी है ।

श्री गिडवानी : सरकार अपने डाकघर कब बनाएगी और वह कितनी अवधि के अन्दर यह काम करेगी ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास नई इमारतों के निर्माण का निश्चित कार्यक्रम है, किन्तु उसकी पूर्ति स्थानों की उपलब्धि, स्थानों के अधिग्रहण में लगने वाले समय, प्राक्कलनों की तैयारी के लिये समय, तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इमारतों के निर्माण में लगने वाले समय, आदि पर निर्भर है, और निश्चित समय बताना मेरे लिये कठिन है, जिसके अन्दर यह समस्त कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा या पूरा किया जायेगा ।

श्री गिडवानी : क्या इन डाकघरों में काम करन वाले कर्मचारियों को रहने का स्थान देने के लिये भी सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ?

श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में नियम है । कई मामलों में सम्बद्ध सब पोस्ट-मास्टर या पोस्ट-मास्टर को स्थान दिया जाता है ।

खानों का निरीक्षण

***१६१५. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री २६ जुलाई, १६५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४ में दूसरी और तीसरी पारियों के अन्तर्गत खानों के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों का प्रतिशत कम होने का क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार खानों के मुख्य-निरीक्षक को इन पारियों के अन्तर्गत अधिक निरीक्षण करने का अनुदेश देने का विचार करती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि दूसरी और तीसरी पारियों में पहली पारी की अपेक्षा बड़ी दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) निरीक्षक कर्मचारियों की कमी ।

(ख) सभी पारियों में निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने के बारे में पहले ही निर्णय किया गया है और अपेक्षित अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पारसिया खान दुर्घटना की जिस जांच न्यायालय ने जांच की थी उसने सिफारिश की थी कि साम्राज्यिक आयोग जिसने इंगलिस्तान में कोयले की खानों की रक्षा के प्रश्न का अध्ययन किया था, के समान एक उच्च शक्ति सम्पन्न आयोग स्थापित किया जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री आबिद अली : मामला हमारे विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब से ये दुर्घटनायें हुई हैं, क्या तब से निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री आबिद अली : मैं ठीक संख्या बताने में असमर्थ हूं, किन्तु कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि अवश्य की गई है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : गत वर्ष के अन्दर कितने प्रतिशत कोयले की खानों का निरीक्षण नहीं हुआ है ?

श्री आबिद अली : कुछ खानों का निरीक्षण नहीं हुआ था, किन्तु हम आशा करते हैं कि भविष्य में सब खानों का वर्ष में केवल एक बार नहीं, बल्कि एक से अधिक बार, निरीक्षण किया जायेगा ।

श्री पी० सी० बोस : भूतपूर्व राज्यों की सब खानों के केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में आ जाने के उपरान्त क्या निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो कितने निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं और कितने निरीक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है ?

श्री आबिद अली : मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं ठीक संख्या बताने में असमर्थ हूं परन्तु निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है ।

श्री नानादास : हमारे पास बहुत कम निरीक्षक हैं, इस दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कर्मचारियों को बड़े शहरों और क़स्बों में रहने की बजाय खान के क्षेत्रों में रहने का अनुदेश दिया है ?

श्री आबिद अली : निरीक्षक यथासंभव खानों के क्षेत्रों के समीप रहते हैं । १९५४ में ६,४२० निरीक्षण हुए थे । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि निरीक्षणों की संख्या बहुत कम थी ।

आइपोमिया कर्निया

*१६२०. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आइपोमिया कर्निया" के पौधे हरी खाद और कम्पोस्ट के लिये उपयुक्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भेड़, बकरी, भैंस आदि जैसे घरेलू पशु उसे नहीं खाते हैं ;

(ग) क्या इस बात की जांच की गई है कि ये पौधे इन घरेलू पशुओं के लिये हानिकारक हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन पशुओं पर इन पौधों के प्रभाव की जांच करने का विचार करती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इन पौधों से पशुओं को हानि पहुंचाने की कोई शिकायत नहीं मिली है और इस बारे में कोई भी जांच करने का ख्याल नहीं है ।

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य

*१६२२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च, अगिया घास का तेल, इलायची, और अदरक आदि निर्यात की जाने योग्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के बोने वालों को, जिनके मूल्यों में इस समय बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता रहता है, स्थायी तथा अच्छे मूल्य दिलवाने की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने की कोई योजना तयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का मोटा ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). इस उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है तथापि सहकारी विपणन, मालगोदाम और ऋण के लिए एक योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए बनाई गई है, जो अपरोक्ष रूप से वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति करेगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आने के कारण जो १९५१ और १९५२ के निम्नतम मूल्यों से आधे मूल्य ही रह गए हैं, कृषि में अन्तर्ग्रस्त बहुत से हितों की बहुत अधिक हानि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें समस्या की पूरी जानकारी है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके द्वारा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आगामी वर्षों में जारी नहीं रहेगा ताकि कृषक लोग एक निश्चित ज्ञात आय पर अवलम्बित रह सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, कुछ परिस्थितियों म हमने मूल्य बढ़ाने में कार्यवाही की है किन्तु आपका प्रश्न यह था कि क्या हमारे पास दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई योजना है जिसका उत्तर मैंने नकारात्मक दिया था।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने उपमंत्री के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की है जो मूल्यों के उतार-च ाव के प्रश्न पर विचार करेगी, जो समय तथा स्थान की दृष्टि से मूल्यों को स्थायी बनाने के उपायों का भी सुझाव देगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार को विदित है कि मूल्यों का यह उतार-चढ़ाव निर्यातकों के अनुमानों का परिणाम है, जिनमें से अधिकतर विदेशी एकाधिपत्य के पंजे में हैं ?

श्री ए० पी० जैन : यह समिति के सामने रखे हुए प्रश्नों में से एक प्रश्न होगा।

श्री पुन्नूस और श्री टी० बी० विट्ठल राव खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : श्री विट्ठल राव एक प्रश्न पूछेंगे।

श्री पुन्नूस : क्या प्रश्न मेरे नाम में भी है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई तर्क-वितर्क नहीं होना चाहिए।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मूल्य उतार-चढ़ाव जांच समिति इन उल्लिखित वस्तुओं पर भी विचार करेगी ? जहां तक मैं जानता हूं, यह केवल खाद्यान्नों के लिए है।

श्री ए० पी० जैन : अनुपूरक प्रश्न भी खाद्यान्नों के बारे में ही था।

अन्न भांडार (फीरोजपुर)

***१६२३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फीरोजपुर में सरकारी अन्न भांडार की दशा बिगड़ी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि गोदामों में संग्रहीत अन्न में कीड़े लगे हुए हैं और कंकड़ मिले हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास उस अन्न के बारे में कोई शिकायत आई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) ज्योंही भांडार में अनाज में कीड़े लगने के लक्षण दिखाई पड़े, उसे धुआं दिया गया और साफ किया गया और इस प्रकार उसके दोष दूर कर दिये गये। उस में कंकड़ नहीं हैं।

(ग) कीड़े लगने की शिकायत के अलावा और कोई शिकायत नहीं आई है।

(घ) कीड़ों को मारने और धुआं देकर अनाज साफ करने की पूरी सुविधायें वहां मौजूद हैं।

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को अनाज खरीदने के लिये आर्थिक सहायता दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थानीय दूकानदारों ने इस सहायता प्राप्त गेहूं की अच्छी किस्म तो खरीद ली किन्तु लाभ कमाने के लिये उसमें बुरी किस्म मिला दी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस प्रश्न का सम्बन्ध पंजाब सरकार द्वारा खरीदे गये गेहूं से है, जबकि मूल प्रश्न केन्द्रीय भांडार के गेहूं से सम्बद्ध है। कोई अन्न सड़ा नहीं है ; हम उसे सड़ने नहीं देते और उसे साफ करके अच्छी दशा में रखते हैं।

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि जो गेहूं केन्द्रीय सरकार के व्यय पर फीरोज़पुर भांडार में संग्रहीत था या फीरोज़पुर मंडी से किसी दूसरी मंडी में ले जाया गया था उस में स्थानीय दूकानदारों ने, जिन्होंने पंजाब सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार से अन्न खरीदा, घटिया किस्म का गेहूं मिला दिया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: फीरोज़पुर कासू बेगू भांडार में हमारा १९,००० टन गेंहू जमा है। यह गेहूं हाल ही में आयात किया गया है और अच्छी किस्म का है। यह केवल तीन चार महीने पहले खरीद कर वहां रखा गया है।

यदि माननीय सदस्य पंजाब सरकार द्वारा खरीदे गये गेहूं के बारे में पूछते हैं तो मैं मालूम करूंगा कि क्या उन्होंने ऐसा खराब अनाज खरीदा है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार इस विषय में जांच करेगी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। पंजाब और अन्यत्र जहां कहीं भी हम गेहूं खरीदते हैं वह एफ० ए० क्यू० किस्म का होता है। क्रय मूल्य के अतिरिक्त खर्च के अलावा हम राज्य सरकारों को उस गेहूं को ठीक बनाये रखने के लिये भी प्रति मन कुछ रकम देते हैं। ऐसी दशा में बुरी किस्म का गेहूं खरीदने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि एफ०ए०क्यू०किस्म का गहूं ही खरीदा जाता है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या ऐसे विशेष गेहूं में कुछ प्रतिशत मिश्रण भी चलने दिया जाता है ? क्या सरकार को पता है कि फीरोज़पुर जिले में बढ़िया से बढ़िया गेहूं खरीदा गया था और मिश्रण के प्रतिशत का लाभ उठाकर ही उसमें घटिया किस्म का गेहूं मिला दिया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ तो मिश्रण होता ही है और ऐसा गेहूं एफ० ए० क्यू० किस्म में आ जाता है।

'स्काई मास्टर' विमान

*१६२४. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्काई मास्टर' विमान लेने के लिये इंडियन एअर लाइन्स कार्पोरेशन और एअर कैरियर सर्विस कार्पोरेशन, वाशिंगटन में करार हो गया है और उस पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्काई मास्टर कितने मूल्य पर खरीदे जायेंगे ;

(ग) उनके कब तक प्राप्त होने की आशा है ;

(घ) क्या उस करार में कोई दण्ड की शर्त है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २,०१५,००,००० डालर अथवा ९७ लाख रुपये की लागत के ३ स्काई मास्टर विमान, उनके फालतू पुर्ज़े और सामान खरीदने के लिये २५ जुलाई, १९५५ को करार पर हस्ताक्षर किये गये ।

(ग) १७ अगस्त को एक विमान इंडियन एअर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा ले लिया गया और शेष दो १ सितम्बर, १९५५ को लिये गये ।

(घ) और (ङ) किसी दंड की शर्त की जरूरत नहीं थी क्योंकि :—

(१) यह अल्पकालीन क्रय संविदा था;

(२) करार पर हस्ताक्षर के कुछ ही सप्ताह बाद विमान मिलने वाले थे ; और

(३) इंडियन एअर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा विमान स्वीकार करने का पत्र दिखाने पर एक हुंडी द्वारा भुगतान किया जाने को था ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि १९५३ में एअर कैरियर सर्विस कार्पोरेशन द्वारा बढ़ाये गये अत्यधिक मूल्य और विवरण की, जिनकी प्रतियां यथावत् बम्बई के एक साप्ताहिक में प्रकाशित हुई थीं, जांच इंडियन एअर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा की गई थी, और यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला और ऐसे समवाय को ऐसा आर्डर क्यों दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि इसका समवाय के पिछले इतिहास से सम्बन्ध है ।

श्री कामत : मेरा अभिप्राय यह है कि इस समवाय का नाम काली सूची में है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपकी निजी धारणा है । यहां तो प्रश्न उस करार के बारे में था जिसके अनुसार स्काई मास्टर प्राप्त हुए हैं । इससे आप के प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ?

श्री कामत : पिछले सौदे को देखते हुए उस समवाय ने भारतीय विधि का उल्लंघन किया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

श्री कामत : मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सच है कि कुछ अन्य निर्माताओं ने ऐसे ही विमानों को सस्ते दामों पर देने के लिये कहा था और यदि हां, तो वे कौन हैं और उनकी बात क्यों ठुकरा दी गई ?

श्री राज बहादुर : मेरे पास इस समय केवल एअर करियर सर्विस कार्पोरेशन के मूल्य के उद्धरण हैं जिनके साथ करार किया

गया था जो कार्यान्वित भी हो चुका है। उनके प्रति विमान का मूल्य ५,६०,००० डालर था जबकि अन्य उद्धरण ७,१५,००० डालर के थे। मेरे विचार से इससे कम मूल्य और कहीं नहीं दिया गया था और सारी बातें हमारे पक्ष में थीं।

श्री एस० एन० दास : क्या इस करार से पहले टेंडर दिये गये थे या यह कार्य बातचीत द्वारा किया गया ?

श्री राज बहादुर : यह बातचीत से तय किया गया। हमारे पास समय कम था। वायु सेवाओं और विशेषतः रात्रि सेवाओं के लिये हमें विमानों की जरूरत थी और हम चाहते थे कि कहीं से अच्छे और मज़बूत विमान प्राप्त हो सकें। हमारे सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई और वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास की सहायता से यह कार्य सम्पन्न हो सका।

श्री कासलीवाल : ये विमान प्रेशर वाले नहीं हैं। उन अन्य विमानों, जो प्रेशर वाले ह, की अपेक्षा इन स्काई मास्टरों को क्यों पसन्द किया गया ?

श्री राज बहादुर : ये विमान बड़े हैं, चार इंजिन वाले हैं और मज़बूत हैं। हमें डकोटा विमानों को बदल कर रात्रि सेवा के लिये चार इंजिन वाले नये विमानों की जरूरत थी और ये विमान सुविधा से उपलब्ध थे।

श्री जयपाल सिंह : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि इस करार में दण्ड की कोई शर्त नहीं थी। क्या अन्य विमानों की खरीद में, जो इंडियन एअर-लाइन्स कार्पोरेशन को प्राप्त होंगे, कोई दण्ड की शर्त है ?

श्री राज बहादुर : दूसरे किन विमानों में ?

श्री जयपाल सिंह : वायकर्स वायकाउण्ट में ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सुसंगत नहीं है। मूल प्रश्न केवल स्काई मास्टरों तक सीमित है।

मध्य प्रदेश में आयुर्वेद सम्बन्धी गवेषणा

*१६२५. **श्री जांगड़े** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश के जंगलों और तराई में अनेक प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार आयुर्वेदीय औषधियों तथा अन्य प्रचलित औषधि प्रणालियों में गवेषणा करने के लिये मध्य प्रदेश में एक गवेषणा केन्द्र खोलने का विचार करती है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वहां पर ऐसी एक संस्था खोलने की प्रार्थना की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी हां। लेकिन इस सुझाव पर राज्य सरकार से वस्तृत जानकारी मांगी गई है और उनके जवाब का इन्तज़ार किया जा रहा है।

श्री जांगड़े : अभी माननीया मंत्राणी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ? क्या सरकार को मालम ह कि नागपुर विश्व-विद्यालय में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए एक पीठिका रखी गयी है। क्या नागपुर विश्व-विद्यालय ने सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जो मांग हमारे पास आयी थी वह नागपुर से नहीं आयी थी। वह रायपुर में एक केन्द्र खोलना चाहते थे। उसके बारे में हमने उनसे मांग की है कि हमें बताओ कि यहां पर किस किस्म का अनुसंधान होगा, और जब उनका जवाब आ जायेगा तो उस पर सोच विचार किया जायेगा।

श्री जांगड़े : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश में दो आयुर्वेद कालिज और सैकड़ों आयुर्वेद चिकित्सालय खोले हैं, क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि उनकी दवाइयों की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाइयों का एक कारखाना खोला जाय ?

राजकुमारी अमृत कौर : दवाइयों का कारखाना खोलने की बात तो इस प्रश्न में आती नहीं। यह तो अनुसंधान के केन्द्र का सवाल था।

पर्यटन

*१६२७. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने षष्ठ वर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या विवरण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी हां, किन्तु २ सितम्बर, १९५५ को लोक-सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर में जैसा कहा गया है, यह तय किया गया है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अंग के रूप में उसके लिये भी केवल पंच-वर्षीय योजना रहेगी।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६७]**

श्री हेमराज : क्या ये सब प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं या उनमें कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री अलगेशन : सब प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। इन में से कुछ तो पहले ही कार्यान्वित कर दिये गये हैं और सम्भवत: उनमें भी कुछ और कमी करनी पड़ेगी।

श्री हेमराज : कौन से प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं और कौन से अस्वीकार किये गये हैं?

श्री अलगेशन : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। इसे इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता। क्योंकि ये सब अन्तरिम हैं।

श्री हेमराज : क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि विद्यार्थियों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये अवकाश-गृहों का निर्माण किया जाये ?

श्री अलगेशन : हमारी योजना में इतना अधिक उपबन्ध नहीं है। इस कार्य में सफल होने से पहले हमें बहुत कुछ मिन्नतें करनी पड़ेंगी।

श्री भक्त दर्शन : पर्यटन-उद्योग के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से जो योजनायें आ रही हैं, उनको स्वीकार करने में अनुदान का क्या अनुपात दिया जायेगा, तात्पर्य यह है कि पूरी ग्रान्ट केन्द्रीय सरकार देगी या केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें पचास-पचास प्रतिशत लगायेंगी और पचास प्रतिशत रुपया प्रान्तीय सरकारों को भी इसमें लगाना पड़ेगा ?

श्री अलगेशन : सभी स्टेटों से प्रपोज़ल्स आये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आम तौर से क्या तरीका अपनाया जाता है ? पचास-पचास प्रतिशत का आधार होता है या कुछ और ?

श्री अलगेशन : अभी इसका निश्चय नहीं किया गया है। जहां तक प्रचार का प्रश्न है उसमें आधा-आधा हिस्सा करने का निश्चय किया गया है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

*१६२८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में गहरे समुद्र में प्रति वर्ष कितने टन मछली पकड़ी जाती है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता तथा अन्य नगरों में समुद्री मछलियां खूब बिकती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी वार्षिक खपत कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) लगभग २६७ टन।

(ख) जी हां।

(ग) ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है, किन्तु जितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं वे तुरन्त बिक जाती हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : श्रीमान्, इस योजना में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के दो जाल वाले पोत चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये कहती हैं, आदमियों की संख्या कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : जो विदेशी प्राविधिक हमारे मछुओं को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विद्या बताने आये उसे सीखने में कितना व्यय हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता किन्तु भारतीयों को प्रशिक्षण देने की यही एक विधि है और यदि खर्च अधिक हो, तब भी उसे भुगतना ही होगा।

श्री के० सी० बसु : इस काम को सीखने और योजना चलाने में कुल कितना व्यय हुआ और मछली पकड़ने से कितनी रकम प्राप्त हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री एन० बी० चौधरी : जबकि सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना के लिये उदारता से अनुदान देती है तो क्या वह पश्चिमी बंगाल से यह सूचना भी प्राप्त करती है कि यह योजना मितव्ययी और लाभदायक है या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब सभा में इसके बारे में प्रश्न किये जाते हैं तो हमें इसके आंकड़े यदा-कदा प्राप्त होते रहते हैं। वैसे नियमित रूप से कोई प्रतिवेदन नहीं मिलते।

भाड़े पर अधिभार

*१६२९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **परिवहन** मंत्री ८ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों के लिये भाड़े पर ३५ प्रतिशत अधिभार लगाने के प्रस्ताव को त्याग दिया गया है या निलम्बित कर दिया गया है ; और

(ख) क्या सरकार इस विषय में अविकसित नौवहन वाले समीपवर्ती देशों के साथ मिल कर कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को पता चला है कि

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों पर कुछ जहाज़ी कम्पनियों ने भाड़े पर अधिभार लगाने के प्रस्ताव को निलम्बित कर दिया है।

(ख) चूंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध पूर्णतया भारतीय पत्तनों के कार्य से है, अतः यह उत्पन्न नहीं होता।

श्री एन० बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज सवेरे माननीय मंत्री ने यह बताया था कि कुछ विदेशी नौ-वाहकों ने कुछ खनिज अयस्कों पर भाड़े की दर बढ़ा दी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये नौवाहक उन्हीं कान्फ्रेन्स लाइनों से सम्बन्धित हैं जिन्होंने ३५ प्रतिशत अधिभार का प्रस्ताव किया था ?

श्री अलगेशन : मैंने कहा था कि भाड़ में वृद्धि इस कारण से नहीं हुई है। यह ठीक है कि यह वृद्धि जिन लोगों ने की है वे भारत-ब्रिटेन लाइन के हैं और जिन लोगों ने अधि-भार की सूचना दी थी उनमें ये भी शामिल ह।

श्री एन० बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन नौवहन लाइनों ने अधिभार के रूप में नहीं बल्कि स्वयं भाड़े में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन लाइनों के साथ इस प्रश्न पर विचार करना चाहती है ताकि अन्य सामानों के बारे में ऐसी वृद्धि नहीं की जाय ?

श्री अलगेशन : यदि यह अधिभार लगा दिया जाता तो यह वास्तव में राष्ट्रीय हित में हानिकारक होता। इस विषय पर उन के साथ विचार किया गया था और निर्णय किया गया था। उसे निलम्बित कर दिया गया है और यद्यपि वे उसे प्रतिमास निलम्बित करते रहते थे, फिर भी अब की बार इसे अनिश्चित काल तक के लिये निलम्बित माना जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : इसे किन शर्तों पर निलम्बित किया गया है और इसका फैसला कब किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : इसमें कोई शर्त नहीं है। भारत के प्रमुख पत्तनों में श्रम की जो बिगड़ी हुई दशा है, उसके यह विपरीत पड़ता था। मैंने सभा में अनेक बार बताया है कि हमने इस स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किये है, जिनके परिणामस्वरूप अधिभार स्वतः कम हो जाता है।

औद्योगिक विवाद

*१६३०. **श्री तुषार चटर्जी**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल प्रोविन्शियल रेलवे समवाय लिमिटड तथा लाइट रेलवे कर्मचारी संघ हावड़ा के मध्य औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण ने अप्रैल, १९५५ में जो पंचाट दिया था उसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या संघ ने इस मामले के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). लाइट रेलवे कर्मचारी संघ का एक अभ्यावेदन, जिसमें यह लिखा था कि पंचाट की अभिपूर्ति नहीं की गई है, अगस्त १९५५ में प्राप्त हुआ था।

(ग) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता, से एक प्रतिवेदन मांगा गया है।

श्री तुषार चटर्जी : क्या यह सच है कि समवाय द्वारा न्यायाधिकरण के पंचाटों को क्रियान्वित न करने का यह पहला उदाहरण ही नहीं है बल्कि पहले न्यायाधिकरण के

पंचाट को भी समवाय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समवाय के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने की प्रस्थापना रखती है ?

श्री आबिद अली : दूसरे पक्ष ने एक अपील दायर की है और पंचाट की अभिपूर्ति के रोके जान के लिये आवेदन किया है। उनके आवेदन पर इस महीने की २२ तारीख को विचार होगा। इसलिये अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।

रेलवे आउट-एजेन्सी

*१६३२. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश में सतना-रीवा लाइन पर स्थित रेलवे आउट-एजेन्सी की देख रेख में चलने वाली बसें रेलवे प्रशासन की हैं या वैयक्तिक ठेकेदारों की ;

(ख) क्या इन बसों की दशाओं के सम्बन्ध में कभी कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या सतना पर भी, जहां से रीवा को बसें जाती हैं, आउट-एजेन्सी का कोई बुकिंग आफ़िस है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्राइवेट ठेकेदारों की।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

श्री बी० डी० शास्त्री : यह जो स्वतन्त्र बस मालिकों की बस सर्विस विन्ध्य प्रदेश में चलती है, तो क्या वे रेलवे को या विन्ध्य प्रदेश सरकार को भी अपने लाभ का कुछ हिस्सा देते हैं, और यदि हां, तो कितना ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या यह सही नहीं है कि जो बसेज़ आउट एजेंसी की चलती हैं, उनमें ७५ परसेंट ऐसी बसेज़ चल रही हैं जो कि काफी पुराने माडल की हैं और बुरी हालत में हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : विन्ध्य प्रदेश के हिसाब से, मुझे यह मालूम हुआ है, कि जो बसेज़ इस लाइन पर चलती हैं और बसों से जो दूसरे रास्तों पर चलती हैं, उनकी अपेक्षा अच्छी हैं।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या रेलवे के सामने ऐसी भी कोई स्कीम है कि वह अपनी खुद भी बसेज़ चलाये, या विन्ध्य प्रदेश की सरकार अपनी बसें चलायेगी और स्वयं अपनी स्टेट बस सर्विस चलाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रेलवे ऐसा इंतज़ाम साधारणतया नहीं करती है और ने अभी करने का इरादा है।

ब्रांच डाकघर

*१६३३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये ब्रांच डाकघर खोले जाने के कितने आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन हैं ; और

(ख) १९५५–५६ में सरकार कुल कितने ब्रांच डाक घर खोलने की प्रस्थापना करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५६११।

(ख) १९५५–५६ में लगभग ४३३६ नये डाकघरों के खोले जाने की आशा है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य नहीं है कि होशियारपुर, गुरदासपुर और कांगड़ा के ज़िलों में जो ब्रांच पोस्ट आफिसेज़ हैं, वे एक दूसरे से तीन मील से ज़्यादा फासले पर हैं, और अगर यह सत्य है, तो हमारे माननीय

मंत्री इस कठिनाई को दूर करने का क्या इंतज़ाम करेंगे ?

श्री राज बहादुर : यह सत्य है अथवा नहीं है, यह तभी मालूम हो सकता है जब उस स्थान पर पहुंच कर एक जगह के डाकख़ाने से दूसरी जगह जाया जाय, साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एसी कोई शिकायत, जो कि माननीय सदस्य के नोटिस में आई हो और उन्होंने मेरे पास भेजी हो, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य है कि जो हमारे हिन्दी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कि मैंने अभी ज़िक्र किया और हमारे भारतवर्ष में और भी स्थान ऐसे हैं जहां पर कि जो डाकख़ाने खोले जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है और उनकी जो एप्लीकेशंस आती हैं उन पर इतनी शीघ्रता से विचार नहीं किया जाता है जितन कि दूसरी जगह की एप्लीकेशंस पर विचार किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि उनके ज़िले, या उन ज़िलों का, जिनका कि उन्होंने नाम लिया है, उनके प्रति कोई पक्षपात उनके पक्ष या विपक्ष में नहीं किया जाता है और जो कुछ भी नियम साधारणतया हैं, उनके अनुसार काम किया जाता है और उनके अनुसार डाकखाने खोले जाते हैं ।

संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधायें

*१६३४. **श्री विभूती मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २६ जुलाई १९५५ को दिय गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद् सदस्यों की चिकित्सा सेवा की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) एक प्रारूप योजना तैयार की गई है ।

(ख) प्रस्थापित योजना का ब्यौरा देने वाली एक टिप्पणी लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६८]**

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेन्ट को देखने से पता चलता है कि जो पार्लियामेन्ट के सदस्य कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम में ५ या ६ रुपया महीना देंगे, सरकार उन की दवा कराने का इन्तज़ाम करेगी । क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत से पार्लियामेन्ट के सदस्यों के परिवार बहुत बड़े हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वह उनके लिये नाकाफ़ी होता है ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार मुफ्त में उन की दवा कराने का इन्तज़ाम करेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : योजना आप लोगों के सामने रखी जा चुकी है और उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना आप के ऊपर है ।

श्री विभति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि पार्लियामेन्ट सवसत्ताधिकारी संस्था है और उसके सदस्यों के लिये सरकार ६०,००० रुपया सालाना दवा पर ख़र्च नहीं कर सकती ?

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना की रूप रेखा तैयार करने में इतना समय क्यों लगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे मंत्रालय ने कोई समय नहीं गंवाया है ।

श्री कामत : योजना बनाने में, क्या माननीय मंत्री अथवा सरकार ने प्रश्न के इलाज के पहलू की अपेक्षा बचाव के पहलू पर अधिक ध्यान दिया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : बीमारी की रोकथाम सदस्यों के अपने हाथ की बात है ।

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई

*१६३५. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई के लिये बनाये जाने वाले भवन की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ख) अब तक कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) लगभग १·१ लाख रुपये ?

(ख) निर्माण कार्य के सितम्बर-अक्तूबर में आरम्भ होने की आशा है और १९५६ के अन्त तक बिल्डिंग के बन कर पूरा हो जाने की आशा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां निर्माण कार्य का प्रभारी कौन है ?

श्री आबिद अली : केन्द्रीय लोक कार्य विभाग ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या केन्द्रीय लोक कार्य विभाग निर्धारित समय में अपना काम समाप्त कर सकेगा ?

श्री आबिद अली : हमें ऐसी ही आशा है।

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

*१६३६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ अप्रैल, १९५५ की रात को लाटूर तथा हंगूल के बीच, ६ डाउन सवारी गाड़ी को पटरी से उतारने के लिये विध्वंसात्मक कार्यवाही करने का प्रयत्न किया गया था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). २२ अप्रैल, १९५५ की रात को केन्द्रीय रेलवे के लाटूर कुरुड़वाडी नैरो गेज के विभाग के लाटूर तथा हंगूर स्टेशनों के बीच ६ डाउन मिश्रित गाड़ी को दो स्थानों पर, रेल पथपर रुकावटें पाई जाने के कारण रोकना पड़ा था ।

इस घटना की सूचना हैदराबाद रेलवे पुलिस को दे दी गई थी और वह इसकी जांच कर रही है ।

जब तक पुलिस की जांच के परिणाम ज्ञात नहीं होते उस समय तक यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कोई विध्वंसात्मक कार्यवाही थी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस विशेष लाईन पर यह देखने के लिये कि कोई विध्वंसात्मक कार्यवाही तो नहीं की जाती है रात के समय कार्य करने वाले कोई चौकीदार हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास यह विशेष जानकारी नहीं है कि इस लाईन विशेष की रात को देखभाल की जाती है अथवा नहीं।

पंडित डी० एन० तिवारी : सामान्य प्रक्रिया क्या है; क्या लाईनों की देखभाल की जाती है अथवा नहीं ?

रेल का किराया

*१६३७. **डा० सत्यवादी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला के नागरिकों ने कालका और शिमला के बीच रेल के किरायों में कमी करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उस लाइन पर चलने वाली रेल मोटरों के किरायों में कमी कर दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी हां।

मत्स्य ग्रहण पत्तन

*१६३८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार समुद्र तट पर कुछ 'मत्स्य ग्रहण पत्तनें' स्थापित करने की प्रस्थापना करती है जहां पर कि मत्स्य ग्रहण पोत ठहर सकें और अपनी पकड़ी हुई मछलियों को उतार सकें;

(ख) यदि हां, तो एसे कितने पत्तनों के स्थापित किये जाने की आशा है और कहां ; और

(ग) इन पत्तनों की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ; समुद्र तटीय मत्स्य ग्रहण गांवों तक पहुंचने वाले मार्गों का सुधार करके, तथा इन गांवों से चलने वाली नौकाओं के लिये ठहरने के सुरक्षित स्थानों का उपबन्ध करके, तथा संभवतः मत्स्य ग्रहण के दृष्टिकोण से कतिपय छोटे पत्तनों का विकास करके।

(ख) ठीक ठीक संख्या के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) काम का स्वरूप, पत्तनों के स्थान तथा उन की संख्या के बारे में निर्णय किये जाने के बाद ही यह जानकारी उपलब्ध होगी।

श्री वी० पी० नायर : त्रावनकोर-कोचीन के तटों से दूर समुद्र मीन क्षेत्रों के विकास की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए और इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि इस समय कोई सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मलावार तट पर मत्स्य ग्रहण पत्तनों का निर्माण करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी योजना में यह सम्मिलित है।

श्री पुन्नूस : क्या त्रावनकोर-कोचीन द्वारा आलधि तथा अन्य पत्तनों के सम्बन्ध में भी कोई सिफारिश की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सब कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जाना है और मेरे विचार से हमने अभी योजना को इतना बढ़ाया नहीं है कि ठीक ठीक स्थान निर्धारित कर दिये हों।

खान अधिनियम, १९५२

*१६३९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री २९ जुलाई, १९५५ के दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात विनियमों को, खनिज बोर्डों को निर्दिष्ट किये बगैर, भारतीय खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९(३) तथा (४) के विरुद्ध ही प्रख्यापित कर दिया जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो खनिज बोर्डों की स्थापना कब तक होगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कोयला खानों के लिये आपात विनियमों को, खान अधिनियम, १९५२ की धारा ६० के अन्तर्गत प्रख्यापित करने की प्रस्थापना

है, और इस कारण खनिज बोर्डों को इसका निर्देश आवश्यक नहीं है । धारा ५९ (४) केवल नियमों से सम्बन्धित है ।

(ख) सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय "सलाह" से है "स्थापना" से नहीं । इस मामले में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : प्रारूप विनियम गज़ट में आलोचना के लिये कब तक प्रकाशित किये जायेंगे ?

श्री आबिद अली : आपात विनियम संभवतः अक्तूबर में प्रकाशित किये जायें और विनियमों के सम्बन्ध में संभवतः कुछ अधिक समय लगे क्योंकि हमें खनिज बोर्डों तथा समस्त सम्बद्ध संगठनों से परामर्श करना है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय खान अधिनियम, १९५२ के मार्च मास में पारित हुआ था और उसे जुलाई, १९५२ में लागू किया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इन विनियमों के अन्तिम रूप देने में किन बड़ी कटिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? हाल ही के जांच न्यायालय ने भी जिसके प्रधान नागपुर उच्च न्यायालय के एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश हैं, कहा है कि १९२६ के इन पुराने विनियमों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ।

श्री आबिद अली : इसे तीन भागों में किया जाना था; एक तो सोने की खानों के बारे में है जिसे १७ सितम्बर, १९५३ को प्रकाशित किया गया था। जहां तक कोयला के अतिरिक्त अन्य खानों का सम्बन्ध है, विनियम लगभग तैयार ही है और शीघ्र ही प्रकाशित कर दिय जायेंगे । कोयला खानों के बारे में, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, कुछ देर लगेगी । किन्तु संभवतः माननीय सदस्य इस भ्रम में हैं कि क्योंकि विनियमों में कोई संशोधन नहीं किये गये है इसलियेदुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं । यह बात सत्य नहीं है । इसके विपरीत कोयला खानों में दुर्घटनायें कम होती जा रही हैं और इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहां अवस्था ठीक है ।

ग्रामीण ऋण

*१६४१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण ऋण को समाप्त करने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण ऋण की समाप्ति के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष सिफारिशें नहीं की हैं । उन्होंने ग्रामीण ऋण ढांचे के पुनर्संस्थान तथा एसी परिस्थितियों के निर्माण के लिये, जिनके अन्तर्गत किसान साहूकार पर बहुत कम आश्रित रहेगा, कुछ सुझाव दिये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सरदार इकबाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण ऋण की मात्रा बहुत अधिक है, और कृषि वस्तुओं की कीमतें विशेष रूप से गिर गई है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसानों को कुछ सहायता देने के लिये ऋण समाधान बोर्ड नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार के लिये हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । राज्य सरकारें इस बात से

पूर्णतया परिचित हैं और प्रत्येक राज्य में ऋणों को कम करने के लिये किसी न किसी प्रकार की ऋण सम्बन्धी विधियां हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई विधान पुरःस्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जहां तक कि बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, ऋण को कम करने का जहां तक सम्बन्ध है इस के लिये नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को यह पता है कि आज गांव वालों के कर्जे का बोझा इतना बढ़ गया है कि स्टेट गवर्नमेन्टों की शक्ति के बाहर है कि वह उन्हें किसी तरह का रिलीफ़ दे सकें ? ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार क्या कुछ रिलीफ़ दे सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा यह ख्याल है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट स्टेट गवर्नमेन्टों को दें जिससे काश्तकारों को रिलीफ़ देने की उनकी ताकत बढ़ सके ।

श्री पुन्नूस : क्या किसी राज्य सरकार ने ग्रामीण ऋण की मात्रा के बारे में कोई जांच की है और किसी योजना का सुझाव दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अल्प-कालीन, मध्यम-कालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों को वर्तमान पंच वर्षों की अवधि में लागू किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस विधेयक की प्रतीक्षा करें जिसे हम सभा के सामने ला रहे हैं । अधिकांश बातों का ब्यौरा उस समय उपलब्ध होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खादी

*१५९९. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने गत आयव्ययक भाषण में कहा था ऐसे कपड़े की किस्मों के संवरण के लिये, जिनसे कि रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त खादी के वस्त्रों का विकास तथा निर्माण कया जा सकता है, दी गई वस्तुओं की सूची क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में बोर्ड का क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ख) खादीवस्त्र के नमूने जो कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियों के लिये कारखाने को बनी नीली ड्रिल तथा नीली पगड़ी के वस्त्र के स्थान पर काम में लाये जायगे, खादी बोर्ड से प्राप्त हुए हैं ।

रेलवे कर्मचारी संस्थायें

*१६०७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में काम करने वाली मान्यता प्राप्त कर्मचारी संस्थाओं के क्या नाम ह ;

(ख) क्या सरकार की नीति के अनुसार केवल एक संस्था को ही मान्यता दी जाने को है और दूसरों की मान्यता वापस ले ली जाती है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ख) और (ग). प्रबन्ध तथा श्रम के मध्य बातचीत करने की सुविधा के लिये, सरकार निश्चित रूप से प्रत्येक रेलवे पर एक ही संघ के अस्तित्व का स्वागत करेगी, और यह आशा की जाती है कि प्रत्येक रेलवे पर यह विद्यमान मान्यता प्राप्त संघ यथासम्भव शीघ्र इन्हीं तरीकों पर आपस में मिल जायेंगे। इस लिये अभी तक उनमें से किसी की मान्यता वापस ले लेने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ है।

मजूरी आयोग

*१६०८. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मजूरी आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) निर्देश की सम्भावित शर्तें क्या होंगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाते समय इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

एयर इण्डिया इन्टरनेशनल निगम

*१६०९. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इण्डिया इंटरनेशनल निगम के लिये विमान खरीदने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) खरीदे जाने वाले विमानों के नमूने और क़िस्में कौन सी हैं ;

(घ) कितने विमान ख़रीदने की प्रस्थापना है ; और

(ङ) इन विमानों के लिये किन किन देशों और साथों को आर्डर दिये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) एक सुपर कान्स्टेलेशन नमूना १०४९–जी के लिये पहले ही आर्डर दे दिया गया है और निगम इसी प्रकार के दो और विमान ख़रीदने के बारे में विचार कर रहा है।

(ङ) यह आर्डर संयुक्त राज्य अमरीका के कैलीफोर्निया के मैसर्स लॉकहीड एयर क्राफ्ट कार्पोरेशन, बरबैंक को दिया गया है।

कोसी परियोजना के लिये टेलीफ़ोन तथा तार सम्बन्धी सुविधायें

*१६१४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोसी परियोजना के लिय कोई नयी टैलीफ़ोन लाईनों तथा तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो नयी लाईनों का ब्यौरा क्या है और कार्यालयों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस पर होने वाले संधारण व्यय को कोसी परियोजना प्रशासन वहन करेगा अथवा भारत सरकार ;

(घ) क्या उस लाईन से असरकारी व्यक्ति भी टैलीफ़ोन कनैक्शन ले सकते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७१]**

राष्ट्रीय नासूर गवेषणा केन्द्र, कलकत्ता

*१६१६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार नासूर के सम्बन्ध में और विशेषतः रेडियो सत्रिय आईसोटोपों के द्वारा इसके उपचार के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य करने के लिये कलकत्ता में एक राष्ट्रीय नासूर गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के केन्द्र की स्थापना पर कितना खर्च होने की सम्भावना हैं ; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग). इसके सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मामला अभी विचाराधीन है।

लम्बे रेशे वाली कपास

*१६१८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन सम्बन्धी कोई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई समिति नियुक्त की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ऐसी कोई योजनायें सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के पास लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन की कई योजनायें हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तटीय राज्यों में सूखे की अवस्था

*१६१९. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के अन्तरिक्ष शास्त्र विभाग ने उड़ीसा तथा अन्य तटीय राज्यों में मानसून की निरन्तर असफलता और उसके परिणामस्वरूप भयंकर सूखे की अवस्था के वास्तविक कारणों के सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). उड़ीसा तथा अन्य तटीय राज्यों में पिछले दिनों हुई वास्तविक वर्षा-पात के परीक्षण से यह ज्ञात नहीं होता है कि वहां मानसून का निरन्तर अभाव रहा है और वहां पर वर्षा भी बहुत ही कम हुई है। केवल उड़ीसा के कुछ विच्छिन्न क्षेत्रों में ही वर्षा सामान्य से ७० प्रतिशत कम रही है। किसी एक मौसम में किसी विच्छिन्न क्षेत्र में सामान्य से मानसून की कमी या उसका अभाव वर्षा सम्बन्धी विभिन्नताओं का एक प्राकृतिक लक्षण है।

घाघरा नदी का पुल

*१६२१. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरी घाट पर घाघरा नदी पर नावों अथवा पीपों का पुल बनाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या दोहरी घाट पर घाघरा नदी पर तथा बर्ड घाट पर राप्ती नदी (गोरखपुर) पर पक्के पुल बनाने के लिये प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं और उनको मंजूरी दे दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उसके पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि लगभग ८·५ लाख रुपये के खर्च पर पीपों का एक अस्थायी प्रकार का पुल न बनाया जाये अपितु जितना शीघ्र सम्भव हो सके एक पक्का पुल बनाया जाये ।

(ख) दोनों पुलों के लिये स्थान चुन लिये गये हैं । हाल ही में घाघरा पर पुल बनाने के लिये एक प्रारम्भिक प्राक्कलन राज्य के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है । राप्ती नदी पर पुल बनाने के लिये प्रारम्भिक प्राक्कलन की अभी राज्य सरकार से आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) घाघरा और राप्ती के पुलों पर क्रमशः ९१ लाख रुपये और ३६ लाख रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है।

रेलवे लाईनें

*१६२६. **श्री भागवत साहू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच-वर्षीय योजना की कालावधि में वास्तव में कुल कितने मील लम्बी रेलवे लाईनें बनायी गयी हैं ; और

(ख) उसी कालावधि में दक्षिण-पूर्वी खण्ड में कौन कौन सी रेलवे लाईनें बनायी गयी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उखाड़ी गई लाईनों के प्रतिस्थापन समेत लगभग ७८२ मील ।

(ख) बोब्बिली सलूर ।

मजूरी भुगतान ऐक्ट, १९३६

*१६३१. **श्री वाघमारे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बंदरगाह के चिपिंग, रंगाई, भराई व सिलाई के काम में लगे हुए मज़दूरों और डैरीक फिटर, मार्कमैन तथा सफाई के गैंगमैनों को ठेकेदारों द्वारा मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अनुसार मजूरी नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मामले में उस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं । पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया है कि इन दर्जों के कामगरों को, मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अधीन मजूरी दी जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-इंगलैण्ड वैमानिक करार

१६४०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-इंगलैण्ड वैमानिक करार पर दोनों सरकारों द्वारा पुनर्विलोकन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो वह क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) करार के पुनर्विलोकन की ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं थी। इंगलैण्ड के प्राधिकारियों से किये गये एक समझौते के अनुसार, आगामी १२ मासों में सम्बन्धित सरकारों द्वारा नामोद्दिष्ट एयर लाइन्स द्वारा चालू की जाने वाली सेवाओं की बारम्बारिता इत्यादि के सम्बन्ध में एक वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाता है। चालू वर्ष सम्बन्धी वार्षिक पुनर्विलोकन अभी तक नहीं किया गया है।

रूरकेला के कारखाने

*१६४२. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार रूरकेला में एक यात्री डिब्बे बनाने का कारखाना और एक युद्ध-सामग्री कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कुरूड़ लिक्मा रेल सम्पर्क

*१६४३. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मध्य प्रदेश के रायपुर ज़िले में कुरूड़ से लिक्मा तक की उखाड़ी हुई रेलवे लाईन को प्रतिस्थापित करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बड़ी लाईन बनायी जायेगी ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इसके जगदलपुर तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

फलों के पार्सलों के लिये डाक सम्बन्धी रियायतें

*१६४४. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री २२ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा कि करेंगे :

(क) क्या तब से कुल्लू घाटी से आने वाले फलों के पार्सलों को रियायती दरें दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय के कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तब से यह निर्णय किया गया है कि कुल्लु घाटी से आने वाले फलों के पार्सलों पर डाक की रियायती दरें न दी जायें।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रसूति मरण

*१६४५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में गर्भावस्था में टॉक्सीमिया रोग होने के मामले अधिक होते हैं और गर्भवती स्त्रियों और भ्रूण मरण का यह मुख्य कारण है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण प्रसूति-मरण की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने और इस कारण होने वाली मृत्युओं की रोक थाम करने के लिये प्रभावी उपायों की खोज करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी, हां।

(ख) लगभग १५ प्रतिशत ।

(ग) भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने देश के विभिन्न केन्द्रों में कई वर्षों तक इस समस्या के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कराया है। कुछ अध्ययन अभी भी किया जा रहा है।

केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रसूति तथा शिशु कल्याण सेवाओं के विकास के साथ साथ तथा जीवन के उच्चतर स्तर के द्वारा यह आशा की जाती है कि गर्भावस्था में टॉक्सीमिया रोग हो जाने की घटनायें बहुत कम हो जायेंगी।

सतना और गोविन्दगढ़ के बीच रेलवे लाईन

*१६४६. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतना और गोविन्दगढ़ वाया रींवा (विन्ध्य प्रदेश) के बीच खोली जाने वाली नई रेलवे लाईन का सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा ;

(ख) सर्वेक्षण कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उसका निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग १५ अक्टूबर, १९५५ तक।

(ख) लगभग अप्रैल, १९५६ तक।

(ग) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि काम शुरू होगा या नहीं और अगर होगा, तो कब।

अभ्रक की खानों में बाल-गृह

*१६४७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में (१) सरकारी और (२) निजी अभ्रक की खानों में कितने बाल-गृहों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उनमें से कितने संतोषजनक रीति से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सभी बाल-गृहों को नियमित रूप से दूध और खिलौने आदि संभरित किये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) (१) अभ्रक की कोई सरकारी खान नहीं है।

(२) आठ।

(ख) सभी।

(ग) जी; हां।

चीनी के कारखानों का स्थानान्तरण

*१६४८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इस समय रामपुर, खलीलाबाद और जड़वाल में स्थित

चीनी के तीनों कारखाने किन्हीं और उपयुक्त क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर देने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे उस क्षेत्र के गन्ना-उत्पादकों को कोई असुविधा होगी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) रामपुर, खलीलाबाद और जड़वाल रोड के तीनों चीनी कारखानों ने किन्हीं अन्य उपयुक्त स्थानों को स्थानान्तरित कर दिये जाने की इच्छा प्रकट की थी। परन्तु जड़वाल रोड के कारखाने ने तो अपने वर्तमान स्थान पर ही काम करते रहने का निर्णय किया है। रामपुर के राजा कारखाने ने स्थानान्तरण के लिये एक औपचारिक आवेदन पत्र भेजा है जो विचाराधीन है, परन्तु खलीलाबाद कारखाने से अभी तक इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इसका मुख्य कारण यह है कि इन कारखानों के क्षेत्रों में जितना गन्ना उपलब्ध होता है वह मितव्ययी कार्यकरण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

(ग) नहीं। यदि इनमें से कोई भी कारखाना किसी अन्य स्थान पर चला जाता है तो उस क्षेत्र का गन्ना पड़ौस के कारखानों द्वारा पेरा जायेगा।

गोहाटी को चीनी का भेजा जाना

*१६४९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री देवेश्वर सर्मा :
श्री के० पी० त्रिपाठी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने लगभग ५००० टन चीनी आसाम को कलकत्ता से गौहाटी तक स्टीमरों के द्वारा भेजी है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रथम खेप में जितनी चीनी भेजी गयी थी गौहाटी में उसमें से २००० मन कम चीनी पहुंची है;

(ग) यदि हां, तो इस के लिये कौन उत्तरदायी है ; और

(घ) इस कमी को कैसे पूरा किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अभी तक कलकत्ता से गौहाटी को लगभग ३,८१० टन चीनी भेजी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोयला-खान कल्याण संघ

***१६५०. पण्डित डी० एन० तिवारी :** क्या **श्रम** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोयला-खान कल्याण सघ के कार्य का अध्ययन करने के लिये विभाग के दो वरिष्ठ पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गयी है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस संघ के सम्बन्ध में सिफारिशें देने के उद्देश्य से कोयला-खान कल्याण आयुक्त और मंत्रालय के दो पदाधिकारियों का एक अध्ययन-मण्डल बनाया गया था।

(ख) और (ग). मण्डल ने निधि की दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों को सुधारने और उन्हें गति देने के लिये कई सिफ़ारिशें की हैं; उनमें से अधिक महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें आवास, औषधालय सेवाओं और बहुप्रयोजनीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हैं।

(घ) कई एक सिफ़ारिशें तो पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। अन्य अभी विचाराधीन हैं।

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा

*१६५१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न स्कूलों और कालिजों में पढ़ने और दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं ; और

(ख) उन विद्यार्थियों की औसत संख्या जो इस रियायत का लाभ उठाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वापसी यात्रा के लिये विद्यार्थियों को एक ओर के किराये का तीस गुना देने पर, जिसकी निम्नतम सीमा सात रुपये आठ आने और अधिकतम सीमा बारह रुपये आठ आने है, रियायती मासिक टिकट जारी किये जाते हैं। जिन महीनों में स्कूल या कालिज के सत्र महीने के बीच में प्रारम्भ या समाप्त होते हैं उनमें पाक्षिक रियायती टिकट मासिक किराये के आधे के भुगतान पर भी जारी किये जाते हैं।

(ख) १६९९।

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद्

*१६५२. **श्री वी० पी० नायर : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने गवेषणा कार्य किये जाने के लिये विषयों का चुनाव किया है और क्या किन्हीं को प्राथमिकतायें दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन विषयों के नाम क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां।

(ख) १. सत्रालय सम्बन्धी गवेषणा कार्य
२. आहार पोषण
३. कुष्ठ
४. मातृक और शिशु स्वास्थ्य
५. संचारी रोग
६. औद्योगिक स्वास्थ्य समस्यायें
७. औषधि गवेषणा—देशी औषधियों में गवेषणा कार्य
८. विषाणु सम्बन्धी गवेषणा

ग्राम्य चिकित्सा सहायता जांच समिति

*१६५३. **सरदार इकबाल सिंह : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ग्राम्य चिकित्सा सहायता जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उस पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उसकी कौनसी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि ग्राम्य चिकित्सा सहायता कार्यक्रम बना लिये गये थे और प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत उनका परिपालन किया गया है, समिति का काम बीच में ही रोक दिया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ट्रक्टरों की मरम्मत

८४२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि अमरीकी सेना द्वारा परित्यक्त ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में, जिनसे कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने कार्य प्रारम्भ किया था, सन् १९४७ से वर्षवार मरम्मत तथा अन्य कार्यों पर कितना व्यय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अमरीका सेना के परित्यक्त ट्रैक्टरों पर, जिनसे केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने अपना कार्य प्रारम्भ किया था, हुआ मरम्मत सम्बन्धी व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय			पुनर्नवन का मुख्य व्यौरा			टिप्पणी
	पुनः संस्थापन तथा मुख्य पुनर्नवन	पुनः संस्थापन के अतिरिक्त मरम्मत	स्टोर तथा एककों में अतिरिक्त खपत	पुनः संस्थापित ढांचो की संख्या	पुनः संस्थापित इंजनों की संख्या	पुनः संस्थापित ट्रैक्टरों की संख्या	
१	२	३	४	५	६	७	
	रुपये	रुपये	रुपये				
१९४६–५०.	१७,६८,०५५	११,०६,४५७	१,७०,२४५	—	—	२११	(१) १७,६८,०५५ रुपये का व्यय उस प्रथम पुनः संस्थापन व्यय को बताता है जो कि उत्सर्जन विभाग द्वारा लिये जाने के तुरन्त पश्चात् २११ ट्रैक्टरों पर किया गया था। स्तम्भ में दिखाये गये व्यय, जो पश्चात्-वर्ती वर्षों में किया गया था, उन वर्षों में किये गये अत्यधिक पुनर्नवन को बताता है।
१९५०–५१.	१३,५४,०४५	५०,६०८	३,०८,३०७	९८	१०७	२४	
१९५१–५२.	७,९२,६४३	३८,६९६	१,४९,०३९	५६	४०	५३	(२) स्तम्भ ३ और ४ के अन्तर्गत दिखाये गये व्यय

१	२	३	४	५	६	७	८
१९५२–५३.	१,३७,३७९	—	—	१०	७	१९	ट्रैक्टरों तथा एककों के अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में हैं। केवल ट्रैक्टरों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
१९५३–५४.	४७,१८७	—	—	१५	६	—	(३) पुराने एकक १९५१-५२ में विघटित कर दिये गये थे। परन्तु इस के पश्चात् भी कुछ ट्रैक्टर नये एककों में कार्य कर रहे थे और १९५२–५३ और १९५३–५४३ में किये गये व्यय नये एककों में रख लिये गये ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में हैं।
१९५४–५५.	—	—	—	—	—	—	

समाचार-श्रवण

८४३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा नागपुर में स्थित समाचार-श्रवण केन्द्रों के मुख्य कृत्य क्या हैं ?

संचार उपमंत्री श्री राज बहादुर : दिल्ली और नागपुर में स्थापित किये गये समाचार-श्रवण केन्द्रों के मुख्य कृत्य इस प्रकार हैं :—

(१) रेडियो वारंवारिल स्पैक्ट्रम में मुक्त प्रणालियों के लिये व्योम की खोज करना जिससे कि वारंवारिल नियतन की नई तालिका के अनुसार कार्य करने के लिये कतिपय सेवाओं के पट्टी वाह्य संकार्यों को हटाया जा सके।

(२) अन्तर्बाधाओं को दूर करने के साधनों का पता लगाने की दृष्टि से अन्तर्बाधाओं द्वारा त्रस्त की जा रही प्रणालियों में समाचार-श्रवण करना।

(३) विभिन्न रेडियो प्रणालियों की उत्सारण वारंवारिताओं का मापन करना और अन्तर्बाधा को रोकने के लिये कठोर अनुषक्ति को लागू करना और इस प्रकार सभी सेवाओं के समग्र निष्पादन में सुधार करना।

टिड्डियां

८४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५५ में सौराष्ट्र में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी हानि हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) यह ख़बर मिली है कि टिड्डियों से फ़सलों को प्रायः कोई हानि नहीं हुई है।

बिना टिकट यात्रा

८४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९५५ में पृथक् पृथक् समस्त रेल-खण्डों (ज़ोन्स) में कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये ; और

(ख) उसी काल में उनसे कुल कितना धन अधिक किराया और अर्थ-दंड रूप से प्राप्त किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). एक विवरण नत्थी किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७२**]

अन्नपूर्णा

८४६. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कितने नये अन्नपूर्णा खोले गये हैं ; और

(ख) वे कहां कहां खोले गये हैं।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) दो।

(ख) बम्बई में—एक मैजेस्टिक होटल में और दूसरा भारतीय विद्या भवन में।

खंडसारी

८४७. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मई, १९५५ तक कितनी खंडसारी का आयात किया गया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १ जनवरी, १९५५ से ३१ मई, १९५५ तक ३,८६५ टन ।

बाल पक्षाघात रोग (पोलियो)

८४८. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न सख्या १४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत के किसी भाग में बाल पक्षाघात रोग (पोलियो) सम्बन्धी कोई पर्यालोकन कार्य किया गया है ; और

(ख) जांच करके पोलियो रोक के निदान के लिए भारत में कितने विद्युत्-सूक्ष्म दर्शक यन्त्र हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ऐसा कोई पर्यालोकन नहीं किया गया है ।

(ख) सूचना तत्काल प्राप्त नहीं हैं । फिर भी, यह कहा जा सकता है कि पोलियो रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के निदान के लिए विद्युत्-सूक्ष्म दर्शक यन्त्र की आवश्यकता नहीं होती ।

आम

८४९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियन्त्रित पैबंद लगा कर आमों की नई और बढ़िया किस्मों के उगाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जायेगी, तो वह क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : बिहार, मद्रास और उत्तर प्रदेश में एक एक करके तीन फल गवेषणा योजनायें नियन्त्रित पैबंद लगा कर आमों की बढ़िया किस्मों के निकालने के लिए चल रही हैं ।

आमों को डिब्बों में भरना

८५०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल आमों की कौन कौन किस्में डिब्बों में भरने के लिए उपयुक्त हैं ; और

(ख) क्या आमों को डिब्बों में भरने के लिए देश में कोई गवेषणा केन्द्र है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अलफंसों, दशहरी, बेगम फली, लंगड़ा, फ़ज़ली और तोतापुरी ।

(ख) जी हां, निम्न केन्द्रों में आमों को डिब्बों में भरने का कार्य प्रगति कर रहा है :

(१) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा केन्द्र, मैसूर, और

(२) फल उत्पाद गवेषणा प्रयोगशाला कोडूर (मद्रास) ।

रेलवे लाइन

८५१. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेलवे पर पोन्नानी तथा त्रिचुर के बीच गुरुवय्युर के मार्ग से रेल सम्पर्क स्थापित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) और (ख). गुरुवय्युर के मार्ग से त्रिपुरा से ठीक पोन्नानी तक रेलवे सम्पर्क

निर्माण करने की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु त्रिचुर से गुरुवय्युर तक रेलवे लाइन के बनाने तथा इसी को और आगे पटाम्बी अथवा कुट्टीचुरम तक बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा इस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में बनाई जाने वाली नई लाइनों के चुनते समय उचित विचार होगा ।

सिनकोना की खेती

८५२. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस वर्ष सिनकोना की खेती के लिये नियत भूमि की एकड़ संख्या में वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी है तथा किस क्षेत्र में होगी ; और

(ग) भारत में कोनीन के राज्यवार कितने केन्द्र है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तीन केन्द्र हैं; दो मद्रास में तथा एक पश्चिमी बंगाल में ।

मलेरिया की औषधि

८५३. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में कुछ प्रकार की पत्तियों से निकाला गया रस मलेरिया के लिये आमोघ सिद्ध हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन पत्तियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या रस बड़े पैमाने पर निकाला गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) सरकार को इस प्रकार की पत्तियों की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्रेणीवार यात्रा

८५४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में विमान यात्रा में विभिन्न श्रेणियां शुरू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ; और

(ग) क्या विभिन्न श्रेणियों के किरायों की दरें निश्चित हो चुकी हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहींहोते ।

चन्द्रकोण रोड स्टेशन

८५५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चन्द्रकोण रोड स्टेशन पर जल संभरण तथा विद्युत् प्रकाश का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टेशन पर कोई ऊपरी पुल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) स्टेशन पर एक ऊपरी पुल है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चिलुवुर रेलवे स्टेशन

८५६. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर चिलुवुर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) यह कब पूर्ण होगा ; और

(ग) पुराने स्टेशन के गिराये गये मलबे को किस प्रकार ठिकाने लगाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) फरवरी १९५३ ।

(ख) केवल प्लेटफार्म को ढांकने के कार्य को छोड़ कर जो कार्य निर्माताओं से ट्रेस्सेज़ प्राप्त न होने के कारण रुक गया है, मार्च १९५४ में सब कार्य समाप्त हो गया था ।

(ग) कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दो गाड़ियों के ढांचे फालतू हो गए उनका निलाम कर दिया जायेगा । छत बनाने के सामान जैसे पनारीदार लोहे की चादरें वहां से हटा दी जायेंगी तथा जब और जहां आवश्यकता होगी उनका प्रयोग किया जायगा ।

कोयले की खपत

८५७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ तथा १९५४–५५ में भारतीय रेलों में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के कोयले की खपत हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय सरकारी रेलों में १९५२–५३ तथा १९५४–५५ में ११०·४ तथा ११७·९ लाख टन कोयले की खपत हुई ; तथा उसका मूल्य (भाड़े उत्पादन शुल्क, बिक्री कर तथा उपकर को छोड़ कर) क्रमश: १७.०६ तथा १८·४० करोड़ रुपये था ।

कम्पोस्ट खाद योजना

८५८. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १७ फरवरी, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में कम्पोस्ट खाद योजना के प्रारम्भ काल से लेकर अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है, १९४७–४८ में प्रारम्भ होने के पश्चात् कम्पोस्ट खाद योजना में संतोषजनक प्रगति चली आ रही है :

वर्ष	शहरी केन्द्रों की संख्या (कुल)	उत्पादन (टनों में)	वितरण (टनों में)
१९४७–४८	७	५,६२६	१,२८४
१९५०–५१	५७	१,०३,७४०	७४,८५३
१९५३–५४	७८	१,६६,२२८	१,६२,१८०
१९५४–५५**	८६	१,३३,८९७	१,२३,१२७

**आंकड़े दिसम्बर १९५४ के अन्त तक के हैं। १९४९–५० से १९५३–५४ (सितम्बर १९५३ तक) के आंकड़े १७ फरवरी, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में सभा में बताये गये थे ।

राष्ट्रीय राजपथ

८५९. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में राष्ट्रीय राजपथ की कुल कितने मील लम्बाई है ; और

(ख) क्या इस राज्य के वित्तीय एकीकरण के पश्चात् इस मील संख्या में कुछ वृद्धि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५९५ मील

(ख) राज्य के वित्तीय एकीकरण के पश्चात् राष्ट्रीय राजपथ की उपरिलिखित लम्बाई का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने ले लिया इससे पूर्व सड़कें राज्य के उत्तरदायित्व में थी ?

हैदराबाद राज्य में श्रम

८६०. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में, हैदराबाद में कितने श्रम झगड़े हुये थे ;

(ख) यह झगड़े किन औद्योगिक संस्थाओं में हुये थे ; और

(ग) इन झगड़ों के कारण क्या थे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग) केवल केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाली औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त है। १९५४ में हैदराबाद राज्य की निम्नलिखित संस्थाओं में ६४ झगड़े हुये :—

(१) कोयले की खानों का सिंगरेनी वर्ग
(२) सास्ती कोयले की खान
(३) हैदराबाद की सोने की खानें, हट्टी
(४) मध्य रेलवे
(५) राज्य के समस्त बैंक
(६) पत्थर की खानों का शाहाबाद वर्ग
(७) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
(८) सैनिक संस्थापन
(९) केन्द्रीय खाद्यान्न विभाग

झगड़े के विषय सामान्यतः मजूरी, महंगाई भत्ता, कार्य के घंटे तथा सेवामुक्ति तथा नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में थे।

डाक कर्मचारी

८६१. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा नागपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत १२ १/२ प्रतिशत विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता क्रमशः करनूल तथा जयपुर में नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरित कर्मचारियों के लिये ३१ अगस्त, १९५५ को समाप्त होने वाला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश कर्मचारियों ने अपने पुरातन कार्यालयों को वापस भेजे जाने की इच्छा प्रकट की है ; और

(ग) यदि उपरिलिखित भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारामक है तो सरकार इन कर्मचारियों को वापस भेजने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भत्ते का भुगतान २९–२–५६ तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) बहुत से कर्मचारियों ने वापस जाने के लिये कहा है।

(ग) प्रशासनिक आवश्यकताओं पर, नागपुर तथा मद्रास में स्थान रिक्त होने पर उनका स्थानान्तरण किया जा रहा है।

क्लर्कों की पदोन्नति

८६२. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय नियमों में, ५५–१३० रुपये के वेतन क्रम से उच्च वेतन क्रम

८०–२२० रुपये में क्लर्कों की बिना परीक्षा के पदोन्नति के लिये कोई उपबन्ध है ;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन राजस्व कार्यालय नागपुर के कुछ 'लोअर डिवीज़न' क्लर्कों की, बिना किसी परीक्षा के 'अपर डिवीज़न' श्रेणी के क्लर्कों में पदोन्नति कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो डाक तथा तार प्रशासकीय कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों को इसी प्रकार की रियायत न देकर, भेदभाव के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, ।

(ग) टेलीफोन राजस्व कार्यालय नागपुर में सेवा हित के विशेष मामले के रूप में पदोन्नति की गई थी क्योंकि वह कार्यालय, दिल्ली में होने वाले कार्य के लिये विकेन्द्रीयकरण पर नागपुर में प्रारम्भ किया था । वहां उस समय उपयुक्त कर्मचारियों की बहुत कमी थी तथा उन कर्मचारियों की जिन्हों नें पर्याप्त व्यक्तिगत कठिनाइयों तथा असुविधाओं पर भी, दिल्ली से स्थानान्तरण स्वीकार किया, नागपुर की नई संस्था में विशेष मामले के रूप में पदोन्नत की अनुमति दी गई ।

डाक कर्मचारी

८६३. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी १९५३ से सभी डाक तथा तार प्रशासकीय कार्यालयों में कलर्कों के लिये ८०–२२० रुपये का वेतन क्रम लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह वेतन क्रम दिल्ली टेलीफोन ज़िला के ज़िला प्रबन्धक के कार्यालय में लागू नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि उपरिलिखित भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, ।

(ख) जी हां ।

(ग) वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर उपयुक्त क्लर्कों की नियुक्तियां ८०–२२० वेतन क्रम में की गई थीं । क्योंकि दिल्ली टेलीफोन ज़िले के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के निश्चित करने का प्रश्न विचाराधीन है तथा क्योंकि ८०–२२० रुपयों की नियुक्तियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या से कम थी इस लिये यह वेतन क्रम लागू करना संभव नहीं हुआ ।

रेलवे सम्बन्धी दावे

८६४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में उत्तर-पूर्व रेलवे में प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के दावों का भुगतान किया गया ; और

(ख) कितने मूल्य के दावे स्वीकृत नहीं हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) . एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है । संलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७३]**

रेलवे कर्मचारी

८६५. **श्री जे० आर० मेहता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में, कुछ दिन पूर्व कितने अभ्यार्थियों को भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा की विभिन्न शाखाओं के लिये सफल घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रवरण चुनाव एक सीमित अवधि तक के लिये ही मान्य है ;

(ग) यदि हां, तो यह प्रवरण किस तिथि तक के लिये मान्य होंगे; और

(घ) विभिन्न शाखाओं में वर्तमान रिक्त स्थानों की क्या संख्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिसम्बर १९५४ में हुई संयुक्त इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षा के परिणामस्वरूप इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा में नियुक्तियों के लिये ६८ अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रवरण तब तक के लिये मान्य है जब तक कि विज्ञप्ति रिक्त स्थान भरे जायेंगे अथवा वे आवश्यकताएं जिन के लिये परीक्षा हुई थी, पूरी हो जायेंगी ।

(घ) ये रिक्त स्थान दिसम्बर १९५४ की परीक्षा के परिणामस्वरूप भरे जायेंगे ।

चालक तथा ग्राउन्ड इंजीनियर

८६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक भारत में कुल कितने चालक तथा ग्राउन्ड इंजीनियर्स प्रशिक्षित किये गये हैं;

(ख) कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) चालकों तथा ग्राउन्ड इंजीनियरों पर अलग अलग भारत सरकार ने कितनी वार्षिक राशि व्यय की है ; और

(घ) अभी तक कितने चालक तथा ग्राउन्ड इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चालक:

(क)	(क१)	(ख)
३,२२५	१६२	१,२०१

ग्राउन्ड इंजीनियर:

९०४

(ख) चालक प्रशिक्षु :

अनुज्ञप्ति (क) के लिये	१७६
अनुज्ञप्ति (ख) के लिये	७३
ग्राउन्ड इंजीनियर प्रशिक्षु	८२

(ग) सरकार द्वारा चालकों तथा ग्राउन्ड इंजीनियरों पर दो प्रकार से व्यय किया जाता है—

(१) असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद के उड्डयन तथा इंजीनियरिंग स्कूल को चलाने का व्यय ; और

(२) उड्डयन क्लबों को आर्थिक सहायता असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, उड्डयन तथा इंजीनियरिंग स्कूलों का व्यय प्रतिवर्ष बदलता रहता है। १९५३–५४ में उड्डयन तथा इंजीनियरिंग स्कूलों पर व्यय तथा उड्डयन क्लबों को दी गई आर्थिक सहायता निम्नलिखित है—

(क) उड्डयन स्कूल २,६२,२५८ रुपये

(ख) इंजीनियरिंग स्कूल १,८८,२३५ रुपये ।

उड्डयन क्लबों को दी गई आर्थिक सहायता ८,४६,६७४ रुपये ।

(घ) वर्तमान (ख) चालक अनुज्ञप्तियों वाले ५२४ व्यक्तियों में से १ सितम्बर १९५५ तक ४५८ नियुक्त किये गये हैं। शेष के ६६ चालकों में से केवल दो 'डकोटा' चलाना जानते हैं, एक भारत से बाहर चला गया है तथा दूसरा एक विमान मालिक के अधीन नियुक्त है। शेष ६४ में से १४ डकोटा चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा शेष ५० अभी इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे।

एकमात्र अन्य श्रेणी के चालक, जो व्यापारिक कार्यों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं (क१) अनुज्ञप्तिधारियों की है। १ सितम्बर १९५५ को इस प्रकार का अनुज्ञप्तिधारी एक ही व्यक्ति था। यह ज्ञात नहीं है कि वह कहीं नियुक्त है।

१ सितम्बर, १९५५ को ७१५ अर्हता प्राप्त ग्राउन्ड इंजीनियर नियुक्त थे तथा ऐसी सूचना है कि ३५ बेकार हैं।

वैदेशिक तारों का आना जाना

८६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ के वर्षों में वैदेशिक तारों के आने जाने में राजस्व की प्राप्त राशि कितनी थी;

(ख) क्या १९५५–५६ में किसी बाहर के देश से संचार सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

		रुपये
(क)	१९५२–५३	१,२३,७९,०८३
	१९५३–५४	१,१५,८६,२५४
	१९५४–५५	१,२५ ४१ ३०४

(ख) १९५५–५६ में निम्नलिखित सेवाएं पहले से शुरू की जा चुकी हैं :

रेडियो-टेलीफोन सेवा : रूस और पोलैंड

रेडियो टेलीग्राफ सेवा : पोलैंड और यूगोस्लाविया से

रेडियो फोटो सेवा : रूस से

इस वर्ष और सेवाओं के शुरू करने पर विचार किया जा रहा है परन्तु शुरू की जाने वाली सेवाओं की संख्या तथा देश जिनसे सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे, कई बातों पर निर्भर करते हैं––उदाहरणार्थ, उपकरणों की उपलब्धि तथा तारों की संख्या आदि पर।

रेलवे कर्मचारी

८६८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों पर विभिन्न वेतन क्रम वाले टिकट कलक्टरों, रेलवे गाड़ी के साथ जाने वाले टिकट-कलक्टरों और कंडक्टरों की संख्या क्या है ; और

(ख) १९५४–५५ में उन्हें वेतन और भत्तों के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७४]**

रामपुर लालकुवा रेल सम्पर्क

८६९. **श्री सी० डी० पांडे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि प्रस्तावित रामपुर लालकुवा बड़ी रेलवे लाइन के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कार्य आरम्भ हो चुका है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी अभी नहीं । परिवहन पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्राक्कलनों पर अभी विचार हो रहा ह तथा इसकी शीघ्र ही मंजूरी दी जायगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्धे व्यक्ति

८७०. **श्रीमती इला पालचौधरी** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) भारत में कुल कितने अन्धे व्यक्ति हैं ;

(ख) क्या जन्म से अन्धे तथा किसी दूसरे कारणों से अन्धे हो गए व्यक्तियों के बारे में कोई आंकड़े रखे जाते हैं ; और

(ग) यदि ऐसा है, तो जन्म से अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत के अन्धे व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रणा बोड तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त समिति ने १९४४ में भारत में अन्धे व्यक्तियों की संख्या का अनुमान २,०००,००० लगाया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे इंजन (लोकोमोटिव)

८७१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री जनार्दन रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ४३१ रेलवे इंजिन (लोकोमोटिव) मंगाने के लिये जो आर्डर जर्मनी को दिया गया था उसमें से भारत में अब तक कितने इंजिन आ गये हैं तथा शेष इंजिनों के कब तक आने की संभावना है ;

(ख) इस आर्डर के साथ जापान आस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया तथा अन्य दूसरे देशों को जो आर्डर दिये गये थे उनमें से कितने रेलवे इंजिन अब तक भारत आ गये हैं, और कितने इंजिन आने अभी शेष हैं ; और

(ग) ये सब इंजिन कब तक भारत आ जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४३१ रेलवे इंजनों के महीं ४३९ के आर्डर दिये गये थे । ४३९ में से अब तक २०६ मिल चुके हैं । ८२ इंजन १९५५–५६ में और बाकी १५१ इंजन १९५६–५७ में मिलने की आशा है ।

(ख) १०० मिल गये ह और ३९९ अभी मिलने को हैं ।

(ग) मार्च १९५७ तक ।

यात्रियों को सुविधायें

८७२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में केन्द्रीय रेलवे के सागर तथा ललितपुर रेलवे स्टेशनों पर कितने यात्रा-टिकटों की बिक्री हुई है ;

(ख) क्या यात्रियों को सुविधायें देने की व्यवस्था करते समय इन आंकड़ों पर भी ध्यान दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक शेड बनाने का है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मांगी गयी सूचना का विव-

रण साथ नत्थी है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(ख) जी हां।

(ग) सागर स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत बनाने का सवाल यात्री सुविधा समिति की गली बैठक में रखने का विचार है।

डाक व तार पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

७३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग की १९५४–५५ की रिपोर्ट (कार्य) के पृष्ठ ७ में उल्लिखित भ्रष्टाचार के ५३० मामलों में कितने गजटड पदाधिकारी ग्रस्त हैं ;

(ख) उन पदाधिकारियों के पद क्या हैं ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ;

(घ) कितने मामलों म आरोप सही सिद्ध हुए हैं ; और

(ङ) इन मामलों में से प्रत्येक मामले में ग्रस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ह ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २६।

(ख) (१) डाकघरों के अधीक्षक ११

(२) रेल मेल व्यवस्था के अधीक्षक २

(३) सब डिवीज़नल अफ़सर तार ६

(४) सब डिवीज़नल अफसर, टेलीफोन ३

(५) कन्स्ट्रक्शन अफसर, तार १

(६) सहायक इंजीनियर, टेलीफोन १

(७) डिवीज़नल-इंजीनियर तार १

(८) पोस्टमास्टर, श्रेणी २ १

(ग) भ्रष्टाचार, पक्षपात, उत्पीड़न आदि।

(घ) ६।

(ङ) एक नौकरी से हटा दिया गया है बाकी पांच के मामलों पर विचार किया जा रहा है।

रेलगाड़ी व्यवस्था

८७४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यात्रियों की सुविधा से दिल्ली और पटना के बीच तथा पटना के भाग से होते हुए एक डाक गाड़ी के चलाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की आशा की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शुक्रवार,
९ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

लोक लेखा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं विनियोग लेखा (रक्षा सेवायें) १९५१–५२ और १९५२–५३—खंड १ पर लोक लेखा समिति (१९५४–५५) का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, कल मैंने सभा में बताया था कि मैं उस क्रम की जिसमें सरकार उन विभिन्न कार्य मदों को लेना चाहती है जिनके लिये अब तक कार्य मंत्रणा समिति ने समय

नियत किया है आज घोषणा करूंगा । विधानीय तथा अन्य सरकारी कार्य सभा में समावाय तथा अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक पारित होने पर निम्न क्रमानुसार लिया जायेगा :—

(१) विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ ।

(२) ३१ दिसम्बर, १९५३, और ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्षों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन ।

(३) विदेशी मामलों पर चर्चा ।

(४) प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य करार ।

(५) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक; और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक । } प्रवर समिति को सौंपने के लिये ।

(६) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक ।

(७) मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५ का राज्य सभा का संशोधन ।

(८) आर्थिक नीति (कृषि-भूमि, ग्राम्य उधार सहित) पर विचार विमर्श ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सत्र के बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अभी कुछ कहना कठिन है ।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर—उत्तर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश की बाढ़-स्थिति पर चर्चा होगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

समवाय विधेयक—जारी

खंड ६१० से ६४९

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खंड ६१० से ६४९ तक पर आगे विचार करेगी । नियत समय के अनुसार ये खंड लगभग २-३० म० प० पर समाप्त हो जायेंगे । तत्पश्चात् सभा १ से १२ तक अनुसूचियां और खंड १ पर विचार करेगी । अनुसूचियों पर विचारारम्भ करने से पूर्व सभा खंड २७३, ५१६, नवीन खंड ५१६-क और नवीन खंड ६०९-क पर विचार समाप्त कर लेगी ।

खंड ६१४—(अधिनियम आदि में संशोधन करने का अधिकार)

पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा खंड ६१४ पर अपने संशोधन संख्या ११७१। ११७२ और ११७३ तथा खंड ६३३ पर संशोधन संख्या ११७४ प्रस्तुत किये गये ।

अध्यक्ष महोदय : ये संशोधन भी सभा के सामने हैं ।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी समवाय के सारे अंश सरकार के हों तो यह स्पष्ट है कि बहुत से वे नियम जो साधारण समवायों पर लागू होते हैं उस पर लागू नहीं हो सकते । परन्तु इस समस्या पर हमारी संयुक्त समिति का दृष्टिकोण ऐसा है जिसका स्वीकार करना कुछ कठिन सी बात है । सरकारी समवायों को अनोखी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में रख दिया गया है ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

कुछ समवायों को छूट देने के सुझाव दिये गये हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि उन समवायों के अतिरिक्त जिनके शत प्रतिशत अंश सरकार के हैं किसी भी अन्य समवाय को छूट खंड के अधीन रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा । हमें यह ध्यान रखना है कि वह समवाय जिसके ५१ प्रतिशत अंश सरकारी हों पूर्णतया सरकारी सम्पत्ति नहीं है । यह एक ऐसा समवाय है जिसके अधिकांश अंश सरकारी हैं और सिद्धान्त में सरकार को अधिकार है कि वह विधेयक में उपबन्धित समस्त सुरक्षाओं का खंडन कर दे । जिन व्यक्तियों ने सयुक्त समिति की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भाग लिया है मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप ऐसी छूट दे कर क्या प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि सरकार आवश्यक समझे तो खंड १९७ में निर्धारित प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की सीमा को भंग कर सकती है ।

खंड २३४ के अधीन सरकार को अंशधारियों की शिक़ायतें सुननी पड़ेंगी । परन्तु इस उपबन्ध से छूट दी जा सकती है । कुछ भी हो सरकारी समवाय गुणवान व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं । अंशधारी सरकारी प्रबन्धक पर सन्देह करने का साहस कैसे कर सकता है ? हम सरकारी निदेशकों की शिक़ायत कैसे सुन सकते हैं ? वास्तव में ऊपरी अधिकार जो दिया गया है कार्यपालिका को पूर्ण प्राधिकार देता है कि वह

समवाय अधिनियम के दो उपबन्धों के अतिरिक्त जिनका विशेष उल्लेख किया जाता है किसी भी या सारे उपबन्धों का खंडन कर सकती है । वास्तव में यह तर्क प्रस्तुत किया जायेगा कि सरकार इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी । परन्तु मेरी समझ में इस तर्क का महत्व नहीं आता क्योंकि यदि आप इन अधिकारों का प्रयोग करना नहीं चाहते तो आप इतने अधिक अधिकार क्यों लेते हैं ? मेरा ख्याल है कि सरकार को ये ऊपरी अधिकार देना नैतिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है और संविधान की दृष्टि से अनुचित है । किस वैध आधार पर हम सरकारी समवाय के अंशधारी और गैर-सरकारी समवाय के अंशधारी के बीच भेदभाव कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि इन श्रेणियों के वर्गीकरण पर न्यायालयों को मत देना होगा । हम उन्हें उनके अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं ? इस अनोखे उपबन्ध के अधीन यदि इसे मान्य माना जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार अपनी इच्छानुसार अंशधारियों को समस्त अधिकारों से वंचित कर सकती है । इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि ऐसे समवायों पर संसद् का क्या नियन्त्रण होगा ? इस विधेयक में किसी भी नियन्त्रण का उपबन्ध नहीं किया गया है सरकारी समवायों पर विचार करते हुये यह ध्यान रखना उचित है कि संसद् को क्या क्या कठिनाइयां हैं । जिस समवाय में सरकार के १०० प्रतिशत से कम अंश हैं, वहां अल्प संख्या और भ्रष्ट प्रशासन की समस्यायें उत्पन्न होंगी और यह अच्छा है कि अंशधारियों को वे शिशिष्ट अधिकार दिये जायें जो उन्हें इस समवाय विधि के अधीन, अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, प्राप्त हैं । अतः मैं इस मत से सहमत नहीं हूं कि सरकार द्वारा चलाये जाने वाले इन समवायों के प्रबन्धक वर्ग को परेशान किया जाये ।

मैं महसूस करता हूं कि उन उपबन्धों में, जिनका सम्बन्ध महालेखापरीक्षक के अधिकारों से है, स्पष्टता नहीं है । मैं यह कहता हूं कि एक लेखापरीक्षक का कार्य यह है कि वह यह निश्चय करे कि की गई कार्यवाही, उचित अधिकार के अनुसार की गई है । कार्यवाही को उचित या अनुचित बताना उसका कार्य नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं सभा को सूचित करता हूं कि समवायों पर महालेखापरीक्षक के कुछ प्रतिवेदन हमारे मस्तिष्क में यह सन्देह उत्पन्न करते हैं कि क्या वह उस सैद्धान्तिक कसौटी को जिसका ध्यान रखना चाहिये समझ सके हैं या नहीं । औद्योगिक वित्त निगम ने एक सिद्धान्त यह बनाया है कि यदि किसी व्यक्ति को भिन्न व्याज की दर पर ऋण दिया जाता है, तो वस्तुतः भेदभाव है । अब यदि कोई वित्त संस्था ऋण लेने वालों के बीच भेद नहीं करती तो वह कार्य नहीं कर सकती और यदि हम किसी विशेष संस्था पर किसी अनुचित बात का आरोप लगाना चाहते हैं, तो हमें यह अवश्य जानना चाहिये कि क्या ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिन्होंने भेदभाव करने पर बाध्य किया है । महालेखापरीक्षक को ये अधिकार देते हुये अत्यन्त सावधान रहना चाहिये कि हम उसे वे कार्य न सौंपे जो वह कुशलपूर्वक न कर सके । मैं महसूस करता हूं कि महालेखापरीक्षक के टिप्पण प्रकाशित किये जाने के बजाये लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किये जायें, क्योंकि उन आरोपों का उत्तर देने का, जिन पर संसदीय समिति विचार करती है, प्रबन्धक वर्ग को कदाचित ही अवसर मिलता है । यदि हम चाहते हैं कि महालेखापरीक्षक के टिप्पण प्रकाशित किये जायें तो उन पर, जिन पर महालेखापरीक्षक ने मत दिये हैं, प्रबन्धक वर्ग के टिप्पण भी प्रकाशित होने चाहियें, और लोक लेखा समिति को दोनों पक्षों के दृष्टिकोण का ज्ञान रहना चाहिये । अतः मैं महसूस करता हूं

[डा० कृष्णस्वामी]

कि खंड ६१२, ६१३ और ६१४ के द्वारा हम बहुत ही भयानक मिसाल कायम कर रहे हैं । हम विधि द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों के एक विशेषाधिकार युक्त समुदाय की रचना कर रहे हैं । मैं इतना तो समझ सकता हूं कि हमें राष्ट्रीयकरण करना चाहिये परन्तु यदि दो उपक्रम हैं जिनमें अंशधारी हैं तो एक उपक्रम को समवाय विधि से मुक्त रखना और दूसरे पर इसे लागू करना उचित नहीं है । अतएव मैं समझता हूं कि जब तक किसी समवाय में १०० प्रतिशत अंश स्वयं सरकार के न हों किसी समवाय को समवाय विधि के उपबन्धों से मुक्त रखना एक सर्वथा गलत बात होगी ।

वित्त मंत्री ने ये पुनर्विलोकन आयोग सम्बन्धी मेरे सुझाव पर उचित ध्यान नहीं दिया परन्तु इस आयोग की बहुत आवश्यकता है क्योंकि कार्यपालिका अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है । इस लिये मेरे विचार से इसको अधिनियम में अवश्य रखना चाहिये क्योंकि इससे परामर्शदाता आयोग द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग तथा मंत्रालय द्वारा सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के ढंग का पता लग जायेगा ।

श्री मुरारका (गंगानगर—झुंझुनूं) : क्या वह प्रति वर्ष पुनर्विलोकन आयोग की स्थापना चाहते हैं ।

डा० कृष्णस्वामी : मैं यह नहीं चाहता, वह पांच वर्षों के लिये नियुक्त किया जा सकता है । परन्तु उसको वर्ष में एक बार समवाय विधि क सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये कामों का पुनर्विलोकन करना चाहिये क्योंकि इस विधि के द्वारा सरकार को बहुत अधिकार दिये गये हैं तथा जब तक उनके कार्यों की जांच नहीं होगी वह मनमानी कर सकते है ।

मुझे खेद है सरकारी समवायों को समवाय विधि से मुक्त रखा गया है । मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार को विकास की ओर चलना चाहिये तथा किसी एक विचारधारा के व्यक्तियों का पक्ष नहीं लेना चाहिये ।

श्री ए० एम० थामस (एरनाकुलम) : मैं 'सरकारी समवायों पर अधिनियम की प्रयुक्ति' के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । सभा में चर्चा के समय जनता को कुछ इस प्रकार के विचार दे दिये गये हैं कि सरकार कुछ अनुचित करना चाहती है । इसीलिये मैं देश के गैर-सरकारी संस्थाओं के विकास के सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं ।

सब से पहले १९५१ में सिंदरी उर्वरक तथा रसायन लिमिटेड समवाय बना था । १९५२ में हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, तथा नाहन फाउन्डरी लिमिटेड बने । जनवरी, १९५३ में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी बनी । १९५४ में हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक लिमिटेड, तथा हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड लिमिटेड बनी । इन में से हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक, हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड फैक्टरी, सिंदरी उर्वरक तथा हिन्दुस्तान केबल्स सरकारी समवाय हैं ।

हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि ये सभी सरकारी उपक्रम जिन्हें निगमित व्यवसाय का रूप दिया गया है, प्राइवेट लिमिटेड समवाय हैं । तथा इस विधेयक के उन उपबन्धों से उन्हें छूट दे दी गई है जिनकी छूट सार्वजनिक को प्राप्य नहीं है । इसके अतिरिक्त लगभग ये सारे समवाय ऐसे हैं जिनका पूर्ण स्वामित्व सरकार को प्राप्त है । इन समवायों की कार्यप्रणाली

आदि के सम्बन्ध में जो समझौते किये गये हैं उन समझौतों को सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

जब सभा ने समाजवादी ढंग के समाज की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है तब मुझे इसका बड़ा ही आश्चर्य है कि माननीय सदस्य फिर भी यही समझते हैं कि सरकारी समवाय देश के लिये हानिकारक हैं । इस सबके द्वारा मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि सभी सरकारी समवायों को इस समय एक ही निश्चित नमूने का बनाना सम्भव नहीं हैं । इसी कारण संयुक्त समिति ने सरकार द्वारा प्रस्तुत उपबन्धों को स्वीकार नहीं किया था । यद्यपि माननीय सदस्यों का यह कहना भी अनुचित नहीं है कि सरकारी समवायों तथा ग़ैर-सरकारी समवायों में भेदभाव रखना ठीक नहीं, फिर भी कुछ माननीय सदस्यों को छोड़ कर सभी की यह सम्मति है कि सरकारी समवायों को कुछ छूट होनी चाहिये । केवल प्रश्न यह है कि उनको किस सीमा तक छूट होनी चाहिये । संयुक्त समिति ने समवाय विधेयक के टिप्पण के पृष्ठ १७३ पर दिया है कि दण्ड आदि के खण्डों को सरकारी समवायों पर लागू करना उचित नहीं । परन्तु अंशधारियों आदि को समवाय की बातों से सूचित करने के खण्ड उन पर भी लागू होंगे । संयुक्त समिति का इस सम्बन्ध में निर्णय पृष्ठ २५ की कण्डिका १५५ पर दिया हुआ है । मैं उसको पढ़ कर सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं

मेरे मित्र डा० कृष्णस्वामी ने कहा कि इन संस्थाओं को ग़ैर-सरकारी लिमिटेड समवाय बना कर, संसद् का नियंत्रण हटा देना चाहिये । यही मतभेद ब्रिटेन में भी है । तथा डा० कृष्णस्वामी ने ब्रिटेन की व्यवस्था का ही वर्णन किया है । मेरा विचार है कि वह जानते हैं कि वहां ग़ैर-सरकारी लिमिटेड समवाय नहीं है वहां स्वतन्त्र निगम हैं । परन्तु सरकार ने यहां एक ओर तो उसे स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की स्वतन्त्रता दी तथा दूसरी ओर जनता के प्रतिनिधियों का सरकारी समवायों पर नियंत्रण भी रखा तथा यह व्यवस्था विशेष विधान से पूरी की गई है । इसके अतिरिक्त संसद् का नियंत्रण इस पर इसलिये रखा गया है कि उन सरकारी समवायों पर सामान्य सरकारी विभागों के समान सम्बन्धित मंत्री से प्रश्न किये जा सकें । जिस भी किसी सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह हो उससे मेरा अनुरोध है कि ग़ैर-सरकारी लिमिटेड समवायों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में वह उत्पादन मंत्रालय के नवीनतम प्रशासन प्रतिवेदन को पढ़ें ।

मैं एक और बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन समवायों पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का नियंत्रण होगा । इसके लेखों की परीक्षा महालेखापरीक्षक करेगा इसलिये मेरा मत है कि उनको विशेषाधिकार नहीं दिये गये हैं । यह व्यवस्था पहले भी थी तथा संयुक्त समिति ने वर्तमान व्यवस्था को ही मूर्तरूप दिया है ।

इसके पश्चात् मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या ११७१ से ११७४ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इन संशोधनों का यह उद्देश्य है कि विधेयक में इन सब उपबन्धों का करना कठिन है कि सरकारी समवायों पर कौन से खण्ड लागू नहीं होने चाहियें परन्तु अधिनियम की किसी धारा की छूट देने का निर्णय संसद् करे । यदि इस प्रकार का उपबन्ध सम्भव नहीं हैं तो हमारा सुझाव है कि जो छूट देनी हो उन्हें सरकार संसद् में प्रस्तुत करे जिससे संसद् को इसमें सुधार करने का अवसर

[श्री ए० एम थामस]

मिल सके । मुझे विश्वास है कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार कर लेगी ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि खण्ड ६१४ के अधीन लिये गये अधिकारों से सरकारी उपक्रम की कार्यपटुता पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा । क्योंकि हमें इसका सर्वदा ध्यान रखना चाहिये प्रारम्भिक जांच के समय ही मंत्री महोदय द्वारा सभा का विश्वास प्राप्त कर लिया जाता है । हमने देखा है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से तथा रूस से समझौते के समय सभा का विश्वास प्राप्त किया गया था । इस प्रकार ग़ैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू सभी उपबन्धों को सरकारी समवायों पर लागू करना उचित नहीं होगा । सभी ग़ैर-सरकारी समवायों के संविधान भी अलग अलग होंगे इसलिये इनमें समानता रखना उचित नहीं होगा ।

इस समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम १९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं तथा इसीलिये बहुत से उद्योगों के लिये ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है । सरकार का नियंत्रण सीमित उद्योगों पर ही होगा । इसके अतिरिक्त ग़ैर-सरकारी क्षेत्र इन उद्योगों को अपने हाथ में भी नहीं लना चाहता था, इसीलिये सरकार को इन्हें लेना पड़ा । इसलिये ग़ैर-सरकारी समवायों को सरकारी समवायों के समान नहीं रखा गया है । मैं तो यह कहने को तत्पर हूं कि लेखा परीक्षा आदि के कारण सरकारी समवायों को कोई विशेषाधिकार नहीं है तथा उनकी स्थिति ग़ैर-सरकारी समवायों से ख़राब ही है । पंडित भार्गव के इस कथन से मैं सहमत हू कि सरकारी समवायों को अपनी कार्य-पटुता से गैर-सरकारी समवायों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये ।

हम सरकारी समवायां में प्रबन्ध अभिकरण की व्यवस्था नहीं रख रहे हैं । तथा विधेयक का उद्देश्य हो यह है कि प्रबन्ध अभिकरण की बुराइयों को दूर किया जाये । जब प्रबन्ध अभिकरण की व्यवस्था ही सरकारी समवायों में नहीं है तब मैं नहीं समझ सकता कि प्रबन्ध अभिकरण की बुराइयों को दूर करने के उपबन्धों को इन समवायों पर क्यों लागू किया जाये । मै संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत उपबन्धों का उपयुक्त परिवर्तनों से समर्थन करता हूं ।

श्री कामत : मैं संक्षेप में खण्ड ५१६ (क) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने मेरे संशोधन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है तथा इतनी प्रार्थना करता हूं कि उस पर २-३० बजे से पूर्व विचार न किया जाये ।

मैं ने संशोधन संख्या ११५८, ११५९, ११६०, ११६१ तथा ११६२ प्रस्तुत किये हैं । संशोधन ११६२ के द्वारा मैं ने केवल यह स्पष्ट किया है कि किसी विशेष प्रकार के समवाय आदि इस अधिनियम के अधीन नहीं आते हैं । खण्ड ६३४ पर मैं ने संशोधन ११६१ प्रस्तुत किया है । मेरा विचार है कि उच्च न्यायालयों के वर्तमान नियम पर्याप्त अवधि से लागू हैं तथा इन नियमों का परिवर्तन इस समय आवश्यक नहीं है ।

खण्ड ६३२ के संशोधन संख्या ११६० के द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार परिवर्तित नियमों के साथ साथ जो परिवर्तन किये गये हों उनको भी प्रकाशित करे क्योंकि पुराने नियमों को पढ़ने के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि नियमों में क्या परिवर्तन किये गये हैं । खण्ड ६१३ के संशोधन संख्या ११५९ में मैं ने सुझाव दिया है कि लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक आदि के अधिकार केन्द्रीय सरकार को न दे कर, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को देने चाहिये ।

संशोधन संख्या ११५८ खण्ड ६११ के सम्बन्ध में है। मैं सरकारी समवायों की परिधि में कुछ अन्य समवायों को भी लाना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जिन समवायों के आधे अंश भी सरकारी हों उन्हें भी सरकारी समवाय ही समझना चाहिये। यही व्यवस्था मैं ऋण के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : सरकारी समवायों के बारे में मैं ने कई संशोधन प्रस्तुत कर रखे हैं। सर्वप्रथम मैं 'सरकारी समवाय' की परिभाषा के सवाल को लूंगा। मैं ने इस अभिप्राय के एक संशोधन की भी सूचना दे रखी है कि समवायों में सरकारी अंश ५१ प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक सीमित रहें। पूंजी पर लाभ प्राप्ति की सरकार प्रायः गारंटी देती है, भले ही धन अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में एकत्र किया जाये। यदि आप अंशों की सीमा ५१ प्रतिशत निर्धारित करते हैं तो सिवाय उन मामलों के जहां सरकारी अंशों की बहुसंख्या है, ये उपबन्ध लागू नहीं होंगे। हमें यह भी पता है कि किसी भी योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में सरकार या तो सहभागिता प्राप्त करेगी अथवा स्वयं सार्वजनिक निगम स्थापित करेगी। इसके लिये स्वयं समवाय विधि में उपबन्ध करना आवश्यक है।

हमें विदित है कि सरकारी विभागों के रूप में अथवा सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में चलाये जा रहे समवायों का प्रशासन सम्भव है। आप रेलवे, डाक व तार विभाग तथा रक्षा विभाग के उद्योगों पर दृष्टिपात कर सकते हैं। आप स्वीकार करेंगे कि उनका व्यापारिक आधार पर चलाना सम्भव हो सका है।

परन्तु मेरे कहने का सारांश यह है कि जब राष्ट्र अपने धन का विनियोग कर रहा हो तो संसद् को उस धन पर महालेखापरीक्षक द्वारा न्यूनतम नियन्त्रण अवश्य रखना चाहिये। यदि अंश ३० प्रतिशत हो तो सरकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिये कह सकती है और इस प्रकार कुछ नियन्त्रण कर सकती है। अल्पसंख्यक अंशधारी होने से वह जांच सम्बन्धी कुछ विशेष उपबन्धों का आश्रय ले सकती है।

हमने देखा है कि कई व्यवसाय बनने जा रहे हैं जिनमें सरकारी भाग होगा। मेरा निवेदन है कि जिन समवायों में सरकार का अंशधारी अथवा ऋण या लाभांश के निश्चित दर के दिये दिये जाने की गारंटी करने वाले के रूप में हित हो, यह नितान्ततः आवश्यक है कि सरकार को उन पर कोई नियन्त्रण प्राप्त हो।

कहा गया है कि किसी समवाय को सरकारी समवाय करार देने से सरकार को उसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इससे सम्भव है कि दूसरे अंशधारी सहयोग न करें। परन्तु जब सरकार को अंशों के प्राप्त करने अथवा ऋण या लाभांश की निश्चित दर के दिये जाने की गारण्टी के लिये कहा जायेगा तो उस समय प्रशासन को चलाने की पद्धति के बारे में परस्पर फैसला हो जाता है। अतः यह नितान्ततः आवश्यक है कि उस समय यह फैसला हो जाये कि उस समवाय पर इस अधिनियम की कौन कौन सी धारायें लागू हो जायेंगी।

निकट भविष्य में ऐसे बहुत से बड़े बड़े समवाय बनने वाले हैं जिनकी पूंजी पांच या दस करोड़ रुपये होगी। सरकार के बारे में कहा जाता है कि उसने टाटा जैसे व्यवसाय को उसकी पूंजी के तीन चार गुना से अधिक धन ऋण रुप से देना स्वीकार किया है। ऐसे मामलों में सरकार का इनमें कोई हित रहना चाहिये। कम से कम उसे लेखों के देखने का प्राधिकार

[श्री के० के० बसु]

रहना चाहिये। केवल सचिवों आदि को निदेशक बना कर भेज देने से कोई लाभ नहीं। वे तो प्रत्येक छः मास के बाद बदल सकते हैं। होना चाहिये कि जिन समवायों में राष्ट्र का अत्याधिक धन लगा हो, वे सरकारी समवायों में सम्मिलित कर ली जायें।

मैं श्री कामत के इस सिद्धान्त से सहमत हूं कि सरकारी समवायों को स्वयं सरकार द्वारा भागिता प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं समझना चाहिये। यदि औद्योगिक वित्त निगम जैसा कोई समवाय किसी दूसरे समवाय में अंश लेता है तो उस दूसरे समवाय को भी सरकारी समवायों के इस अध्याय के अन्तर्गत समझना चाहिये। हमारा दृष्टि कोण यह नहीं होना चाहिये "कि निजी उद्योग खण्ड चाहे नष्ट हो जायें हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है" सरकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार कर चुकी है। अतएव देश की आवश्यकताओं पर देख रेख रखने के लिये संसदीय नियन्त्रण की ज़रूरत है। सब से अधिक महत्वपूर्ण बात समवाय के कार्यों की जांच करने विषयक महा लेखा परीक्षक के अधिकार हैं। वह संसद् के अधीन नहीं है। मेरे विचार से इन समवायों के काम की देख-रेख को महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में नहीं लाया जा सकता।

संशोधन संख्या ११६५ एक नये खण्ड ६१३–ए के समावेश से सम्बन्ध रखता है जो सरकारी समवायों में २५ प्रतिशत निदेशक कर्मचारियों में से लिये जाने के बारे में है। प्रायः श्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक विशेष निदेशक नियुक्त किया जाता है। सरकारी समवायों के सम्बन्ध में हमने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मैंने २५ प्रतिशत का प्रस्ताव रखा है। मैं महसूस करता हूं कि जब तक हम सरकारी उपक्रमों में श्रम के भाव का उपबन्ध नहीं करेंगे तब तक श्रमिक ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि वे राष्ट्र के निर्माण कार्य में एकसम सहभागी हैं। श्रम का प्रतिनिधि निदेशक सचमुच उनका प्रतिनिधि होना चाहिये। हम नहीं चाहते कि इस स्थिति का लाभ उठा कर वह मंत्री या राज्यपाल बनने का प्रयत्न करें। जब सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार है कि श्रम को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये तो फिर नामीकरण क्यों हो? सरकार को चाहिये कि वह स्वयं अपने उपक्रमों में ऐसा उदाहरण कायम करे। मैं ने अपने संशोधन में यह रखा है कि २५ प्रतिशत या दो निदेशक श्रम में से लिये जायें। यदि सरकार यह स्वीकार नहीं करती तो कम से कम वह यह स्वीकार करे कि उनके प्रतिनिधि निर्वाचित हों।

आंक समिति के सदस्य के नाते मैं ने कुछ सरकारी उपक्रमों को देखा है तथा वहां पर श्रम के प्रतिनिधियों के लिये जाने के ढंग को भी देखा है। जब तक उसका सम्बन्ध किसी संघ विशेष से न हो उसे नहीं चुना जाता है। परिणाम यह होता है कि निदेशालय में जिन लोगों को श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में रखा जाता है उनका उस उपक्रम में काम करने वाले श्रमिकों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इस प्रकार के प्रतिनिधियों से कोई लाभ नहीं।

कम से कम सरकारी समवायों के सम्बन्ध में यह संविहित उपबन्ध होना चाहिये कि यदि समवायों के बनने के समय नहीं तो कम से कम उन के बनने के तुरन्त बाद एक निदेशक स्वयं श्रमिकों द्वारा निर्वाचित किया जायें। जहां तक निर्वाचन की पद्धति का प्रश्न है मैं यह चीज़ सरकार पर छोड़ता हूं। यदि सरकार मेरे संशोधन का सिद्धान्त स्वीकार करने को तैयार हो तो मुझे उसम कुछ रूपभेद आदि किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरा विचार है कि हम इन राष्ट्रीयकृत उपक्रमों के सभी कर्मचारियों के दिलों में उमंग नहीं पैदा करेंगे तो वे कभी भी राष्ट्र निर्माण में योग नहीं देंगे । प्रत्येक राष्ट्रीयकृत उपक्रम में इस बात की आवश्यकता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता से लगाकर छोटे चपरासी तक यह महसूस करें कि राष्ट्र के भावी निर्माण में उनका भी भाग है । मेरे संशोधन का जिस में एक नया खंड ६१३-क रखे जाने की अपेक्षा है यही अभिप्राय है ।

मेरे नाम में एक और संशोधन भी है—संशोधन संख्या ११५० । इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि वित्त मंत्री द्वारा रखे गये संशोधन में "after consultation with" ["से परामर्श करने के बाद "] शब्दों के स्थान पर "on the advice of" ["की सलाह पर"] शब्द रखे जायें । उस संशोधन से वित्त मंत्री का अभिप्राय यह है कि किसी सरकारी समवाय का लेखापरीक्षक भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद नियुक्त अथवा पुन नियुक्त किया जायेगा । मैं चाहता हूं कि लेखापरीक्षक नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर नियुक्त किया जाये । इन दो चीजों में फ़र्क है ।

अब मैं निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । मुझे-पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्रों को कुछ विशिष्ट उद्योगों के सम्बन्ध में कायम रखना लोक-हित में होगा । सरकारी क्षेत्र के विषय में मुझे यह कहना है कि सब बातों को देखते हुये यह संसद् के नियंत्रणाधीन होना चाहिये ।

कुछ दिनों से यह कहा जा रहा है कि यदि सरकारी क्षेत्र को किसी प्रकार की स्वायत्तता न दी गई तो उसका विकास नहीं होगा । इस सिद्धान्त का एक परिणाम यह होगा कि नौकरशाही बहुत बढ़ जायेगी । स्वायत निकायों में कार्य करने वाले पदाधिकारी अपने आप को सर्वशक्तिमान् समझने लगेंगे । मेरा विचार है कि वे संसद् के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रहें । भविष्य में सरकारी क्षेत्र के विकास होने की सम्भावना है । इस परिस्थिति में यह उचित ही होगा कि ये सरकारी उपक्रम संसद् के अधीन रहें ।

सरकारी समवायों की स्वायत्तता के प्रश्न से कारोबार में अधिक कुशलता नहीं आई है । इसलिये मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि ये उपक्रम निगमों या सीमित समवायों के रूप में कार्य करें ।

लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति की भांति संसद् सदस्यों की एक और समिति बना दी जाये जो मंत्रालयों को इन उपक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में सलाह देती रहें । उस समिति का प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जा सकता है और उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है । इस समय इन उपक्रमों पर संसद् का कोई वास्तविक नियन्त्रण नहीं है । लोक लेखा समिति तो कहीं तीन चार वर्ष बाद जांच करती है जिसका कोई विशेष लाभ नहीं है । प्राक्कलन समिति भी एक वर्ष में दो से अधिक मंत्रालयों के प्राक्कलनों की जांच नहीं कर सकती । इसलिये मैं स्वायत्त उपक्रमों में अधिक विश्वास नहीं रखता । मैं चाहता हूं कि या तो प्रबन्धकों का एक नया वर्ग (काडर) स्थापित किया जाये या इन समवायों पर संसद् का नियन्त्रण हो ।

डा० कृष्णस्वामी ने सुझाव दिया कि एक पुनर्विलोकन प्राधिकार स्थापित किया जाये । मैं समझ नहीं सका कि यह किस प्रकार का होगा । यदि यह संसद् सदस्यों की एक समिति होगी तब तो मैं इसके लिये तैयार हूं । परन्तु यदि विचार यह है कि

[श्री के० के० बसु]

उसमें सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विशेषज्ञ हों, तो यह बेकार होगी और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैंने एक संशोधन भी रखा है जिसका अभिप्राय यह है कि महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और समवायों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवर्तन पर सरकार का प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखे जायें और संसद् को उन पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये। संसद् को यह अधिकार होना चाहिये कि वह इस अधिनियम के प्रवर्तन पर चर्चा कर सके क्योंकि समवाय विधि केवल समवाय प्रबन्धकों तथा अंशधारियों के बीच का ही मामला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव उस आर्थिक नीति पर अमल किये जाने पर भी पड़ेगा जिसका अनुसरण करने का निदेश संसद् ने सरकार को दिया है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यदि खंड ६१४ को वर्तमान रूप में पारित कर दिया गया तो देश में इसकी आलोचना होगी। इस खंड में यह उपबन्ध दिया गया है कि सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि अधिसूचना में उल्लिखित इस अधिनियम का कोई भी उपबन्ध (धारा ६१२ और ६१३ के अतिरिक्त) किसी सरकारी समवाय पर लागू नहीं होगा। इस उपबन्ध से तो सरकारी समवाय अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्णतः उन्मुक्त हो जायेंगे। केवल खंड ६१२ और ६१३ सरकारी समवायों पर अनिवार्य रूप क लागू होंगे।

मुझे इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि वित्त मंत्री इतनी अधिक शक्ति किसी बुरे इरादे से नहीं ले रहे हैं। फिर भी, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि कुछ महत्वपूर्ण, उपबन्ध सरकारी समवायों पर भी लागू होंगे। उदारहण के लिये खंड १९७ को ही लीजिये। यह एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है। इसमें कहा गया है कि कुल प्रबन्धकीय परिश्रमिक लाभ का ११ प्रतिशत होगा। इसमें यह कहा जाना चाहिये कि यह उपबन्ध सरकारी समवायों पर भी लागू होना चाहिये। जानता हूं कि सरकारी समवायों में प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव और कोषाध्यक्ष नहीं रहेंगे, परन्तु फिर भी वहां प्रबन्धक अथवा निदेशक तो रहेंगे ही। इसलिये यह उपबन्ध सरकारी समवायों पर भी लागू होना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : यह कैसे किया जायेगा ? क्या कोई ऐसा संशोधन है जिसमें उन खंडों की संख्यायें दी गई हों जिनके प्रवर्तन से कोई समवाय विमुक्त नहीं होगी ? या माननीय सदस्य कुछ ऐसे खंड चुन लेंगे जिनके सम्बन्ध में कोई विमुक्ति नहीं दी जायेगी। इसके लिये संशोधन रखना होगा जिस से यह उपबन्ध हो कि खंडों के.....

श्री एन० सी० चटर्जी : खण्ड ६१२ और ६१३ पहले ही मौजूद हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं जानता हूं। क्या इन खण्डों में और भी जोड़ने हैं ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यही तो बता रहा हूं। यह तो बड़ी सरलता से किया जा सकता है। यदि माननीय मंत्री को स्वीकार हो और वह इस प्रश्न के विषय में स्पष्ट धारणा रखते हों तो अभी इस पर विचार किया जा सकता है। कम से कम उन्हें सभा को इन मामलों के सम्बन्ध में यह आश्वासन तो देना ही चाहिये कि सरकार का कोई भी विचार अधिकतम राशि में में बृद्धि करने अथवा इस अधिनियम में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उससे मुख मोड़ने का नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड १९७ का उदाहरण लेना ठीक नहीं क्योंकि उसमें अपवादों के लिये अनुमति है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या मैं यह समझूं कि सरकार की राय खण्ड १९७ को लागू करने की नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं, मेरा यह तात्पर्य नहीं है । खण्ड १९७ से सरकार को छूट देने का अधिकार मिला है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या सामान्य इच्छा और संविधि का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के मामले में ११ प्रतिशत सामान्यतः अधिकतम पारिश्रमिक होना चाहिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उन परिस्थितियों की बात कर रहा हूं जिनमें लाभ नहीं होता । एक नये सार्थ में, जब कि लाभ न होता हो और न्यूनतम ५०,००० रुपये के बढ़ने की सम्भावना हो, केवल तभी अपवाद का प्रश्न उत्पन्न होता है । अब जैसा कि खण्ड पारित हुआ है, उसमें इन अपवादों की व्यवस्था की गई है । अतः खण्ड १९७ से, जैसा कि पारित हुआ है, कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकलता क्योंकि सरकार स्वयं ही निर्णायक प्राधिकार है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : फिर भी सरकार निर्णय तो किसी न किसी सिद्धान्त के आधार पर ही करेगी । सामान्यतः तो कुल पारिश्रमिक ११ प्रतिशत रखा गया है ।

एक दूसरा उदाहरण लीजिये । हम अल्पसंख्यक अंशधारियों के दमन आदि के विषय में बहुत चर्चा करते रहे हैं । उसके विरुद्ध हमने विशेष उपबन्ध भी बनाये हैं । यह भी उपबन्ध है कि कोई भी सदस्य किन्हीं मामलों में न्यायालय की शरण ले सकता है । तो क्या आप केवल इतनी ही विमुक्ति देंगे कि किसी भी ऐसे मामले में जिसमें सरकार समवाय का प्रबन्ध कर रही हो, अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ चाहे कैसा ही दुर्व्यवहार क्यों न किया जा रहा हो, उसमें इन धाराओं के उपबन्धों को लागू नहीं किया जा सकता ? क्या ऐसा करना न्यायोचित होगा ?

खण्ड ३९६ को देखिये । उसमें विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने की व्यवस्था की गई है ।

क्या सरकार का विचार यह है कि कुप्रबन्ध के मामले में यह खण्ड लागू नहीं होगा, अथवा चूंकि समवाय का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस कारण समवाय का सदस्य इनका सहारा नहीं ले सकता ? अतः मेरे विचार से सरकारी समवायों को विमुक्ति देना उचित नहीं होगा ।

इसी प्रकार समवायों के समापन के लिये कुछ मामलों में अनुमति दे दी गई है । क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार यह है कि किसी भी सरकारी समवाय का चाहे उसमें कितना ही कुप्रबन्ध क्यों न हो अथवा हानि क्यों न हो रही हो, समापन नहीं किया जायेगा ? क्या कई वर्षों से घाटे में चलने वाले किसी सरकारी समवाय के अंशधारियों को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय में समवाय के समापन के लिये आवेदन कर सके ? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं । कुछ मामलों में तो ऐसा करना बिल्कुल ही उचित न होगा ।

संयुक्त समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा था कि अंशधारियों को जानकारी देने और आंकड़े प्रस्तुत करने सम्बन्धी उपबन्ध सरकारी समवायों पर भी अन्य समवायों की भांति ही लागू होना चाहिये । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा है कि न केवल निजी समवायों में ही वरन्, सरकार द्वारा

[श्री एन० सी० चटर्जी]

प्रबन्धित समवायों में भी कुछ दोष है । अतः यह राष्ट्रीय हित की दृष्टि से और हमारे अपने हित की दृष्टि से भी आवश्यक है कि इस विधेयक में की गई सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा प्रबन्धित समवायों में भी लागू किया जाये । इससे एक लाभ यह होगा कि लोगों को यह विश्वास हो जायेगा कि मंत्री तथा सरकार कोई भी चीज़ छिपायेंगे नहीं । अतः माननीय मंत्री को चाहिये कि वे जनता और संसद् को इस बात का आश्वासन दें कि जहां तक सरकारी समवायों का सम्बन्ध है कोई भी चीज़ छिपाई नहीं जायेगी अथवा समवाय विधि को निष्प्राण बना देने का कोई भी विचार नहीं है । अब हम इसका क्षेत्र व्यापक बना रहे हैं अर्थात् यदि इसमें ५१ प्रतिशत सरकारी अंशधारी होंगे तो वह सरकारी समवाय समझा जायेगा । इस कारण इस बात की और भी अधिक आवश्यकता है कि इन कल्याणकारी उपबन्धों को लागू किया जाये जिससे कि आगे चल कर किसी प्रकार की ढीला-ढाली न हो अथवा सरकार को जो कुछ भी वह चाहे उसे करने की शक्ति केवल इस कारण न मिल जाये कि वह समवाय विशेष को चला रही है अथवा प्रबन्ध में उसका अधिक हाथ है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत विधेयक की कुछ बातों को ले कर बड़ी साधारण सी बातों को भी उलझा दिया है । मैं विशेषकर विरोधी पक्ष के उन सदस्यों के विषय में सोच रहा हूं जिन्होंने ग़ैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों की सापेक्ष कुशलता का उल्लेख किया था । मैं नहीं समझता कि यहां पर इस विवाद में पड़ना उचित होगा क्योंकि हमने जिन उपबन्धों का सुझाव दिया है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका तात्पर्य सरकारी क्षेत्र को, संतुलन करने के लिये, अनुचित लाभ पहुंचाना हो । माननीय सदस्य ने संसदीय नियंत्रण का प्रश्न भी खड़ा किया है । यह एक अलग प्रश्न है जो अभी समाप्त भी नहीं हुआ है । यह प्रश्न एक बार इस समाचार के आधार पर उठाया गया था कि इंगलिस्तान में एक विशेष संसदीय समिति ने सिफ़ारिश की थी कि नीति के दृष्टिकोण से सरकारी समवायों और निगमों के कार्यों की जांच के लिये एक विशेष संसदीय समिति की स्थापना की जाये । हमने उस विषय में जांच-पड़ताल की, और उससे यह पता लगा कि उस सिफ़ारिश को संसद् ने नहीं स्वीकार किया । मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्यों को यह बात ज्ञात है या नहीं, किन्तु हमारी जानकारी यही है कि वह स्वीकार नहीं की गई । अतः संसद् इस विषय में जैसा भी चाहे दृष्टिकोण रख सकता है ।

प्रयोग रीति से हमने यह दृष्टिकोण सम्मुख रखा था कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को ही इस मामले को निबटाना चाहिये । किन्तु यह तर्क दिया जा सकता है कि जब किसी सरकारी समवायों और निगमों के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा हो, तो कुछ एतदर्थ प्रबन्ध करना पड़ेगा क्योंकि ये दो समितियां अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त सरकारी समवायों के कार्यों की जांच नहीं कर सकेंगी । मेरा कहना यह है कि जब यह स्थिति आ जायेगी, तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि कोई यह सुझाव देगा और सम्भवतः सरकार यह स्वीकार भी कर लेगी कि संसद् को किसी विशेष प्रबन्ध के लिये सहमति दे देनी चाहिये । किन्तु सारतः इसका सामान्य आधार पर निर्णय करना—इस आधार पर नहीं कि किसी मामले में सरकार का कितना अंश है—सरकार पर निर्भर करता है । यहां हम केवल अंशधारिता के प्रश्न को ले रहे हैं ।

अन्य तरीकों से भी सरकारी धन लगाया जाता है और यदि नियंत्रण ढीला हो जाये तो गड़बड़ हो सकती है । एक माननीय सदस्य ने, जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था, ऋणों और प्रत्याभूतियों का उल्लेख किया था । जहां तक मैं देखता हूं, यह ऐसी क्रिया है जो ज्यों ज्यों हम आयोजित अर्थ व्यवस्था को कार्यान्वित करते जायेंगे, लगातार बढ़ती ही जायेगी । और उन सारे मामलों को समवाय विधि की सीमा में लाना सम्भव नहीं है । सरकार का हित थोड़ा भी हो सकता है और अधिक भी जिसमें संसद् का इस बात पर ज़ोर देना ठीक ही होगा कि संसदीय नियंत्रण लागू किया जाना चाहिये । अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि हमें संसदीय नियंत्रण के मामले को सरकारी समवाय की परिभाषा के प्रश्न से और उस पर नियंत्रण रखने के सीमित पहलू, अर्थात्—नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा लेखा परीक्षा—से अलग रखना चाहिये । उक्त संशोधन में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सरकारी समवाय केवल वे ही समवाय नहीं होने चाहिये जिनके लिये ऋण अथवा प्रत्याभूति हो वरन् इसमें वे उपक्रम भी आ जाने चाहियें जिनको ऐसे समवायों से ऋण अथवा पूंजी प्राप्त होती है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि एक समय आयेगा जब कि इस देश के सारे ही समवाय सरकारी समवाय हो जायेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): यह अंशों के बहुमत से होना चाहिये—५१ प्रतिशत ।

श्री सी० डी० देशमुख: इसका बहुमत से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । दूसरा संशोधन यह है कि इसे घटा कर ३० कर दिया जाये । अतः मैं जो समझता हूं वह यह है । एक उदाहरण इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का दिया गया था । इसका कितने समवायों में अंश है । यह तो ईश्वर ही जाने, और उन सारे समवायों को सरकारी समवाय ही समझा जाना चाहिये । यदि सरकार ने एक ऋण को औद्योगिक ऋण और विनियोग नियम की मर्ज़ी पर रख दिया है, जैसा कि हमने किया है, क्योंकि इसका निर्माण दायित्व ग्रहण करने और दूसरे समवायों को ऋण देने के लिये किया गया है, तो उन सारे समवायों को सरकारी समवाय समझा जाना चाहिये । मैं कहता हूं कि यह तो संसदीय नियंत्रण के सिद्धान्त की मर्यादा भ्रष्ट करना होगा । संसद् को नियंत्रण ढीला नहीं करना चाहिये, इस प्रकार के सुझाव में रुकावट डालने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति हूंगा और सरकार के सम्मुख जो भी उपाय हैं उन्हें सरकार कार्यपालिका द्वारा अवश्य स्वीकार कराये—चाहे यह वार्षिक प्रतिवेदन हो और चाहे नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन हो, चाहे कोई अन्य विशेष प्रतिवेदन हो । कुछ भी हो हमने जो परिभाषा की है उसके अनुसार औद्योगिक वित्त निगम सरकारी समवाय नहीं है । माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिये गये संशोधन के अधीन तो यह उस समय भी सरकारी समवाय होता जब कि यह प्रारम्भ हुआ था ।

श्री के० के० बसु: तो फिर कोई दूसरा संशोधन रखा जाता ।

श्री सी० डी० देशमुख: यही तो कठिनाई है क्योंकि यह किसी चीज़ की अच्छाइयों को ध्यान में न रख कर संशोधन रखना है, इसलिये किया जाता है । यदि यह सिद्धान्त की बात है, तो मैं कहता हूं कि उस मामले में २० प्रतिशत रक्षित बैंक के पास था जिस पर उस समय सरकार का अधिकार नहीं था । यह तो १९४८ की बात है । तत्पश्चात् रक्षित बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, और उस का शेष बैंकिंग समवायों, बीमा समवायों

[श्री सी० डी० देशमुख]

और सहकारी समितियों के पास रहा, फिर भी अभी हमने समय नहीं खोया है और हमने इस बात की व्यवस्था कर के ठीक ही किया है कि जहां कहीं भी सरकारी धन लगा है वहां प्रत्याभूति हो । अतः इस प्रकार के समवाय अथवा इस प्रकार के निगम के कार्य संचालन की आलोचना हम जब भी चाहे कर सकते हैं । मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि स्वायत्तता का अर्थ आवश्यकता से अधिक निकाल लिया जाये । जहां तक संसद् का सम्बन्ध है, मैं स्वयं ही स्वायत्तता में अधिक विश्वास नहीं रखता और यही भावना किसी समय दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में थी । उनके मस्तिष्क में यह भावना थी कि "चूंकि संसद् ने हमें यह अधिकार दिया है, इस कारण हम स्वायत्त हैं ।"

मैं नवम्बर, १९४९ में दिल्ली आया था । उस समय दामोदर घाटी निगम और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में परस्पर खिंचाव था क्योंकि दामोदर घाटी निगम का दावा था कि वह स्वायत्त है । मैं किसी भी विद्यमान कठिनाई का उल्लेख नहीं करना चाहता । वे सारी कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं और यह भावना उत्पन्न हो गई है तथा यह कहने में मैं माननीय सदस्य के साथ हूं कि इन सारे निगमों, स्वायत्त निकायों आदि को संसद् के नियंत्रण के अधीन रखना चाहिये और संसद् को अपना नियंत्रण काम में लाना चाहिये । संसद् को प्रत्येक छोटी से छोटी बात अथवा जो भी धन व्यय किया जाता है उसका पता होना चाहिये । कुछ भी हो, हम हज़ारों संस्थाओं को अनुदान देते हैं । क्या ये सारी सरकारी संस्थायें हैं ? क्या गूंगे-बहरों का स्कूल, जिसे १०,००० रुपये अनुदान मिलता है, सरकारी संस्था है ? इसके लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये और महालेखापरीक्षक को स्वयं जा कर उक्त संस्था के लेखों की लेखा परीक्षा करनी चाहिये ।

श्री के० के० बसु : किन्तु उस दशा में भी सरकार कुछ रोक रखती है । आपके कुछ नियम होते हैं जिनके अन्तर्गत वे आते हैं । यह उन्हें धन देने हैं और जो कुछ वे चाहें करने के लिये छोड़ देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने मेरे लिये एक बात उठाई है । अतः विधि के अलावा, सरकार को अपने हितों को जानना और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिये । मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि मान लीजिये कि यदि १०,००० रुपये का भी अपव्यय होता है तो इसके लिये सम्बन्धित मंत्रालय अथवा सरकार उत्तरदायी है और यदि बाद को यह जान पड़े कि इन अनुदानों का अपव्यय हो रहा है तो निश्चय ही सरकार यह दिखा सकती है कि सरकार उसका पता लगाने के लिये यथोचित ध्यान दे रही है । अतः सरकार यह नियम बना सकती है कि जिस किसी को भी कुछ उधार या ऋण अथवा प्रत्याभति मिलती है उसे नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाने की बात से सहमत होना चाहिये । यह विषय प्राप्तकर्ता और सरकार के बीच समझौता होने का है । इसी प्रकार मुझे यह जान पड़ता है इस मामले में भी समझौता हो सकता है जो कि सरकारी निदेशक की नियुक्ति अथवा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा लेखा परीक्षा से हो सकता है । ऐसे मामलों में जहां हमारा प्रमख हित नहीं होता वहां हम या तो ऐसा नियम रखते हैं या बना सकते हैं जिसके द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक लेखों की परीक्षा कर सकें । अतः उस सामान्य विषय को हमें सरकारी समवाय की परिभा ।

बनाने के प्रश्न से अलग रखना चाहिये । मैं सुझाव देता हूं कि चूंकि हम ८० से ५१ पर आ गये हैं वास्तव में हमने सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर ली है अर्थात् यदि सरकार का बहुमत हो और यदि सरकार का प्रभावी नियंत्रण हो तो उसे सरकारी समवाय समझा जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि उन शब्दों का प्रयोग ठीक समझा जायेगा ।

हमने जब संयुक्त समिति के सम्मुख यह सूची रखी तो संयुक्त समिति ने उसके ब्यौरे पर विचार नहीं किया । हमने कहा था कि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें हम अनुभव करते हैं कि विधि लागू नहीं होगी, किन्तु जब उसे घटा कर ५१ कर दिया गया था तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मूल सूची रह ही नहीं सकती । दूसरे शब्दों में भले ही संयुक्त समिति ने अनुसूची में एक सूची सम्मिलित करने का विचार किया हो तो भी वह सूची नहीं रख सकती थी । मैं इस आलोचना को स्वीकार करता हूं कि जब अल्पसंख्यक अंशधारी हैं तो स्पष्टतः उन्हें दमन से संरक्षण दिया जाना होगा । विवरण-पत्रिका आदि का महत्व इस लिये है कि हज़ारों लोगों ने अभ्यावेदन किये हैं और कोई कारण नहीं कि राज्य समवायों को क्यों विमुक्त किया जाये । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह अभिप्राय नहीं है । हमारी कठिनाई—और मेरे विचार में संयुक्त समिति की कठिनाई भी—यह थी कि इन सब को उन समवायों पर कैसे लागू किया जाये जिन में सरकार का भाग ५१ से १०० प्रतिशत तक है जिन समवायों में सरकार का १०० प्रतिशत भाग है माननीय सदस्य उन्हें विमुक्त करना चाहते हैं । अन्य देशों में भी जब राष्ट्रीयकरण विधि पारित की गई थी तो विमुक्तियां देनी पड़ी थीं । किन्तु एक विभाग द्वारा व्यवस्था करना और बात है । सरकार की मंशा चाहे कुछ भी हो हमें इस पर सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है । मुख्य कारण यह है कि दिन प्रतिदिन के मामलों में विभागीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसी अवस्था में लालफीताशाही होना अनिवार्य है । एक ओर तो लाल फीताशाही की शिकायत है किन्तु दूसरी ओर इस उपाय के विरुद्ध जिस के द्वारा हम इन समवायों के दिन प्रतिदिन के कार्य को मंत्रालयों के हस्तक्षेप से बचाना चाहते हैं कोई शिकायत नहीं हो सकती । इन समवायों को बनाने का यही केवल एक कारण है । हम उन समवायों के बीच जिन में सरकार के ८० या ९० प्रतिशत अंश हैं और जिनमें ५१ प्रतिशत अंश हैं भेद करना चाहते हैं । यदि धारा १९७ या ३९६ के द्वारा इस का उचित रूप से निर्णय किया जा सके तो मैं ऐसे उपबन्ध को सहर्ष स्वीकार करूंगा । किन्तु मेरा अपना विचार यह है कि ऐसा करना अत्यधिक कठिन होगा । इस लिये हमारे लिये केवल विमुक्ति का उपाय रह जाता है ।

मुझे हर्ष है कि सब से बाद में बोलने वाले माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री पर यह सन्देह नहीं किया कि वह इन संस्थाओं में नौकरशाही चलाना चाहते हैं । मेरे विचार में ऐसा करने से कोई लाभ भी नहीं होगा ।

मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हू जिन्होंने ये संशोधन दिये हैं कि उचित उपाय यह है कि मामले को संसद् के सामने रखा जाये । यदि हर बार मामला संसद् के सामने आये तो क्या खतरा है ? हम अपनी सब अधिसूचनायें संसद् के सामने रखेंगे । हम कहेंगे कि इन कारणों से हम इन धाराओं को लागू नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा करना हास्यास्पद होगा । मैं ने एक माननीय सदस्य का तर्क नोट कर लिया है : यदि कोई चीज़ लागू नहीं होती तो न हो । यदि आप सदस्यों

[श्री सी० डी० देशमुख]

की शिकायतें नहीं चाहते तो शिकायत करने वाले सदस्य ही नहीं रहने चाहियें। इसके विपरीत कुछ और मामलों में हम किसी विशिष्ट उपबन्ध पर शब्दशः पालन नहीं कर सकते। हम इन सब बातों को संसद् के सामने रखेंगे। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

इसके दो रूप हैं। एक संख्या ११६७ है और दूसरा संशोधन संख्या ११७१ और ११७२। हम दूसरे रूप को अर्थात् संख्या ११७१ और ११७२ को पसन्द करते हैं किन्तु थोड़े से रूप भेद के साथ। मैं इसे पढ़ता हूं :

"A copy of every notification proposed to be issued under sub-section (1) shall be laid in draft before both Houses of Parliament for period of not less than thirty days while they are in session and if during that period either House disapproves of the issue of the notification or approves of such issue only with modifications, the notification shall not be issued or as the case may require, shall be issued only with such modification as may be agreed on by both the Houses."

["उपधारा (१) के अन्तर्गत निकालने के लिये प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति आलेख रूप में संसद् की दोनों सभाओं के सत्र में होने पर उन के सामने ३० दिन से अन्यून अवधि के लिये रखी जायेगी और यदि उस अवधि में दोनों में से कोई सभा उस अधिसूचना के निकाले जाने का अनुमोदन नहीं करती या उनके निकाले जाने का रूपभेद सहित ही अनुमोदन करती है तो अधिसूचना न निकाली जायेगी, या विषय द्वारा जैसा अपेक्षित हो, उन रूपभेदों के साथ ही निकाली जायगी जिनमें दोनों सभायें सहमत हों।"]

इसका प्रारूप फिर से बनाया गया है। मेरे विचार में इस से सब उचित उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। मैं इसे दे दूंगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या यह अधिसूचना तब तक जारी नहीं होगी जब तक कि इसे संसद् के सामने न रखा गया हो ?

श्री सी० डी० देशमुख : संशोधन में लिखा तो है कि :

'उपधारा (१) के अन्तर्गत निकालने के लिये प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति आलेख रूप में संसद की दोनों सभाओं के सत्र में रखी जायेगी और उन रूपभेदों के साथ ही निकाली जायेगी जिनमें दोनों सभायें सहमत हों।'

यह इस प्रकार होगा मानो आप प्रत्येक अवसर पर विधान बना रहे हों। मेरे विचार में इससे सब उचित मांगें पूरी हो जानी चाहियें।

अगली बात ऐसी अधिसूचना का प्रारूप तैयार करने से पहले परामर्श लेने की है। मैं श्री टी० एस० ए० चेट्टियार का संशोधन संख्या ११४ स्वीकार करता हूं। हम खंड १०४ पारित कर चुके हैं और उस समय मंत्रणा आयोग सम्बन्धी सब मामलों पर — कि किन मामलों को निर्दिष्ट किया जाये और किन को न किया जाये—चर्चा की गई थी। तथा मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम

अधिसूचना तैय्यार करने से पहले मंत्रणा आयोग की सलाह लेंगे और इसे सदन के सामने रखेंगे । मेरे विचार में यह व्यवस्था सभा के लिये संतोषजनक होनी चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र के लिये नैतिकता या सदाचार का कोई विशेष मानदंड निश्चित करने का प्रश्न नहीं है और न ही हमारे लिये आरोप लगा कर या स्केफ को रिपोर्ट पढ़ कर इन के सम्बन्ध खराब करने की आवश्यकता है । (अन्तर्बाधा) इस रिपोर्ट के बारे में बहुत विवाद है और इस मे दिये गये तथ्य भी सत्य नहीं हैं । किन्तु यह उत्पादन मंत्रालय का मामला है, इसके प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि किसी न किसी समय हमें इस मामले पर चर्चा करने का अवश्य अवसर मिलेगा । किन्तु ये सब तथ्य आवश्यक रूप से सही नहीं हैं । कहा गया है कि जब हरिहर में एक फर्म ये वस्तुयें बनाने लगी, सरकार तुरन्त उन्हें जलाहाली कारखाने में बनाने लगी और यह एक बहुत ही अनैतिकता की बात समझी गई है । यह कथन बिल्कुल एक पक्षीय है । सरकार का मशीनी औज़ार का कारखाना स्थापित करने का विचार हरिहर के कारखाने द्वारा उत्पादन शुरू किये जाने से बहुत पहले हुअ था । मैं ने दोनों का दौरा किया है और उत्पादन मंत्रालय और कारखाना चलाने वाले लोग दोनों से बातचीत की है । कठिनाई यह है कि उस समय तक जब कि सरकार ने निश्चय किया था, पूंजी इकट्ठी हो गई थी, काम शुरू हो चुका था और विशेषज्ञ आ चुके थे । समय गुज़रता गया । इस बीच में मशीनी औज़ार बनाने वालों की एक प्रारम्भिक बैठक से यह मालूम हुआ कि ऐसा करना ठीक होगा और देश में सब के लिये काफ़ी सामान है । उस समय जब यह सब कुछ तय हो चुका था और कारखाना चलने लगा—इस का उदघाटन अक्तूबर में होगा—तो दूसरे कारखाने ने भी काम शुरू कर दिया था और इस का कहना है कि सरकार इन खरा ों को तैयार न करे । उसके बाद, स्थिति फिर बदल गई है । इस के फलस्वरूप उन्होंने अपना उत्पादन लक्ष्य घटा कर ४०० कर दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बीच में हम अधिक औद्योगीकरण की सोच रहे हैं और हलके तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये ४५ लाख टन इस्पात का लक्ष्य रखा है । हमें अपनी योग्यता से यह मालूम करना होगा कि मशीनी औज़ारों की मांग कितनी होगी । मुझे संदेह नहीं कि सब मशीनी औज़ार निर्माताओं का और हमारा एक सामान्य उत्पादन कार्यक्रम होगा । मुझे यह विश्वास नहीं कि हम सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे । इस लिये मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि वह इस रिपोर्ट से अत्यधिक प्रभावित न हो । कुछ भी हो, यह दुरुपयोग का मामला नहीं है और यहां "अनैतिकता" का शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है । मैं इस मामले को यहां समाप्त करता हूं ।

मेरे विचार में सभा उस संशोधन से जिसका फिर से प्रारूप बनाया गया है, और जिसे मैं स्वीकार करने वाला हूं सन्तुष्ट है ।

दूसरा प्रश्न पुनर्विलोकन आयोग का है । इस सम्बन्ध में मैं विरोधी माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं । मैं वास्तव में यह समझ नहीं सका कि पुनर्विलोकन आयोग क्या है । कुछ दिन पहले मैं ने मंत्रणा आयोग का गठन बताया था । मैं ने कहा था कि इस का अध्यक्ष कोई न्यायाधीश या पर्याप्त अनुभव वाला राजनीतिज्ञ होगा । मेरे विचार में यह एक अधिकृत लेखापाल होना चाहिये—अध्यक्ष या यदि वह न हो, तो कोई भूतपूर्व अध्यक्ष । मैं ने यह भी कहा था कि श्रमिकों का भी एक ऊंचे दर्जे का व्यक्ति होना

[श्री सी० डी० देशमुख]

चाहिये । मुझे खेद है कि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उन्होंने कहा था कि एक सदस्य अधिकृत लेखापाल होना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि एक लेखापाल दूसरे के काम पर अप्रत्यक्षरूप से रिपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि सभा को याद होगा कि हम ने मंत्रणा आयोग की लगभग सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार करने का वचन दिया है । ऐसे मामले में इस पुनर्विलोकन आयोग की रिपोर्ट में मंत्रणा आयोग के काम पर आलोचना होगी । मेरे विचार में, यदि वर्ष के अन्त में एक पुनर्विलोकन आयोग द्वारा मंत्रणा आयोग के काम का पुनर्विलोकन किया जाना हो तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उसका सदस्य होना नहीं चाहेगा और न ही कोई स्वाभिमानी मंत्री यह बात मानेगा कि कोई पुनर्विलोकन आयोग केन्द्रीय सरकार के काम का पुनर्विलोकन करे, क्योंकि आयोग को वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर अन्दर रिपोर्ट करनी पड़ती है । मेरे विचार में यह विचार बिल्कुल बेहूदा है और यदि कोई पुनर्विलोकन आवश्यक भी हो, तो यह संसद् की ओर से होना चाहिये । यदि संसद् यह कहें : "हम ने इन रिपोर्टों का अध्ययन किया है और इन पर समय समय पर चर्चा की है, किन्तु हम सन्तुष्ट नहीं हैं कि सरकारी क्षेत्र में उपक्रम ठीक चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारे मामले की जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये", तो यह और बात है । ऐसी बात नहीं है कि सब बातें ग़लत ही होंगी । पुनर्विलोकन समितियां सामान्यतया विशेषज्ञों की समितियां होती हैं जिन्हें अधिक ऊंचे या व्यापक क्षेत्र के लिये नियुक्त किया जाता है । उदाहरणतया हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के काम के पुनर्विलोकन के लिये एक पुनर्विलोकन समिति है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक कहते हैं : "हमें अपने क्षेत्र में—चाहे यह फ़िज़िक्स हो या कुछ और—अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का निर्णय चाहते हैं । वे आ कर हमें बतायें कि हमारी गवेषणा के बारे में उन की क्या राय है" । ये दो क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । उन्हें अनुभव है जो कि इस देश तक सीमित नहीं और मेरे विचार में यह बड़ी क़ीमती चीज़ है । किन्तु यहां यह सुझाव है कि उसी मामले को दुहराया जाये । इसलिये मैं पुनर्विलोकन आयोग सम्बन्धी संशोधन का सख्त विरोध करता हूं ।

मेरे विचार में मैं दो महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर चुका हूं । अब मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेता हूं जो सब से कम कठिन हैं । खंड ६१९ तुच्छ या परेशान करने वाले अभियोग के मामलों में प्रतिकर देने के बारे में है । एक संशोधन यह है कि शब्द "झूठा और तुच्छ या परेशान करने वाला" होने चाहियें, अर्थात् इस की भाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २५० की तरह होनी चाहिये । मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं, क्योंकि दो अपरिचित व्यक्तियों में से एक को इस धारा के अधीन दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि दंडाधिकारी इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि जे केवल तुच्छ या परेशान करने वाला था, बल्कि झूठा भी था । एक ही परिवार के सदस्यों के बीच, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि तुच्छ या परेशान करने वाली शिकायतों से किसी व्यक्ति को इस के अन्तर्गत लाया जा सकता है क्योंकि परिवार के अन्दर कुछ और चीज़ें चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परिवार के बाहर भी, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, दोनों चीज़ें सिद्ध होनी चाहियें ।

श्री सी० डी० देशमुख : यही तो मैं कहता हूं । मैं इसे स्वीकार करता हूं । अतः

किसी परिवार के सदस्यों को केवल इस आधार पर कि कोई चीज तुच्छ या परेशान करने वाली है, प्रतिकर देने के लिये बाध्य करना ग़लत है । मुझे इस में बिल्कुल संदेह नहीं कि दंडाधिकारी या न्यायालय इस उचित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि "तुच्छ और परेशान करने वाला", "झूठा, तुच्छ और परेशान करने वाला होगा" । किन्तु मैं यह कहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है । एक साधारण सदस्य यह नहीं जान सकेगा कि वह कब "तुच्छ" रहा है और कब "परेशान करने वाला" । वह केवल एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख सकता है, वह समवाय के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा और समवाय जिसे तुच्छ और परेशान करने वाली समझती है, वह एक छोटे अंशधारी की दृष्टि में सच्ची शिकायत हो सकती है । इस लिये मैं इसे स्वीकार करता हूं । मैं इस की संख्या नहीं जानता, यह ८७ या ८८७ है ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सूची के अनुसार यह ८८७ है ।

मुझे खेद है कि मैं अन्य संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता किन्तु मैं एक का उल्लेख करता हूं और यह सरकारी समवायों मे कर्मचारियों को २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के बारे में है । इस पर तर्क वितर्क हुआ है और मैं ने कहा है कि इस मामले का निर्णय किया जाना है । एक ओर तो माननीय सदस्य एक सरकारी समवायों की एक व्यापक परिभाषा चाहते हैं, किन्तु दूसरी ओर वह २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व चाहते हैं । दूसरे शब्दों में एक समय आ सकता है जब कि इस देश में प्रत्येक समवाय पर सरकारी समवाय की परिभाषा लागू हो सकेगी । अतः वह यह सुझाव दे रहे हैं कि सरकारी समवायों में सरकार आदर्श नियोजक बने.....

श्री के० के० बसु : मैं ने यह सुझाव दिया है कि यदि २५ प्रतिशत का सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर सकते, तो कम से कम एक निदेशक कर्मचारियों द्वारा चुना जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख: किन समवायों में ?

श्री के० के० बसु : सब सरकारी समवायों में ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस अधिनियम को लागू करने के लिये सरकारी समवायों को परिभाषित करना होगा । यह नहीं कहा जा सकता "सरकारी समवाय जैसा कि ये अब हैं" क्योंकि इस का कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता ।

श्री के० के० बसु : इस अधिनियम के बनते ही सरकारी कम्पनियों की परिभाषा लगभग यह की जा सकती है कि ऐसी कम्पनियां जिन के ५१ प्रतिशत अंश सरकार के हाथ में हों ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसी कम्पनियों को सरकारी कम्पनियां कहा जायेगा जिन में सरकार के ५१ प्रतिशत अंश हों और ऐसी कम्पनिय को भी जिन के अंश सरकारी कम्पनियों के हाथ में हों, तो—जैसा कि मैं ने पहले कहा था—उन कम्पनियों की संख्या जिन पर यह बात लागू होगी उन कम्पनियों की संख्या से कहीं अधिक होगी जिन की बात माननीय सदस्य सोच रहे हैं ।

श्री के० के० बसु: आप वह बात नहीं मान रहे हैं । जहां तक सरकारी कम्पनियों का क्षेत्र बढ़ाने की बात है आप उसे मानने के लिये तैयार नहीं । परन्तु मेरा कहना यह है कि उन कम्पनियों में भी, जिनका स्वामित्व या प्रबन्ध मुख्यतः सरकार के हाथों में है—जैसे सिन्दरी या उड़ीसा में इस्पात का कारखाना—

[श्री के० के० बसु]

एक निदेशक होता है जिसे मजदूरों का प्रतिनिधि मान कर नियुक्त किया जाता है । मैं यह कहता हूं कि वह कर्मचारियों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरी राय में यह जो विचार प्रकट किया गया है, इसे ध्यान में रखना चाहिये परन्तु इस से इस विधेयक के प्रयोजन में कोई सहायता नहीं मिलती है । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया उस में सार की बात हो सकती है । वह कर्मचारियों का प्रतिनिधि चुनने के ढंग की बात कर रहे हैं, जब कि वहां एक निदेशक होता ही है । इस बात पर तो प्रशासन करते समय ध्यान दिया जा सकता है ।

खण्ड ६१९ में संशोधन संख्या ११४४ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री सी० सी० शाह : मेरा विचार है कि ये शब्द खण्ड ६१९ के उपखण्ड (२) और (३)—दोनों में आते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम दोनों स्थानों में यह संशोधन स्वीकार करते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ये शब्द दण्ड प्रक्रिया संहिता से लिये गये हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, धारा २५० से । यह ऐसा होना चाहिये—"was false and either frivolous or vexatious" ["झूठा और तुच्छ या परेशान करने वाला था"] अर्थात् यह झूठा और या तुच्छ या परेशान करने वाला हो ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे संशोधन संख्या ११४४ में केवल एक स्थान पर उन शब्दों के सम्बन्ध में उल्लेख है । दूसरे स्थान पर भी वैसा संशोधन होना चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : जी हां । पृष्ठ २८७ की पंक्ति १७ में ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, वहां भी "was frivolous or vexatious" ["तुच्छ या परेशान करने वाला"] शब्दों के स्थान में "was false and either frivolous or vexatious" ["झूठा और तुच्छ या परेशान करने वाला था"] शब्द होने चाहिये । हम दोनों स्थानों में यह संशोधन स्वीकार करते हैं ।

श्री कामत ने जो विभिन्न शाब्दिक संशोधन रखे हैं, मैं ने उन पर विचार किया है और मुझे खेद है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता । उन के संशोधन संख्या ११६२ में प्रारूप को सुधारा मात्र गया है । यह मुझे जंचता नहीं है । उद्देश्य वही है। "Nothing in this Act shall affect the provisions of any special law.." ["इस अधिनियम की किसी बात से भी किसी विशेष विधि के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा"] आदि का वही अर्थ है जो कि हमारे प्रारूप का है । अर्थ वही है परन्तु अब भी हमारे विचार में हमारा प्रारूप अधिक अच्छा है ।

संशोधन संख्या ११६० में श्री कामत ने यह सुझाव दिया है कि इस खण्ड में "by publishing the alterations in the official Gazette" ["परिवर्तनों को सरकारी गजट में प्रकाशित कर के"] शब्द जोड़ कर इस का विस्तार कर दिया जाये । यह बड़ा सीधा सादा संशोधन दिखाई देता है परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकता । उन का कहना है कि जो परिवर्तन किये जायें उन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाय । उन्होंन यह कारण बताया है कि लोगों को यह मालूम होना चाहिये कि पुराने नियम क्या थे, नये क्या

हैं और कहां परिवर्तन हुआ है । यह दलील तो सभी जगह लागू होती है । इस में इतनी गुंजाइश है कि या तो आप इसे सभी विधियों, नियमों और विनियमों पर लागू कीजिये—जो कि बहुत बड़ा काम होगा—, या बिल्कुल न कीजिये । दूसरे शब्दों में हम जो भी नियम या विनियम जारी करते हैं वह दुगना हो जायेगा । जनता को इस बात की आदत पड़नी चाहिये कि वह इस बात को देखे कि पुराने नियमों की तुलना में नये नियमों के अन्तर्गत क्या अपेक्षायें हैं । इसलिये मेरा विचार है कि इस संशोधन को मान लेने का मतलब यह होगा कि हम एक बड़ा दुःखदायी सिद्धान्त मान बैठेंगे ।

मैं बिना झिझक के यह कह सकता हूं कि मैं उन के संशोधन संख्या ११६१ का तात्पर्य नहीं समझ पाया हूं । यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चला कि इस खण्ड के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति के क्षेत्र से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को क्यों अलग किया जा रहा है । खण्ड ६३४ के उपखण्ड (३) में यह बात काफ़ी स्पष्ट कर दी गयी है कि जब तक कि उच्चतम न्यायालय नियम नहीं बनाता, "इस धारा में उल्लिखित मामलों पर किसी उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये सब नियम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लागू हों उस हद तक लागू रहे आयेंगे जिस हद तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों ।"

एक और संशोधन है जिस में कहा गया है कि खण्ड ६३४ के अन्तर्गत बनाये गये नियम, सरकारी कम्पनियों को विमुक्ति देने वाली अधिसूचनाओं की तरह ही सभा के सामने रखे जायें । मेरा विचार है कि इससे भी काम में बाधा पड़ेगी क्योंकि कम्पनी सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत बहुत से नियम बनेंगे और मेरा विचार है कि इन नियमों के संसद् के सामने रखे जाने और उन के जारी किये जाने से पहले संसद् की मंजूरी लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है । इस लिये मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता । बस इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है ।

श्री के० के० बसु : आप के संशोधन संख्या १०६७ में कहा गया है कि किसी सरकारी कम्पनी का लेखापरीक्षक सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद नियुक्त या पुनःनियुक्त किया जायेगा । सम्भव है आप उस की सलाह न मानें । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप मेरा संशोधन संख्या ११५० मान लें जिसका उद्देश्य संशोधन संख्या १०६७ में संशोधन करना है ।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारे ये संशोधन सामान्यतया नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर रखे गये हैं । ये संशोधन उस की सलाह पर ही रखे गये हैं । सम्भव है कि कुछ विशेष मामलों में हमारा उस से मतभेद हो । आम तौर पर बातचीत के बाद ये मतभेद दूर हो जाते हैं । परन्तु मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं होगा कि "on the advice" [सलाह पर] इस वाक्यांश का अर्थ यह होगा कि सरकार को नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह मांगनी ही पड़ेगी । परन्तु यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते तो हमें सभा को जवाब देना पड़ेगा । हम संसद् को छोड़ और किसी को सर्वप्रभुत्वसम्पन्न नहीं मानते हैं ।

श्री के० के० बसु : यह तो लेखापरीक्षक की नियुक्ति की ही बात है । जहां तक महालेखापरीक्षक का सम्बन्ध है, उस के हटाये जाने आदि के सम्बन्ध में संविधान का लागू होना स्वाभाविक ही है । अन्यथा वह सब

[श्री के० के० बसु]

से ऊपर है । आप सारे विधेयक को देखिये । उस में हम ने यह व्यवस्था करनी चाही है कि लेखापरीक्षक स्वतन्त्र व्यक्ति हो । चूंकि सरकार के लेखे की परीक्षा का प्रभारी महा-लेखापरीक्षक है इसलिये जहां तक लेखा परीक्षक की नियुक्ति का सम्बन्ध है उसी का निर्णय अन्तिम माना जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० दशमुख : आप का मतलब है सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षक ? यदि ऐसी बात है तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री के० के० बसु : मेरे संशोधन में यही कहा गया है और सरकार का संशोधन संख्या १०६७ सरकारी कम्पनियों के बारे में ही है ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो आप चाहते हैं कि "on the advice of" [की सलाह पर] शब्द रखे जायें ?

श्री के० के० बसु : जी हां ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६१० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६१० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०९, १०२६, ११५८, ११६३ और ११६४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६११ और ६१२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६११ और ६१२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री के० के० बसु : सरकार ने मेरा संशोधन संख्या ११५० मान लिया है जो उनके संशोधन संख्या १०६७ का संशोधन है ।

सभापति महोदय : मैं पहले उसी को लेता हूं ।

प्रश्न यह है :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधन संख्या १०६७ के रूप में छपा है, "after consultation with" [से परामर्श के बाद] के स्थान पर "on the advice of" [की मंत्रणा से] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री बसु के संशोधन को शामिल करते हुये संशोधन संख्या १०६७ को रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८५—

पंक्ति २४ के बाद जोड़ दिया जाय :

"(1A) The auditor of a Government company shall be appointed or re-appointed by the Central Government on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India."

[(१क) एक सरकारी समवाय का लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की मंत्रणा से नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जायेगा ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८५, पंक्ति ३३,

"such persons" [ऐसे व्यक्ति] के स्थान पर "such person or persons" [ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८५, पंक्ति ३४,

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and for the purposes of such audit to require information or additional information to be furnished to any person or persons so authorised on such matters and in such form as the Comptroller and Auditor-General may by general or special order, direct."

[और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों से इन मामलों में, ऐसे प्रपत्र में, जैसा नियंत्रक महालेखापरीक्षक सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा निदेश दे, इस प्रकार अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जानकारी या अतिरिक्त जानकारी दिये जाने की मांग करने की ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४३, २४४, ११५१, ११५५ और ११५६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६१३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६१३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा नये खंड ६१३-क वाला संशोधन संख्या ११६५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड ६१४ के संशोधन संख्या १०७० और संशोधन संख्या ११७२ और ११७३ को पुनः आलिखित रूप में रखूंगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : संशोधन संख्या १०७० आनुषंगिक है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८५, पंक्ति ४५,

"धारा ६१२ और ६१३" के स्थान पर "धारा ६१२, ६१३ और ६१३-क" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन किया गया ।

—[श्री सी० डी० देशमुख]

पृष्ठ २८६

पंक्ति ४ से ६ के स्थान पर रखा जाये :

"(2) A copy of every notification proposed to be issued under sub-section (1) shall be laid in draft before both Houses of Parliament for period of not less than thirty days while they are in session and if during that period either House disapproves of the issue of the notification or approves of such issue only with modifications, the notification shall not be issued or as the case may require shall be issued only with such modifications as may be agreed on by both the Houses."

[(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत निकालने के लिये प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति आलेख रूप में संसद् की दोनों सभाओं के सत्र में होने पर उनके सामने ३० दिन से अन्यून अवधि के लिये रखी जायेगी और यदि उस अवधि में दोनों में से कोई सभा उस अधिसूचना के निकाले जाने का अनुमोदन नहीं करता या उनके निकाले जाने का रूपभेद सहित ही अनुमोदन करता है तो अधिसूचना न निकाली जायेगी या विषय द्वारा जैसा अपेक्षित हो उन रूपभेदों के साथ ही निकाली जायेंगी जिनमें दोनों सभायें सहमत हों।]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११४, ११५६, ११६६, ११६७ और ११७३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६१४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६१४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधत संख्या ११६८ और ११६९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ६१५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६१५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६१६ से ६१८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६१६ से ६१८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब में खंड ६१९ के नई संख्या के साथ पुनः आलिखित संशोधन संख्या ११४४ को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८७

(१) पंक्ति ७ "was frivolous or vexatious" [तुच्छ और परिक्लेशकारी था] के स्थान पर "was false and either frivolous or vexatious" [झूठ और तुच्छ या परिक्लेशकारी था] रखा जाये ; और

(२) पंक्ति १७ "was frivolous or vexatious" [तुच्छ और परिक्लेशकारी था] के स्थान पर "was false and either frivolous or vexatious" ["झूठ और तुच्छ या परिक्लेशकारी था] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८८७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६१९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६१९ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६२० और ६२१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६२० और ६२१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खड ६२२ से ६२४ के संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६२२ से ६२९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६२२ से ६२९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९०, पंक्ति २३:

"२२५" का लोप किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९०, पंक्ति २४

"२६८" के बाद "२७३ (२)" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९०, पंक्ति २५

"३४५" के बाद "३४६ (२)" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९०

पंक्ति २६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"४०९, ४१० (ख), ४४६, ६०४, ६०८, ६१४, ६३१, ६३२ और ६३३ ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

संशोधन संख्या ११५७ पर आग्रह नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३१ विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९०—

पंक्ति ३५ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"*Annual Reports on Government Companies*

631A. Annual reports on Government companies to be placed before Parliament etc.—

(1) In addition to the general annual report referred to in section 631 the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of each Government company to be prepared and laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to, the audit report, made by the Comptroller and Auditor, General of India.

(2) Where any State Government is a member of a Government company, the annual report on the working and affairs of the company, the audit report, and the comments upon or supplement to the audit report referred to in sub-section (1), shall be placed by the State Government before the State Legislature or where the State Legislature has two Houses, before both Houses of that Legislature.

631B. Validation of Registration of firms as members of charitable and other companies.—

Any firm which stood registered at the commencement of this Act, as a member of any association or company licensed under section 26 of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) shall be deemed to have been validly so registered with effect on and from the date of its registration."

[६३१-क. सरकारी समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन संसद् के सामने रखे जायेंगे आदि.—(१) धारा ६३१ में निर्दिष्ट सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार प्रत्येक सरकारी समवाय की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवायेगी और लेखापरीक्षाप्रतिवेदन और नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा-

[सभापति महोदय]

प्रतिवेदन पर की गयी किन्हीं टिप्पणियों या उसके अनुपूरक के साथ उसे संसद् की दोनों सभाओं के सामने रखवायेगी ।

(२) जब कोई राज्य सरकार एक सरकारी समवाय की सदस्य हो, तो समवाय की कार्यप्रणाली की वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन और लेखापरीक्षाप्रतिवेदन पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट किन्हीं टिप्पणियों या अनुपूरक के साथ, राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के सामने या जब राज्य विधान मंडल में दो सदन हों, तो उस विधान मंडल के दोनों सदनों के सामने रखवायेगी ।

६३१--ख. फर्मों के पूर्त्त और अन्य समवायों के सदस्यों के रूप में पंजीयन का वैधीकरण---कोई फर्म, जो इस अधिनियम के आरम्भ में भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ का ७) की धारा २६ के अधीन अनुज्ञप्ति-प्राप्त किसी संस्था या समवाय के सदस्य के रूप में पंजीबद्ध थी, उसके पंजीयन की तिथि को और उसके बाद से वैध रूप में उस प्रकार पंजीबद्ध समझी जायेगी ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नये खंड ६३१-क और ६३१-ख विधेयक में जोड़ दिये गये ।

संशोधन संख्या ११६० पर आग्रह नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९१,

पंक्ति १८ और १९,

"each House of Parliament" [संसद् की प्रत्येक सभा] के स्थान पर "both Houses of Parliament" (संसद् की दोनों सभायें) रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ११७४ पर आग्रह नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ११६१ पर आग्रह नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९२, पंक्ति २६ और २७

"to the extent specified in the fourth column" [चौथे स्तम्भ में स्पष्ट की गयी सीमा तक] का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा नया खंड ६३५-क वाला संशोधन संख्या ११६२ मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३६ से ६४९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३६ से ६४९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २७३, ५१६, ५१६-क और ६०९-क

सभापति महोदय : अब सभा खंड २७३, ५१६, ५१६-क और ६०९-क पर विचार करेगी जो रोक लिये गये थे ।

श्री एम० सी० शाह : इस खंड में हम प्रस्तुत किये गये जा चुके संशोधन १२८ को स्वीकार कर रहे हैं । मुझे एक संशोधन और रखना है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४२

(१) पंक्ति २१ "or any firm in which he is a partner" [या कोई फर्म जिसमें वह भागीदार है] का लोप किया जाये ।

(२) पंक्ति २३ "or the firm" [या फर्म] के स्थान पर "whether alone or jointly with others" [चाहे अकेले या दूसरों के साथ साथ] रखा जाये ।

श्री के० के० बसु : अब संशोधन कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ?

श्री एम० सी० शाह : पहला श्री राने प्रस्तुत कर चुके हैं ।

दूसरा परिचालित किया जा चुका है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : १२८ जैसा ही मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य शायद खंड ३३५ का उल्लेख कर रहे हैं । उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ग़लती सुधारी जा सकती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : गलती नहीं गुणदोष के आधार पर मैं प्रबन्धक एजेंटों को पृथक् रखना चाहता हूं । हम निदेशकों और दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं । गुणदोष के आधार पर हम माननीय सदस्य की बात मान सकते हैं । मैं कह रहा हूं कि खंड ३३५ निपटाया जा चुका है ।

सभापति महोदय : खंड २७३ के दोनों संशोधन १२८ और १०७० खंड के स्थगित कर दिये जाने से नियमानुकूल हैं ।

श्री के० के० बसु : सिद्धान्ततः वे नियमानुकूल हैं, पर चर्चा हो चुकी है, केवल मतदान शेष है ।

श्री एम० सी० शाह : यह एक स्पष्ट विसंगति दूर करने के लिये ही है ।

सभापति महोदय : मैं उन्हें नियमानुकूल मानता हूं ।

(**श्री बर्मन** पीठासीन हुये)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधनों को रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४२, पंक्ति १८,

"offence" [अपराध] के बाद "involving moral turpitude" [नैतिक पतन अंतर्ग्रस्त करनेवाले] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४२,

(१) पंक्ति २१, "or any firm in which he is a

[सभापति महोदय]

partner" [या कोई फर्म जिसमें वह भागीदार है] का लोप किया जाये ।

(२) पंक्ति २३, "or the firm" [या फ़र्म] के स्थान पर "whether alone or jointly with others" [चाहे अकेले या दूसरों के साथ-साथ] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २७३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २७३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५१६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५१६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री एम० सी० शाह : अब नया खंड ५१६-क रखा जा सकता है ।

श्री के० के० बसु : यह पुराना संशोधन संख्या ११४७ है या कुछ बदला गया है ?

श्री एम० सी० शाह : यह सुधारा गया आलेख है । यह परिचालित किया जा चुका है । केवल एक शब्द "official liquidator" [अधिकृत परिसमापक] का लोप किया गया है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि क्या यह ११४७ ही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्री कामत से परामर्श करके "अधिकृत परिसमापक" का लोप किया गया है

श्री के० के० बसु : हमें और प्रतियां ही दी जातीं ।

श्री एम० सी० शाह : हम इसे परिचालित कर चुके हैं । विधि मंत्रालय के परामर्श से हमने वे शब्द हटा दिये हैं ।

श्री के० के० बसु : इन शब्दों को हटाने का क्या अर्थ है ? क्या यह खंड ४७५ में आ जाने के कारण है या कुछ और बात है ?

श्री एम० सी० शाह : कल कुछ सदस्यों ने बताया था कि खंड ४७५ की दृष्टि में आवश्यक नहीं है । हमने विधि मंत्रालय से परामर्ष किया तो पता चला कि अधिकृत परिसमापक खंड ४७५ में आ जाता है, अतः उसे हटा कर केवल परिसमापक रखा जाये । हम सिद्धान्ततः श्री कामत की बात मानना चाहते थे, पर उसका पुनः आलेखन करना था। यह खंड ५१६ में आ नहीं सकता था, अतः नया खंड ५१६-क रखा गया है ।

श्री के० के० बसु : खंड ४७५ में आपने अधिकृत परिसमापक को शक्तियां दी थीं, उसी प्रकार की शक्तियां आप ५१६-क में अन्य परिसमापकों को दे रहे हैं ।

श्री एम० सी० शाह : हां ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २४१, पंक्ति ३७ के बाद रखा जाये :

"516A. Application of liquidator to Court for public examination of promoters, directors, etc.—

(1) The liquidator may make a report to the court stating that in his opinion a fraud has been committed by any person in the promotion or formation of the company or by any officer of the company in relation to the company since its formation; and the court may

after considering the report, direct that that person or officer shall attend before the court on a day appointed by it for that purpose, and be publicly examined as to the promotion, or formation or the conduct of the business of the company, or as to his conduct and dealings as officer thereof.

(2) The provisions of sub-sections (2) to (11) of section 475 shall apply in relation to any examination directed under sub-section (1) as they apply in relation to an examination directed under sub-section (1) of section 475 with references to the liquidator being substituted for references to the official liquidator in those provisions."

[**५१६-क. प्रवर्तकों, निदेशकों आदि के सार्वजनिक परीक्षण के लिये परिसमापक का न्यायालय को आवेदन**—(१) परिसमापक न्यायालय को यह बताते हुये प्रतिवेदन भेज सकेगा कि उसके विचार से समवाय के प्रवर्तन या बनाने में किसी व्यक्ति द्वारा या समवाय के बनने के बाद उस के सम्बन्ध में उसके किसी पदाधिकारी द्वारा जालसाज़ी की गयी है; और न्यायालय, प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति या पदाधिकारी न्यायालय के सामने उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त तिथि को उपस्थित होगा और समवाय के प्रवर्तन या बनाने या कार्यसंचालन के बारे में या उसके पदाधिकारी के रूप में उसके आचरण और व्यवहार का सार्वजनिक परीक्षण होगा ।

(२) धारा ४७५ की उपधारा (२) से (११) के उपबन्ध उपधारा (१) के अधीन निदिष्ट किसी परीक्षण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे धारा ४७५ की उपधारा (१) के अधीन निदिष्ट किसी परीक्षण के सम्बन्ध में परिसमापक के उल्लेखों के उन उपबन्धों में अधिकृत परिसमापकों के उल्लेखों के स्थानापन्न होने पर लागू होते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ५१६-क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री एम० सी० शाह : तब हम खण्ड ६०९-क पर विचार कर सकते हैं जो सभा के सामने था । इस का प्रारूप बदल दिया गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं । कल मैं ने खण्ड ६०९-क पर विचार स्थगित करने का सुझाव देते समय कहा था कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रख कर मैं इस पर विचार करना चाहता हूं । मैं इस स्थिति पर प्रकाश डालने के लिये इस सम्बन्ध में छोटा सा वक्तव्य दूंगा ।

कल मैं ने आंकड़ा संग्रह अधिनियम का उल्लेख किया था जो कि १९५३ में पास किया गया था । एक बात जो मुझे मालूम हुई है यह है कि यद्यपि इसे पास हुये दो वर्ष हो चुक हैं, अभी इसे लागू नहीं किया गया है । इसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों में उन नियमों को सम्मिलित करने में कुछ किठनाई हो रही है जो कि श्रम मंत्रालय ने १९४३ के एक ऐसे ही अधिनियम के अन्तर्गत बनाये थे । सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच इन नियमों में परस्पर मेल रखने में कुछ समय लगा है । यद्यपि हमें आशा है कि इन्हें जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उस अधिनियम

[श्री सी० डी० देशमुख]

का प्रयोजन बिल्कुल ही भिन्न है अर्थात् वह आंकड़े इकट्ठे करने मात्र के लिये है। सच तो यह है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत एक पदाधिकारी को नामोद्दिष्ट किया गया है। इसलिये सामान्य नीति तो यह होगी कि नियमों द्वारा कार्य सरकार के विभिन्न भागों को—जो अधिकतया अन्य सम्बन्धित मामलों में रुचि रखते हैं—जिस जानकारी की आवश्यकता हो उसे इकट्ठा करने के लिये फार्म बना दिये जायें और सभी औद्योगिक या व्यापारिक कम्पनियों को ये फार्म दे दिये जायें।

सभापति महोदय : किस अधिनियम के अन्तर्गत।

श्री सी० डी० देशमुख : उस अधिनियम के अन्तर्गत। इस लिये वह तो आंकड़ा सम्बन्धी अधिनियम है। इसलिये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उस अधिनियम से हमारा मतलब पूरा नहीं होगा। हम ऐसा अधिनियम चाहते हैं जिससे हम इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के लिये आवश्यक जानकारी मांग सकें। माननीय सदस्य यह पूछेंगे कि क्या अधिनियम में ही विभिन्न प्रयोजनों के लिये शक्तियां नहीं दी गयी हैं? इसका उत्तर है—"हैं तो परन्तु किसी हद तक"। पंजीयक (रजिस्ट्रार) को कुछ हिसाब आदि मांगने की शक्ति दी गयी है। परन्तु ये शक्तियां तो कुछ विशेष प्रयोजनों के लिये ही दी गयी हैं। इस अधिनियम के कुछ और प्रयोजन हैं जिन के लिये हमारे पास जानकारी प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। सरकार को विभिन्न मामलों, उदाहरण के लिये कम्पनियों के प्रबन्ध तथा कार्य, पर नियंत्रण रखने के लिये बड़ी बृहत् शक्तियां देने का विचार है। हम यह समझते हैं कि हमें इन शक्तियों के प्रभावपूर्ण और न्यायोचित ढंग से प्रयोग द्वारा अपना कर्त्तव्य निभाने के लिये कम्पनियों के काम के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये इन प्रयोजनों के लिये जानकारी प्राप्त करने की सामान्य शक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैं कुछ उदारहण देता हूं

खण्ड ३२३ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने की शक्ति होगी कि किसी विशिष्ट वर्ग के उद्योग या व्यापार में लगी कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होंगे। यह स्पष्ट है कि हमें इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये उन कम्पनियों के बारे में जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, जो किसी उद्योग या व्यापार में लगी है। हम एक के बाद दूसरा उद्योग ले सकते हैं। यदि कोई कारखाना या कम्पनी हमें जानकारी देने से इन्कार करे तो यह बड़ी भद्दी बात होगी क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि यह जानकारी इस कारखाने या कम्पनी के भविष्य से ही सम्बन्ध रखती हो। इसी प्रकार खण्ड ४३ (५) (ख) के अन्तर्गत किसी भी ऐसी विवरणिका को गलत समझा जायेगा जिस में कुछ संगत बातें न रखी गयी हों। सरकार को यह निश्चय करने के लिये कि विवरणिका गलत है या नहीं, कम्पनी से सच्ची बातों का पता लगाने की जरूरत पड़ेगी।

खण्ड ३२५ के अन्तर्गत हमें यह निर्णय करना है कि कुछ व्यक्ति प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त किये जाने के योग्य हैं या नहीं। इस के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उस कम्पनी के काम और प्रबन्ध का ब्यौरा मालूम किया जाय जिस से सम्बद्ध व्यक्ति का वास्ता हो।

खण्ड २३६ के अन्तर्गत हमें यह शक्ति प्राप्त है कि हम उस कम्पनी के मामलों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षक नियुक्त कर सकते हैं जहां हमारी राय में कम्पनी का काम धोखे या अवैध प्रयोजन के लिये

चलाया जा रहा हो या उसके सदस्यों के हितों के विरुद्ध हो या जिस के प्रबन्धक धोखे, अपकृति या दूसरे कदाचरण के दोषी हों या जहां कम्पनी ने सारभूत जानकारी अपने सदस्यों को न दी हो। इस मामले में भी हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम सम्बद्ध कम्पनी से वह सारी जानकारी प्राप्त करें जिस की कि हमें किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये आवश्यकता हो।

खण्ड २३३ के अन्तर्गत, पंजीयक (रजिस्ट्रार) को यह शक्ति प्राप्त है कि वह यह निर्णय करने के लिये कि विस्तृत जांच आवश्यक है या नहीं कम्पनी से जानकारी मांग सकता है या उसे किसी बात पर प्रकाश डालने के लिये कह सकता है।

जब कोई निरीक्षक नियुक्त किया गया हो तो कम्पनी के निर्देशकों और अधिकारियों के लिये यह जरूरी है कि वे ऐसे सभी बही-खाते और दस्तावेज़ें उसके सामने रखें जिनकी उन्हें आवश्यकता हो। अनुभव से यह पता चला है कि बहुत से मामलों में कम्पनियों के प्रबन्धक बहीखाते और दस्तावेज़ें दिखाने की बजाय उन्हें न दिखा कर इस के लिये विहित दण्ड पाना अधिक अच्छा समझते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति होनी चाहिये कि हम कम्पनियों से आवश्यक तथ्य मालूम कर सकें। सच तो यह है कि हमारा अनुभव यह रहा है कि बहुत से मामलों में, जहां निरीक्षक नियुक्त किये गये थे, कम्पनियों के प्रबन्धकों ने निरीक्षकों को बहीखाते और दस्तावेज़ें दिखाने से इन्कार कर दिया है। इस का फल यह हुआ कि ऐसे मामलों में जांच का विचार लगभग छोड़ देना पड़ा। मेरे पास लगभग सात ऐसी कम्पनियों के नाम हैं जिन्होंने ऐसा किया। इसलिये यह स्पष्ट ही है कि यदि हमारे पास कम्पनियों से और जानकारी प्राप्त करने के साधन होते तो हम इस सम्बन्ध में प्रभावोत्पादक कार्यवाही कर सकते थे।

एक मामले में, जब एक राज्य के पंजीयक (रजिस्ट्रार) ने हमारे कहने पर राज्य की विभिन्न संयुक्त स्कन्ध (जाइंट स्टाक) कम्पनियों को गश्ती चिट्ठी भेज कर प्रबन्ध अधिकरणों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी मांगी तो एक व्यापार मण्डल ने इस पर आपत्ति की। एक और उदाहरण देखिये। कम्पनियों के एक रजिस्ट्रार ने हमारे कहने पर एक कम्पनी से उसके द्वारा लगाई गई पूंजी का ब्योरा मांगा तो कम्पनी ने कहा कि वह तभी यह ब्योरा देगी जब कि पंजीयक (रजिस्ट्रार) यह बचन देगा कि उस जानकारी को धारा १३७ (१), अर्थात् प्रस्थापित जांच, के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

तो, इस असन्तोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम ने कम्पनियों से जानकारी मांगना लगभग बन्द ही कर दिया है। यह सच है कि कुछ मामलों में कम्पनियों जानकारी दे देती हैं। उदाहरण के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कुछ कम्पनियों से---विदेशी कम्पनियों से नहीं बल्कि उन की सहायक कम्पनियों आदि से, जिन में अधिकतर विदेशी हैं---इस बारे में जानकारी मांगता रहा है कि उनमें कितने भारतीय नौकर रखे गये हैं और उन्होंने यह जानकारी दी है। परन्तु इसका कारण यह है कि उन्हें यह मालूम है कि यद्यपि आंकड़ा अधिनियम लागू नहीं है लेकिन उसे लागू किया जा सकता है और तब उन के विरुद्ध उस अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है या उन्हें दण्ड दिया जा सकता है। इसलिये जहां तक सामान्य प्रकार की जानकारी का सम्बन्ध है, उसे प्राप्त करना आम तौर पर आसान होता है परन्तु जहां ऐसा मामला हो कि

[श्री सी० डी० देशमुख]

कम्पनी पर प्रभाव पड़ सकता हो और सम्भवतः उस पर मुकदमा चलाये जाने का खतरा हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही का डर हो या कुछ और हो, उन मामलों में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव हुआ है। यह विशेष धारा केवल हमारे ही प्रयोजन के लिये है। यह इस बात का पता लगाने के लिये नहीं है कि श्रम की स्थिति क्या है: समवाय विधि मे हमारे जो कर्तव्य हो गये हैं उन को व्यवहार में लाने के लिये हमें किसी साधन की आवश्यकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति नये खण्ड ६०९–क के द्वारा भली भांति हो जाती है।

सभापति महोदय : क्या उसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां। दो परिवर्तन हैं जिन के बारे में मैं अभी बताता हूं।

इस खण्ड के उपखण्ड (५) में "सरसरी खोज" शब्दों पर आपत्ति की गई थी जिनके स्थान पर हमने "सरसरी पूछताछ" शब्द रख दिये हैं।

हमने इस आलोचना पर भी ध्यान दिया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विदेशी समवायों को इस नये खण्ड से विमुक्त नहीं किया जाय: हम इस अधिनियम के अधीन सुन्दर प्रशासन चाहते हैं और अपनी आवश्यकता के लिये हम विदेशी समवायों से भी पूछताछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिये यदि हम खण्ड ३२३ या ३२५ के अधीन किसी भारतीय समवाय से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और वह सूचना केवल उसके प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास मौजूद है जो कि विदेशी हैं तो ऐसी दशा में खण्ड ६०९-क के अन्तर्गत हम उन से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार हमने इस उद्देश्य के लिये उपखण्ड (८) रखा है। यह दूसरा परिवर्तन है।

श्री के० के० बसु : उपखण्ड (८) तो पहले ही मौजूद है।

श्री सी० डी० देशमुख : उसके स्थान पर दूसरा रखा गया है। उपखण्ड (५) और (६) को नये उपखण्ड (५) में मिला दिया गया है: उपखण्ड (७) की संख्या (६) कर दी गई है, (८) की संख्या (७) कर दी गई है और इस नये उपखण्ड की संख्या (८) है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे "खोज" के स्थान पर "पूछताछ" कर देने के बारे में कुछ कहना है। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार खोज तो अदालत की बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है जब कि पूछताछ अदालत स्वयं करती है। यदि हम "खोज" शब्द को ही बनाये रखें तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। खण्ड २३९ से २४५ तक के अन्तर्गत निरीक्षक को खोज करने का अधिकार होगा। क्या माननीय मंत्री खोज से सहमत नहीं हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है कि दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषा दी गई है किन्तु आर्थिक मामलों में सैकड़ों बार यह वाक्य प्रयोग में आता है कि किसी पदाधिकारी से पूछताछ करने के लिये कहा जायगा। जहां खोज और पूछताछ दोनों शब्द आयें वहां तो उन की परिभाषा जरूरी है किन्तु जब हम केवल पूछताछ शब्द को रख रहे हैं तो उस की क्या आवश्यकता है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसी प्रकार मुझे 'सरसरी' शब्द के लिये यह कहना है कि जहां तक निरीक्षक सम्बन्धी उपबन्ध हैं, उन में यह शब्द नहीं आया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस शब्द को रखने से कुछ कठिनाई दूर हो जाती है । साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं रहती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : साक्ष्य के बिना खोज कैसे की जा सकती है ? मेरे विचार से तो 'सरसरी' शब्द आपत्तिजनक है । इसे हटा लिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे पता नहीं कि इस विषय में सभा की क्या राय है ? यदि सभा इस शब्द को नहीं रखना चाहती तो इसे हटाया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खंड २३९ से २४५ तक निरीक्षक सम्बन्धी जो उपबन्ध हैं उन में जो शब्द आये हैं वैसे ही शब्द यहां भी दोहराये गये हैं, अतः यहां पर अतिरिक्त शब्द को जोड़ना ठीक नहीं जान पड़ता । यहां पर तो निरीक्षक की जांच पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध भी नहीं हैं । इस शब्द को हटा देने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि सभा की यही राय है तो मैं इस शब्द को हटाने से सहमत हूं ।

सभापति महोदय : इसे हटा दिया समझा जाना चाहिये । अब मैं नये खंड ६०९-क को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८४, पंक्ति ३८ के बाद रखा जाये :

"Collection of information and statistics from companies.

609A. Power of Central Government to direct companies to furnish information or statistics.—

(1) The Central Government may, by order, require companies generally, or any class of companies or any company, to furnish such information or statistics with regard to their or its constitution or working and within such time, as may be specified in the order.

(2) (a) Every order under sub-section (1) addressed to companies generally or to any class of companies, shall be published in the Official Gazette and in such other manner, if any, as the Central Government may think fit.

(b) The date of publication of the order in the Official Gazette shall be deemed to be the date on which the demand for information or statistics is made on such companies or class of companies, as the case may be.

(3) Every order under sub-section (1) addressed to an individual company shall be served on it in the manner laid down in section 51.

(4) For the purpose of satisfying itself that any information or statistics furnished by a company in pursuance of any order under sub-section (1) is correct and complete, the Central Government may require such company---

(a) to produce such records or documents in its possession or under its control for inspection before such officer and at such time as may be specified by the Central Government, or

(b) to furnish such further information as may

[सभापति महोदय]

be specified by the Central Government and within such time as may be fixed by it.

(5) The Central Government may also, by order, direct an inquiry to be made by any person or persons named in the order--

(a) for the purpose of obtaining any information or statistics which a company has failed to furnish as required of it by an order under sub-section(1); or

(b) for the purpose of satisfying itself that any information or statistics furnished by a company in pursuance of an order made under sub-section (1) is correct and complete; and in so far as such information or statistics may be found to be incorrect or incomplete, for the purpose of obtaining such information or statistics as may be necessary to make the information or statistics furnished correct and complete; and a person or persons so appointed shall, for the purposes of such inquiry, have such powers as may be prescribed.

(6) If any company fails to comply with an order made under sub-section (1) or sub-section (4) or knowingly furnishes any information or statistics which is incorrect or incomplete in any material respect, the company, and every officer thereof who is in default, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(7) An order requiring any information or statistics to be furnished by a company may also be addressed to any person who is, or has at any time been an officer or employee of the company and all the provisions of this section, so far as may be, shall apply in relation to such persons as they apply in relation to the company :

Provided that no such person shall be punishable under sub-section (5), unless the Court is satisfied that he was in a position to comply with the order and made wilful default in doing so.

(8) Where a body corporate incorporated outside India and having established an office within India carries on business in India, all references to a company in this section shall be deemed to include references to the body corporate in relation and only in relation to such business."

["समवायों से जानकारी और आंकड़ों का संग्रह

६०९ क. जानकारी और आंकड़े प्रदान करने के लिये समवायों को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति.—(१) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, समवायों से साधारणतः, या समवायों के किसी वर्ग से या किसी समवाय से, उनके या अपने संगठन या कार्यप्रणाली के बारे में ऐसी जानकारी या आंकड़े, उस समय के भीतर, जैसा आदेश में स्पष्ट किया जाये, दिये जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(२) (क) उपधारा (१) के अधीन समवायों को साधारणतः

या समवायों के किसी वर्ग को या किसी समवाय को सम्बोधित प्रत्येक आदेश सरकारी गजट में और ऐसी अन्य रीति से, यदि कुछ हो, प्रकाशित किया जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे ।

(ख) आदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि वह तिथि समझी जायेगी, जब उन समवायों या समवायों के वर्ग से, यथास्थिति, जानकारी और आंकड़ों की मांग की जाये ।

(३) उपधारा (१) के अधीन एक व्यक्तिगत समवाय को सम्बोधित प्रत्येक आदेश उसे धारा ५१ में रखी गयी रीति से पहुंचाया जायेगा ।

(४) अपने को इसके लिये सन्तुष्ट करने के प्रयोजन से कि उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी समवाय द्वारा दी गयी जानकारी या आंकड़े शुद्ध और पूर्ण हैं। केन्द्रीय सरकार उस समवाय से यह अपेक्षा कर सकेगी —

(क) अपने कब्जे में या नियंत्रण में रहने वाले ऐसे अभिलेख और दस्तावेज निरीक्षण के लिये उस पदाधिकारी के सामने उस समय पर उपस्थित करने की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट किये जायें, या

(ख) ऐसी और जानकारी देने की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट की जाये और उस समय में, जो उसके द्वारा निश्चित किया जाये ।

(५) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा आदेश में नामोल्लिखित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक जांच का भी निदेश दे सकेगी —

(क) कुछ ऐसी जानकारी या आंकड़े प्राप्त करने के प्रयोजन से, जो एक समवाय दे नहीं सका है और जो उससे उपधारा (१) के अधीन एक आदेश द्वारा मांगी गयी थी ; या

(ख) अपने को इसके लिये सन्तुष्ट करने के प्रयोजन से कि उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में किसी समवाय द्वारा दी गयी जानकारी या आंकड़े शुद्ध और पूर्ण हैं; और जहां तक वह जानकारी या आंकड़े अशुद्ध या अपूर्ण पाये जायें, ऐसी जानकारी या आंकड़े प्राप्त करने के लिये जो दी गयी जानकारी या आंकड़ों को शुद्ध और पूर्ण करने के लिये आवश्यक हो, और इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति या, व्यक्तिगण उस जांच के प्रयोजन से वह शक्ति रखेंगे, जो विहित की जाये ।

(६) यदि कोई समवाय उपधारा (१) या उपधारा (४) के अधीन दिये गये किसी आदेश का पालन नहीं करता या जान कर कुछ ऐसी जानकारी या सूचना देता है, जो किसी विशिष्ट बात में अशुद्ध या अपूर्ण है तो समवाय और उसका प्रत्येक पदाधिकारी, जो चूक कर रहा है, जेल की सजा से जो तीन महीनों तक की हो सकेगी, या अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंड्य होगा ।

[सभापति महोदय]

(७) एक समवाय से कुछ जानकारी या आंकड़े दिये जाने की मांग करने वाला एक आदेश, किसी ऐसे व्यक्ति को भी सम्बोधित किया जा सकेगा, जो किसी समय समवाय का एक पदाधिकारी या कर्मचारी रह चुका है, और इस धारा के सभी उपबन्ध यथासम्भव ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में उस रूप में लागू होंगे, जिसमें वे समवाय के सम्बन्ध में लागू होते हैं :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (५) के अधीन तब तक दंड्य नहीं होगा, जब तक न्यायालय को सन्तोष न हो कि वह आदेश का पालन करने की स्थिति में था और ऐसा करने में उसने इच्छापूर्वक चूक की है ।

(८) जब भारत से बाहर निगमित और भारत में एक कार्यालय स्थापित करने वाला एक निगम निकाय भारत में कारबार चलाता है, तो इस धारा में 'समवाय' के सभी उल्लेख उस निगम निकाय के उस कारबार के सम्बन्ध में और उस सम्बन्ध में ही उल्लेखों को शामिल करते हुये समझे जायेंगे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ६०९-क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची १ से १२ और खंड १

सभापति महोदय : अब हम अनुसूची १ से १२ तक और खण्ड १ पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं । जिन लोगों को संशोधन प्रस्तुत करने हों वे उन की संख्या पन्द्रह मिनिट के भीतर सचिव को बता दें ।

श्री एम० सी० शाह : इन अनुसूचियों के बारे में सरकारी संशोधन इस प्रकार हैं : अनुसूची १ के लिये संशोधन संख्या १०७८ से १०८१ तक, अनुसूची ३ के लिये संशोधन संख्या १०८२ से १०८८ तक, अनुसूची ४ के लिये संशोधन संख्या १०८९ से १०९५ तक, अनुसूची ९ के लिये संशोधन संख्या १०९६ से १०९८ तक और अनुसूची १२ के लिये संशोधन संख्या १०९९ हैं ।

ये सब संशोधन बहुत छोटे हैं । कहीं कहीं जो त्रुटियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिये इन्हें प्रस्तुत किया गया है । मैं उन्हें समझा कर व्यर्थ ही सभा का समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मेरे और श्री के० के० बसु के नाम से संशोधन संख्या ११७५ से ११८९ तक हैं । मैं केवल प्रथम अनुसूची के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं ने अपने पहले संशोधन में यह बताया है कि समवाय की साधारण बैठक में कार्यसूची में समवाय द्वारा दिये गये पूर्त धन का भी उल्लेख होना चाहिये ।

पिछले एक संशोधन द्वारा यह तय हो चुका है कि समवाय द्वारा किसी राजनैतिक दल को कोई पूर्त धन नहीं दिया जायगा । इसीलिये मैं चाहता हूं कि जो भी दान दिया जाय उस का उल्लेख समवाय की साधारण बैठक के सामने किया जाय ।

संशोधन संख्या ११७६ द्वारा मैं यह चाहता हूं कि जो लाभांश लोगों को देय होता है उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायें । बहुत से समवाय लाभांश बहुत देते हैं । इसीलिये मैं ने यह सुझाव रखा है कि जहां कहीं आठ प्रतिशत से अधिक लाभांश दिया जाय वहां पहले केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली जाय ।

संशोधन संख्या ११७७ द्वारा मैं यह चाहता हूं कि जब कभी किसी समवाय के लेखों का निरीक्षण किया जाय तब उस की शाखाओं का भी निरीक्षण किया जाना चाहिये ।

अब मैं संशोधन संख्या ११७७ से ११८० तक को लेता हूं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं । प्रायः हम देखते हैं कि समवायों में कुछ रक्षित पंजी एकत्र हो जाती है जो श्रमिकों के अथक परिश्रम द्वारा संचित होती है । हम चाहते हैं कि इस पंजी को चालू पूंजी में जब कभी परिणत किया जाय उस समय श्रमिकों को पचास प्रतिशत लाभांश दिया जाय । यह उन्हीं के परिश्रम की पंजी होती है और उन्हें अधिक नहीं तो इस पूंजी में से कम-से-कम तीन महीने की वृत्ति लाभांश के रूप में अवश्य दी जानी चाहिये ।

अन्त में, मैं संशोधन संख्या ११८१ के बारे में कहता हूं । हम यह चाहते हैं किसी भी समवाय के उद्देश्यों की संख्या केवल छः तक सीमित होनी चाहिये । प्रायः हम देखते हैं कि एक एक समयाय अपने ऊपर बहुत से काम लाद लेते हैं और उनका प्रबन्ध बिगड़ जाता है अतः यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक है । मुझे आशा है कि इन सब संशोधनों पर भली भांति विचार किया जायगा ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मुझे केवल अनुसूची ६ के बारे में कुछ कहना है जो खण्ड ७(२) के भाग ३ से सम्बद्ध है । इस के अनुसार यह अधिनियम लागू होने पर समस्त समवायों को अपनी रक्षित पूंजी का हिसाब बताना पड़ेगा । विशेषतः इसका प्रभाव मिलों पर अधिक पड़ेगा । समवायों को अपनी आस्तियां तथा दायित्व भी बताने होंगे । इसी प्रकार जब बाज़ार भाव बढ़ेंगे या घटेंगे तब भी उन्हें अपनी आस्तियों का मूल्यांकन करना होगा । मेरे विचार से तो ऐसे उपबन्ध से कोई विशेष लाभ नहीं है ।

ब्रिटेन में जब समवाय अधिनियम में संशोधन किया गया तो सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में रखा था कि यदि वह चाहे तो वह कुछ समवायों को अपनी रक्षित पूंजी बताने के नियम से मुक्त कर सकती है । मैं चाहता हूं कि यह अधिकार यहां पर भी सरकार के हाथ में रहे । बस यही मुझे कहना था ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं ने जो संशोधन दिये हैं उन की संख्या ११५२, ११५३ और ११५४ है । प्रथम संशोधन का उद्देश्य यह है कि समवाय को अपनी बैठक में यह घोषित कर देना चाहिये कि श्रमिकों को लाभांश दिया जायगा । मैं ने अपने भाषण में इस स्थिति की व्याख्या करते हुये पहले भी बताया है कि श्रमिकों को न्यून वृत्ति दी जाने की कमी को पूरा करने के लिये उन में लाभांश वितरित किया जाता है । अनेक न्यायाधिकरणों का भी यही मत है किन्तु व्यवहार में हम प्रायः देखते हैं कि लाभांशों को रक्षित पूंजी में परिणत कर दिया जाता है और फिर उस पूंजी से कोई अन्य उद्योग प्रारम्भ कर दिया जाता है अथवा मकान बनवा लिये जाते हैं । इस प्रकार केवल पूंजीपति ही उस का लाभ उठाते हैं और श्रमिक लाभांश से वंचित रह जाते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि अंशधारियों तथा श्रमिकों में समानता के आधार पर लाभांश वितरित किया जाय । ऐसा करने पर श्रमिकों के साथ न्याय किया जा सकेगा । मैं ने अपने दूसरे संशोधन में यह बताया है कि यदि रक्षित पूंजी को कभी चालू पूंजी में परिणत किया जाय तो उस में अंशधारियों के साथ श्रमिकों का भी समान अधिकार रखा जाय । आजकल हम देखते हैं कि पृथक् उद्देश्यों के लिये पृथक् पृथक् रक्षित पूंजी होती है किन्तु श्रमिकों के लिये कोई रक्षित पूंजी नहीं होती ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण दूसरे दिन जारी रख सकते हैं। आज हमें दूसरा काम भी करना है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ७ सितम्बर, १९५५ को उपस्थापित ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ७ सितम्बर, १९५५ को उपस्थापित, ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से समहत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा श्री ए० के० गोपालन द्वारा १२ अगस्त, १९५५ को रखे गये इस संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी कि कुछ वस्तुओं के विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिपत्य होना चाहिये। इस संकल्प के लिये आवण्टित तीन घण्टों में से आज की चर्चा के लिये ४६ मिनट शेष हैं। श्री करमरकर अपना भाषण जारी करेंगे, वह आधा घण्टा ले सकते हैं और उसके बाद मैं प्रस्तावक को संकल्प का उत्तर देने के लिये बुलाऊंगा।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : पिछली बार उत्तर देते समय मैं ने बताया था कि, राज्य व्यापार का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसे सभा में इस समय उठाया गया है। मुझे बहुत हर्ष है कि श्री गोपालन ने यह दिलचस्प चर्चा शुरू की। इस विषय के सम्बन्ध में मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। प्रधान मंत्री द्वारा हमारी आर्थिक नीति के अनुमोदन के बारे में भी उन्होंने कहा। मुझे प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्य भी है कि श्री गोपालन को पंच वर्षीय योजना के संसाधनों और आवश्यकताओं की चिन्ता है और वह उन्हें पूरा करना चाहते हैं। यदि उनका प्रस्ताव देश की मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल होता और उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती और हम उसे स्वीकार कर पाते तो हमें बहुत अधिक प्रसन्नता होती। पर मैं खेद के साथ कहता हूं कि हमें उनके प्रस्ताव से सन्तोष नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी सामान्य आर्थिक नीति की व्याख्या करके सभा का समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हम सरकारी क्षेत्र में कुछ विशेष कार्यवाही करना चाहते हैं और शेष उद्योगों के लिये ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का नियमन और उत्साह वर्द्धन करना चाहते हैं। श्री गोपालन विदेशी व्यापार को सामरिक महत्व की दृष्टि से देखते हैं और चाहते हैं कि उसके विकास के लिये सरकार उस पर कब्जा करे। मैं नहीं जानता कि विदेशी व्यापार के कौन से पहलू से श्री गोपालन का प्रयोजन है। जहां तक हम लोगों के दृष्टिकोण का प्रश्न है मैं विदेशी व्यापार को अपनी अर्थ-व्यवस्था का एक महत्पूर्ण भाग समझता हूं और इसका संचालन इस समय अधिकतर ग़ैर सरकारी व्यापारियों और उपक्रमियों द्वारा हो रहा है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें अवश्य हैं जिन पर हमने पहले से ही अधिकार कर लिया है और हम समझते हैं कि इसी प्रकार हम क्षेत्र की गतिविधियों का नियमन कर सकते हैं ताकि देश का विदेशी व्यापार

योजना के अनुसार हो और हमारे उद्देश्यों को पूरा करे। सभा को विदित है कि आयातों का नियमन बड़ी कठोरता से किया जाता है ताकि जो सीमत विदेशी विनिमय संसाधन हमें उपलब्ध हैं उन का अधिकतम लाभ हम अपने देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये प्राप्त कर सकें। घरेलू उपभोग की वस्तुओं के निर्मातों, जैसे खाने वाले तेल, खाद्यान्नों, मिर्च और प्याज आदि, का भी नियमन किया जाता है। हम सटोरिया प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिये राजकोषीय उपायों, जैसे आयात और निर्यात शुल्कों की सीमा निश्चित करना, को भी काम में लाते हैं। हां, मूल्यों में घटती-बढ़ती होती रहती है पर इस घटती-बढ़ती के कारण ऐसे होते हैं जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती और वे सरकारें भी, जिनका विदेशी व्यापार पर एकाधिपत्य होता है, इन कारणों को कभी भी रोक नहीं सकी हैं। विरोधी दल के सदस्य शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं बताता हूं कि रूसी मैंगनीज अयस्क के विश्व मूल्यों में उतनी ही घटती-बढ़ती होती रहती है जितनी हमारे मैंगनीज अयस्कों के मूल्यों में।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार के नियंत्रण सम्बन्धी राजकोषीय तथा अन्य उपायों के परिणामस्वरूप ही हमारे देश में मूल्यों की घटती बढ़ती में अन्य देशों तथा विश्व के मूल्यों की घटती बढ़ती की तुलना में बहुत कमी हो गयी है।

अब मैं श्री गोपालन की मुख्य परिकल्पना पर आता हूं। उनका कथन यह है कि यदि हम उनके द्वारा बतायी गयी वस्तुओं के विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिपत्य रखें तो हमें योजना में खर्च करने के लिये प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल जायेंगे। मैं ने उनके भाषण को बहुत ध्यान से कई बार पढ़ा पर मैं नहीं समझ पाया कि गणित के किस हिसाब से उन्होंने यह आंकड़े निकाले। मोटे तौर पर हमारा कुल विदेशी व्यापार, यानी आयात-निर्यात दोनों, १२०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। श्री गोपालन ने आयातों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही है। आज की दशा में हमारे आयात की अधिकांश मात्रा का आयात सरकार स्वयं करती है और सरकारी क्षेत्रों के लिये आवश्यक आयातों की मात्रा अनिवार्यतः बढ़ती ही जायेगी। निर्यात के सम्बन्ध में भी, श्री गोपालन ने हमारे स्थायी निर्यात की सभी वस्तुओं को नहीं लिया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने जानबूझकर हमारे नये उद्योगों के उत्पादों को छोड़ दिया है जिनके लिये हम बहुत बड़े बड़े निर्यात बाजार बनाने की आशा करते हैं। इस प्रकार, यदि हम इस संकल्प के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लें, तो भी प्रस्तावित राज्य संगठन का कुल आयात निर्यात ४०० करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। श्री गोपालन ने मान लिया है कि व्यापारिक संस्थायें १० प्रतिशत का लाभ लेती हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कैसे हिसाब लगाया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने कुल लाभ और शुद्ध लाभ में कोई अन्तर नहीं माना है। मैं समझता हूं कि मंजूरी परिवहन व्यय, कर्मचारियों का वेतन, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला कर निकाल कर शुद्ध आय इतनी नहीं हो सकती जितनी श्री गोपालन ने बताई है। यह बात सच है कि व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कमाये जाने वाले लाभों के बारे में हमारे पास ब्योरेवार जानकारी नहीं हैं। यदि मेरे पास यह सब जानकारी होती तो मैं श्री गोपालन के अनुमानों का खण्डन करता। हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि कुछ संस्थायें तो उचित लाभ लेती हैं और कुछ संस्थाओं ने भूतकाल में बहुत अधिक लाभ कमाया होगा। पर इस बात के सम्बन्ध में, अपनी

[श्री करमरकर]

योजना को इस अनुमान पर आधारित करना कि यदि राज्य एकाधिपत्य लागू कर दिया जाय तो उससे राज्य के संसाधनों में व्यापार पर १० प्रतिशत का लाभ होगा। इस बात पर विचार करते समय कि राज्य एकाधिपत्य से क्या लाभ होगा, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मौजूदा व्यापार-व्यवस्था में भी सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के विकास के कामों में पूंजी के विनियोजन के रूप में व्यापारों के लाभ में से काफी धन मिलता है। इस प्रकार, यदि पूरा संतुलन पत्र बनाया जाये तो सभा को पता लगेगा कि विरोधी दल के सदस्य द्वारा रखे गये संकल्प से योजना के लिये मिलने वाले धन में बहुत थोड़ी वृद्धि होगी।

थोड़ी देर के लिये हम यह मान लेते हैं कि कुछ निर्यातों पर राज्य का एकाधिपत्य हो जाने से बहुत अधिक राशि का लाभ होगा। पर यह लाभ तो तभी होगा जब राज्य एकाधिपत्य के आधार पर इस निर्यात-व्यापार के लिये आवश्यक पूंजी का विनियोजन कर सके। श्री गोपालन ने बताया कि १०० करोड़ रुपये वार्षिक की आय योजना के लिये हो जायेगी और लाभ की सामान्य दर १० प्रतिशत है। इस प्रकार सीधा सा हिसाब है कि १,००० करोड़ रुपये का विनियोजन व्यापार में करना पड़ेगा। अतः ऐसी अवस्था में जब कि हम नये उद्योगों के खोलने, और सामाजिक कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में पर्याप्त धन लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्या सभा इस बात के पक्ष में है कि सरकार इतनी बड़ी राशि एक ऐसे काम के लिये खर्च करे जिससे अन्य लोग अच्छी तरह कर रहे हैं। मैं श्री गोपालन को बताना चाहता हूं कि व्यापार एक विशेष अर्थ में उद्योग नहीं है। मेरे मित्र श्री गोपालन स्वामित्वहरण में विश्वास करते होंगे। वह शायद बिना कुछ प्रतिकर दिये उद्योगों पर कब्जा करने के पक्ष में होंगे पर हम इसके पक्ष में नहीं हैं। पर यह बात विषय से अलग है।

किन्तु श्री गोपालन भी व्यापार पर कब्जा करके उसे बिना पूंजी के नहीं चला सकेंगे क्योंकि व्यापार में मशीन या संयंत्र-सी कोई चीज नहीं है जिस पर वह कब्जा कर सकें। यदि उनके सुझाव को मान कर व्यापार पर राज्य का नियंत्रण कर दिया जाय तो हमें १,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि इस समय हम इतना धन खर्च नहीं कर सकते।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरभंग) : १,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता एक साथ नहीं पड़ेगी, यह राशि धीरे धीरे कई वर्षों में चाहिये।

श्री करमरकर : मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वह श्री गोपालन की सहायता करें। व्यापारियों को हानि भी होती है और राज्य व्यापार उपक्रम भी इस सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं है। भूतकाल में भी इस सभा ने सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यापार में होने वाली हानियों की बड़ी आलोचना की है। यह व्यापार लाभ के लिये नहीं, बल्कि आर्थिक या सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये किया गया था; जैसे खाद्यान्नों का व्यापार। अतः इस बात में मुझे सन्देह है कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई बात को यदि कार्यान्वित भी किया जाये तो सभा उसका समर्थन नहीं करेगी।

अभी तक हमने तर्क के लिये यह मान लिया था कि प्रस्तावित राज्य एकाधिपत्य को लागू करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं होगी। पर निकट भूत में दो समितियों ने राज्य व्यापार की समस्या के

सम्बन्ध में जो निश्चय किये हैं उनके अनुसार मानी गयी इस बात की धारणा उपयुक्त नहीं है । मेरे साथी डा० पी० एस० देशमुख जिस समिति के सभापति थे उसका प्रतिवेदन १९५० में आया था । उस समिति ने सिफारिश की थी कि उस समय की सरकार खाद्यान्नों और उर्वरकों का जो व्यापार कर रही थी उसे एक संविहित राज्य व्यापार निगम के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये जो इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका की रूई का आयात और छोटे रेशे की रूई और कुटीर उद्योग के उत्पादों का निर्यात भी करे । जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति ठीक होने लगी और भारत में खाद्यान्नों, उर्वरकों और रूई के उत्पादन में बहुत उन्नति हो गयी तो तीन व्यक्तियों की एक समिति, बाद में जिसके सभापति श्री कृष्णमूर्ति राव बने, को इस मामले पर अग्रेतर जांच करने को कहा गया । यह समिति इस निश्चय पर पहुंची कि आज की बदली हुई परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य व्यापार निगम के लिये खाद्यान्नों और उर्वरकों का भी आयात करे । उन्होंने यह सिफारिश की थी कि केवल हाथ के बुने कपड़े और छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योग के कुछ चुने हुये उत्पादों के निर्यात को शुरू करने के लिये ही एक राज्य व्यापार निगम स्थापित किया जाना चाहिये । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हम अभी भी इस सिफारिश पर विचार कर रहे हैं और सावधानी से इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ।

बहुत समय नहीं हुआ—एक ऐसा भी समय था जब विरोधी दल के सदस्यों द्वारा बताई गई बहुत सी वस्तुओं के बेचने वाले अपना काम चला रहे थे क्योंकि उस समय चीज़ों का बेचना आसान काम था, उदाहरणत: मिर्च के लिये इन्डोनेशिया और सारवाक का पता भी नहीं था और हम पूरा लाभ उठा रहे थे । उस समय खूब फायदा उठाना कठिन काम नहीं था । सभा को पता है कि अब संसार की स्थिति बदल गई है और इस समय संकल्प में बतायी गयी चीज़ों की पूर्ति उनकी मांग से ज्यादा हो गयी है । सभी ओर प्रतियोगिता है । पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप प्रतियोगिता और भी बढ़ गयी है और विशेष रूप से हमारे जूट के बने सामानों के बाज़ारों में । विश्व की अशान्ति के कम होने के साथ साथ अभ्रक की मांग में भी कमी होने की आशा है । हमारे मैंगनीज़ अयस्कों और अन्य धातुओं के अयस्कों की बिक्री पहले की भांति नहीं हो रही है गत वर्ष हमारे लिये बहुत कठिनाई थी क्योंकि प्रतियोगितात्मक साधनों से बड़ी मात्रा में पूर्तियां उपलब्ध हैं । इस समय इण्डोनेशिया से मिर्च का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है । बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण पिछले वर्षों में हम जूट के सामान, सूती कपड़े, मिर्च, मैंगनीज़ अयस्क आदि पर निर्यात शुल्क कम करते रहे हैं ।

ऐसी अवस्था में दुनिया में फैले हुये व्यक्तिगत व्यापारियों से व्यापार छीन कर अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करने में गैर सरकारी संस्थाओं के बजाय सरकार को अधिक लाभ होगा यह बात सन्दिग्ध है ।

श्री गोपालन ने बताया कि दीर्घकालीन संविदा से सभी बुराइयां दूर हो जायेगी । सभा को पता है कि संविदा के लिये दो पक्षों का होना आवश्यक है और आज की स्थिति में बहुत थोड़े खरीदार ही दीर्घकालीन संविदा के लिये राज़ी होंगे । वह भी अन्य प्रतियोगितात्मक साधनों से पूर्ति चाहेंगे और यह तभी सम्भव है जब किसी वस्तु के सम्बन्ध में संसार भर में हमारा ही एकाधिपत्य हो और हम संसार के ऊपर अपनी शर्तें लागू कर सकें । हो सकता है कि कोई खरीदार संविदा के लिये राज़ी हो जाय पर वह

[श्री करमरकर]

ऐसा मूल्य देना चाहे जो हमें उचित न लगे। प्रत्येक समझदार व्यापारी जानता है कि मूल्यों के सम्बन्ध में दीर्घकालीन करार ठीक नहीं होता। ऐसा सौदा तभी उचित समझा जाता है जब हमें किसी वस्तु की बहुत आवश्यकता हो। इसके अलावा ऐसे करार का दूसरा प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। कोई भी व्यापारी यह नहीं चाहेगा कि मूल्यों के सम्बन्ध में हानि उठाये। वह प्रतिवर्ष नया करार करना चाहेगा क्योंकि दीर्घकालीन करार में उसके हाथ कई वर्षों के लिये बंध जायेंगे। फिर यदि किसी वस्तु का मूल्य बाज़ार में बढ़ जायेगा तो भी हम करार में बंधे होने के कारण अधिक मूल्य नहीं मांग सकते।

जिन राज्यों में व्यापार की ऐसी प्रणाली है जैसी कि इस संकल्प में कही गयी है वहां भी इन चीज़ों के निर्यात के विकास की बात दीर्घकालीन करार द्वारा नहीं होती। मैं दीर्घकालीन क़रार के विपक्ष में नहीं हूं बशर्तेकि उससे देश को हानि न हो। पर मैं समझता हूं कि गर्तमान परिस्थितियों में ऐसे क़रारों का महत्व बहुत सीमित है।

एक पहलू और है जिसकी मुझे चिन्ता है। यह पहलू रोज़गार का है। हम नयी नौकरियों के बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः ऐसा कोई क़दम उठाना जिससे बेरोज़गारी फैले उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि लगभग एक करोड़ व्यक्ति सम्पूर्ण व्यापार में काम कर रहे हैं। विदेशी व्यापार के बारे में हमें ठीक संख्या नहीं मालूम है। यह व्यापारिक संस्थायें लोगों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी नौकरियां देती हैं। जैसे कलकत्ता में बहुत से लोग जूट के व्यापार से अपनी जीविका चलाते हैं।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : क्या उनको राज्य व्यापार अभिकरणों का रूप नहीं दिया जा सकता ?

श्री करमरकर : किन्तु तब मेरे माननीय मित्र संख्या घटाने की बात सोचेंगे ताकि कोई अतिरिक्त कर्मचारी न रहें। हम दोनों तरफ़ से फायदा नहीं ले सकते। यदि वह व्यापार राज्य संगठन के अधीन हो जायेगा तब उसे सारा काम कम कर्मचारियों से चलाना पड़ेगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : पर अनुभव इसके विपरीत रहा है।

श्री करमरकर : हो सकता है कि मेरे माननीय मित्र का अनुभव ऐसा रहा हो।

इसी प्रकार बम्बई में कपड़ा, मद्रास में चमड़ा और खालें, त्रावनकोर-कोचीन में मिर्च और नारियल तथा उससे बनी चीजों के व्यापार रोज़गार के मुख्य साधन हैं। व्यापार के क्षेत्र में राज्य का एकाधिपत्य होने पर इतने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। अधिकांश छोटे व्यापारी और उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। हमें इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार करना है। इस सम्बन्ध में सभा कभी भी एक मत नहीं होगी।

जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि हम ऐसे मामलों में ऐसे सैद्धान्तिक उपायों को पसन्द नहीं करते।

हमें कारोबारी द्रष्टिकोण रखना चाहिए और हम किसी भी प्रकार से राज्य व्यापार के विरोधी नहीं हैं—हम सैद्धान्तिक द्रष्टि से राज्य व्यापार का विरोध नहीं करते; वास्तव में इसी ढंग से धीरे धीरे उन्नति होगी—वस्तुओं में या स्थितियों में जिनमें एसी प्रणाली देश के हितों की द्रष्टि से वांछनीय और शीघ्रकारी प्रतीत होती है। भूतकाल में सरकार स्वयं खाद्यान्न का आयात करती थी। श्री जी० डी० सोमानी ने जिस पत्रिका का उल्लेख किया है, मैं उसमें दिये गये निष्कर्षों

पर अधिक विश्वास नहीं रखता । मेरा मत यह है कि सरकार द्वारा खाद्यान्न आयात का एकाधिपत्य से नियंत्रण होने को द्वारा भीषण राष्ट्रीय आपात की अवधि का सामना करने में देश को बड़ी सहायता मिली । यदि यह उत्तरदायित्व ग़ैर-सरकारी क्षेत्र पर भी छोड़ दिया जाता तो सरकार को इन सौदों में जितनी हानि हुई है उससे अधिक भार उपभोक्ता पर पड़ता । यद्यपि सरकार ने वितरण के मामले में बहुत कड़ा नियंत्रण रखा था, हमें मालूम है, तब दो भाव साथ साथ चलते थे, एक उचित भाव, जिस पर सरकार बेचती थी और दूसरा खुले बाजार का भाव था । पहिले कई अवसरों पर सरकार ने अदला बदली की, अथवा दूसरे शब्दों में सरकार ने अर्जनटाइना, सोवियत रूस और चीन आदि देशों के साथ विशिष्ट वस्तुओं की निश्चित मात्रा खरीदने और देने केलिये निश्चित वचनों का आदान-प्रदान किया । जैसा कि सभा को विदित है, ऐसे देशों के साथ व्यापार के लिये, जो एकाधिपत्य वादी संगठनों के द्वारा अपना विदेश व्यापार करते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है—मैं समझता हूं कि इस विषय में मैं और श्री गोपालन सहमत होंगे कि देश में एक तत्स्थानी संगठन होना चाहिये जो समान शर्तों पर इन सौदों की बातचीत कर सके । रघुरामैया ने कुछ कठिनाइयां बताई हैं, जो विदेशों में राज्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ, एक-दूसरे की प्रतियोगिता में, ख़रीदने और बेचने के क़रारों की बातचीत करने वाले ग़ैर-सरकारी दलों से उत्पन्न होती हैं । हम श्री रघुरामैया के नेतृत्व में चीन को भेजे गये शिष्ट मन्डल द्वारा की गई सेवाओं की सराहना करते हैं और सभा को विदित है कि उससे अच्छे परिणाम निकले हैं । अतः स्वभावतः उन के सुझाव के पीछे अनुभव है । मैं समझता हूं कि श्री गोपालन ने कहा था कि हमारे व्यापार का वर्तमान ढांचा ऐसा है जो उन देशों के साथ, जहां विदेश व्यापार की व्यवस्था सरकार करती है, अच्छे व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिये पर्याप्त सुविधा नहीं देता । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि श्री ए० एम० थामस और श्री गोगालन जिन्होंने इस वाद विवाद में अच्छा भाग लिया है और श्री रघुरामैया जिन्हें इस प्रकार का अच्छा अनुभव है—की मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने इस विषय में बड़े उपयोगी सुझाव दिये हैं और मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि सरकार इस विषय में अभिव्यक्त किये गये विचारों पर अच्छी तरह विचार कर रही है । किन्तु, ऐसे देशों के साथ व्यापार करने के अतिरिक्त, सरकार के हाल में ही वर्तमान व्यापार व्यवस्था की त्रुटियां मालम हुई हैं कि यह कुछ विशेष वस्तुओं को, जिन के संभरण और मांग में अस्थायी अन्तर हो जाता है, और जहां विश्व संभरण अन्तर्राष्ट्रीय क़रारनामों द्वारा नियंत्रित होता है, उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में देने में असमर्थ रहती है । हमने ऐसी अवस्था में अर्ध-एकाधिपत्य वादी प्रबन्ध के द्वारा पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा संगठन स्थापित करना उचित नहीं होगा, जो सरकार की सहायता कर सके—और मैं समझता हूं कि जब कभी ऐसी समस्या उपस्थित हो तो उसे अधिक अच्छी तरह हल करने के बारे में श्री गोपालन ने जो बात कही है, वह पूरी हो जायगी, कम-से-कम अंशतः अवश्य पूरी हो जायेगी ।

माननीय प्रस्तावक ने जिन वस्तुओं की सूची रखी है, उन में से कुछ के बारे में, हमें मुख्यतया अपनी नियामक शक्तियों पर आश्रित होना पड़ता है और यह निश्चय करना पड़ता है कि देश का विदेश व्यापार योजना के उद्देश्यों और प्रयोजनों के अनुसार

[श्री करमरकर]

किया जाता है । हम भी आशा करते हैं कि राजकोषीय उपायों की साहयता के द्वारा, जो हम पहले कर रहे हैं, और जो हम भविष्य में अपनायेंगे, हम व्यापारी समाज को योजना के औद्योगिक-क्षेत्र की सफलता के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करने के लिये प्रेरित कर सकेंगे । हम स्थिति का लगातार विवेचन करना चाहते हैं और यदि हमें मालूम हो जाये कि किसी विशिष्ट मामले में हमारी नियामक शक्तियां और राजकोषीय उपाय अच्छी तरह सफल नहीं हुये हैं अथवा व्यापार का ढांचा बदल देने से राज्य को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है, तो हम और अधिक सक्रिय कार्यवाही करने में ढील नहीं करेंगे । पहले ही व्यापक क्षेत्र है जिसमें राज्य अपना क्रय करता है । ज्यों-ज्यों ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की आवश्यकतायें बढ़ेंगी, यह क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता जायेगा, अर्थात् स्वभावतः राज्य की ओर से अधिकाधिक क्रय होगा । इसके अतिरिक्त हम यह परीक्षण एवं विचार करना चाहते हैं कि क्या राज्य व्यापार संगठन स्थापित करना अनिवार्य है जो उन देशों के साथ जहां व्यापार सरकार के हाथों में है, व्यापार बढ़ाने की सुविधा देने के लिये और दूसरे उन कठिनाइयों तथा समस्याओं को हल करने में सरकार की सहायता करने के लिये, जिन के लिये ग़ैर-सरकारी व्यापारी असमर्थ हैं, स्थापित किया जा सके । समिति के बारे में, जैसा कि मैं श्री रामचन्द्र रेड्डी को बताने का प्रयत्न कर रहा था, यह ऐसा मामला है जिसके बारे में सरकार को स्वयं सोचना पड़ेगा कि जो आंकड़े समिति को उपलब्ध होंगे वे पहले ही सरकार के सामने हैं । पहले हमने इन दोनों समितियों को इस मामले का ख़ूब अध्ययन करने को कहा था । उन्होंने सब पहलुओं पर विचार किया, किन्तु तब उन्होंने समय के लिये उपयोगी सांख्यिकी पर विचार किया । जैसा कि सभा को अच्छी प्रकार विदित है, व्यापार गतिशील होता है । यह बदलता रहता है । केवल सांख्यिकी की अनुपलब्धि की अधिक कठिनाई नहीं । हम इस अधिक महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में कोई शीघ्र कार्यवाही करके देश या राष्ट्रीय हित को हानि नहीं पहुंचाना चाहते । इसलिये हमारा विश्वास है कि इस समय इस प्रकार की समिति इस मामले में सहायक नहीं हो सकती ।

इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं । जैसा कि मैं ने पहले कहा था, इस विषय के बहुत से महत्वपूर्ण पहलू हैं । कुछ लोग कहा करते थे कि व्यापार अनिश्चित धन्धा होता है । एक दृष्टि से यह ठीक है क्योंकि व्यापार आरम्भ करते समय किसी को भी पक्का विश्वास नहीं होता । उद्योग चलाने के काम पूंजी और मशीनरी से शुरू किया जाता है और वस्तुयें तैयार की जाती हैं, किन्तु जब उनको बाजार में रखा जाता है, तो हानि और लाभ दोनों ही हो सकते हैं । मुझे पक्का विश्वास है कि श्री गोपालन इस मामले में हमें शीघ्रता करने के लिये नहीं कहेंगे । जैसा कि मैं ने पहले कहा, हमारे सामने यह प्रश्न है कि ऐसे देशों के साथ व्यापार करने के लिये जिनका व्यापार पूर्णतया उनके नियंत्रण में है, क्या प्रणाली विकसित करनी चाहिये और दूसरे उन वस्तुओं के बारे में, जो हम पहले से खरीद रहे हैं, क्या किया जाये—और जैसा मैं ने अभी कहा, कि वह क्षेत्र राज्य की आवश्यकताओं के बढ़ जाने के कारण निकट भविष्य में बढ़ेगा, ऐसी सम्भावना है ।

मैं ने संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है जिन पर चर्चा की गई थी । मैं समझता हूं कि इस संकल्प

द्वारा सभा का ध्यान आकर्शित करने में और इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने में हमारा उद्देश्य सिद्ध हुआ है। मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि क्या श्री गोपालन का यह विचार था कि तुरन्त इस संकल्प के प्रस्तुत किय जाने से उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा ; किन्तु में समझता हूं कि वह सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करने में अवश्य सफल हुये हैं, क्योंकि जब सभा किसी विषय पर चर्चा करती है तो सरकार का ध्यान भी उस विषय की ओर अधिक दिलाया जाता है। परन्तु मैं कहूंगा कि इस मामलें में हमारा काम कुछ अधिक कठिन है। हमें सब कठिनाइयों का ध्यान रखना पड़ता है जब कि दूसरी ओर के माननीय मित्र के सामने यह कठिनाई नहीं है, जो अपना सर हिला रहे हैं। ऐसे मामले में श्री कामत से मंत्रणा लेने से पूर्व मुझे निश्चय ही कई बार सोचना पड़ेगा। यदि मैं श्री कामत की मंत्रणा लूं, तो हानि की सम्भावना है, क्योंकि उनके लिये यह "सब कुछ ले लो" और "सब कुछ फेंक दो" की नीति है। हमें या तो पूरी सफलता मिल सकती है या पूर्ण असफलता।

श्री कामत (होशंगाबाद) : यह मेरा ही सुझाव नहीं, अपितु राज्य व्यापार समिति के एक सदस्य डा० पी० एस० देशमुख का भी यही सुझाव था।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : यद्यपि कुछ सदस्यों न राज्य व्यापार सम्बन्धी संकल्प का विरोध किया था, तो भी वे इस सिद्धान्त के पक्ष में थे। कांग्रेस की एक उप-समिति ने भी राज्य व्यापार की सिफारिश की थी, परन्तु आज माननीय मंत्री के भाषण से मुझे निराशा हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य व्यापार हानि का काम है और हमारे पास पूंजी भी नहीं है, आदि आदि।

जिन सभासदों ने इस संकल्प का विरोध किया है उन्होंने केवल लाभ को दृष्टिगत रखा है। यह लाभ का प्रश्न नहीं। लाभ अवश्य होगा इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। यदि मंत्री महोदय को लाभ जानने का कोई साधन नहीं मिला, तो उन्होंने यह निष्कर्ष क्यों निकाला है कि इस उपक्रम में हानि ही होगी। जो व्यापार गृह इन वस्तुओं का विदेश व्यापार करते हैं, वे ठीक चल रहे हैं, जिसका यह अर्थ है कि उन्हें लाभ अवश्य होता है। यदि उन्हें हानि होती और लाभ न होता तो वे अपना व्यापार वर्षों पहले बन्द कर चुके होते। यह मानने वाली बात है कि मूल्यों के उतार चढ़ाव के कारण कभी हानि कभी लाभ होता रहता है, परन्तु समूल रूप में लाभ ही होता है। फिर केवल लाभ का ही प्रश्न नहीं, बल्कि यह उत्पादन और आर्थिक स्थिरता का भी प्रश्न है।

इन वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता रहता है, कभी कभी तो उत्पादन की लागत भी पूरी नहीं हो पाती। परन्तु यदि इन वस्तुओं में राज्य व्यापार हो, तो इन के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हो सकता, क्योंकि इनके उत्पादन में स्थिरता आ जायेगी।

हानि और लाभ के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये। यदि कोई लाभ नहीं होता तो हम अन्य विकास योजनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हानि हो तो केवल अनिवार्य वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है।

मूल्यों के उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाई और कष्ट होता है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिये यदि लाभ कम होता है या बिल्कुल लाभ नहीं होता, तो भी हमें किसानों के कष्ट और उनकी कठिनाई को दूर करने तथा देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिये इन वस्तुओं में राज्य व्यापार करना चाहिये।

[श्री ए० के० गोपालन]

संकल्प का विरोध करते हुये श्री सोमानी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि सरकार राज्य व्यापार नहीं करना चाहती तो यह हम पर छोड़ दिया जाना चाहिये। श्री एल० एन० मिश्र ने पटसन में राज्य व्यापार करने का और श्री रघुरामैा ने तम्बाकू में राज्य व्यापार करने का समर्थन किया था और श्री थामस ने काली मिर्च, अदरक और अगिया घास का तेल तथा कुछ अन्य वस्तुओं में राज्य व्यापार करने का तर्क सहित समर्थन किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री कम-से-कम इन चीज़ों में तुरन्त राज्य व्यापार करना आरम्भ कर दें।

माननीय मंत्री ने कहा है कि जहां व्यापार राज्य के हाथ में होता है, वहां दीर्घकालीन क़रार हो सकता है, और यह स्वीकार किया है कि दीर्घकालीन क़रार के द्वारा व्यापार करने के लिये सरकार एक प्रकार का राज्य निगम बनाने का प्रयत्न करेगी। मंत्री ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि कुछ राज्यों में व्यापार सरकार के नियंत्रण में होता है।

श्री करमरकर : कुछ देशों में विदेश व्यापार पूर्णतया राज्य के हाथों में होता है और कुछ राज्यों में पूर्णतया ग़ैर-सरकारी हाथों में। जो देश विदेश व्यापार का नियंत्रण करते हैं, उन में से कुछ के साथ हमारा सम्बन्ध रहा है और कई उन देशों से भी, जहां विदेश व्यापार ग़ैर-सरकारी लोगों के हाथों में है। पहले प्रकार के सम्बन्धों की सुविधा के लिये, मैं ने कहा था कि हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या हम कोई संगठन आदि नहीं बना सकते ? मेरे बारे में यह नहीं समझा जाना चाहिये कि मैं दीर्घकालीन करारों की वांछनीयता से बंधा हुआ हूं। वास्तव में मैं ने यह कहा था कि किसी देश के साथ, जहां हम माल बेचते हैं ये दीर्घकालीन क़रार कभी भी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। मैं ने यही कहा था।

श्री ए० के० गोपालन : दीर्घकालीन क़रारों का एक बड़ा लाभ यह है कि मूल्यों का उतार-चढ़ाव कम होगा। तम्बाकू और काली मिर्च के दीर्घकालीन क़रार हैं, इसलिये इनमें किसानों को लाभ होता है। देश के ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता होने के कारण वे दीर्घकालीन क़रार नहीं करते, क्योंकि वे सदा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि मूल्य तेज़ हो और वे लाभ उठायें। यह मूल्य बढ़ने और घटने का प्रश्न नहीं है। मूल्यों के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये दीर्घकालीन क़रार अवश्यंभावी हैं। हमें उत्पादन व्यय को ध्यान में रखना चाहिये। मूल्यों के उतार-चढ़ाव को रोकने तथा किसानों को लाभ पहुंचाने एवं आर्थिक स्थायिता लाने के लिये राज्य को विदेश व्यापार अपने हाथ में लेना चाहिये और कुछ एक विशेष वस्तुओं में सभी देशों के साथ व्यापार करना चाहिये और दीर्घकालीन क़रार किये जाने चाहियें। उदाहरणतः, चार वर्ष के लिये कोई क़रार हो सकता है। क़रार के समाप्त होने से पहले ही सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि पुराने क़रार का नवीकरण हो सकता है या और कोई क़रार किया जा सकता है। मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि यदि अन्य देशों के साथ दीर्घकालीन क़रार हो तो मूल्यों में होने वाली इस घटती-बढ़ती को रोका जा सकता है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि खाद्य में हानि हुई है। मेरा यह कहना है कि इस बात के आधार पर हानि होने की गणना की गई थी कि समवर्ती शुल्क एवं फुटकर बेचने वालों के प्रभार ५० प्रतिशत कम हो सकते थे। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में सही आंकड़े

नहीं बताये गये हैं। यह भी कहा गया है कि एतत्सम्बन्धी काम करने वालों की अकार्य-क्षमता से ऐसा हुआ। श्री ए० एम० थामस ने चाऊ-एन-लाई का हवाला देते हुये कहा कि जब चीन में ऐसा नहीं हो सका तो भारत में यह काम कैसे होगा। देश की योजना को दृष्टि में रखते हुये ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता। क्या प्रथम या द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय हमने यह देखा था कि प्रत्येक बात पूर्ण रूप में है और केवल व्यापार पूर्ण रूप में नहीं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री ए० के० गोपालन : मैं अभी अपना भाषण समाप्त करूंगा। दूसरा प्रश्न बेरोज़-गारी के सम्बन्ध में है। यदि व्यापार का काम सरकार ने संभाला तो उस के पास सहकारी, क्रय-विक्रय संस्थायें, आदि रहेंगी। हमारा यह अनुभव है कि जब भी सरकार कोई नया काम आरम्भ करती है तो अधिक लोगों को काम मिलता है।

व्यापार की निर्बाधता के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। जिन देशों में राज्य द्वारा कोई व्यापार नहीं होता, वहां एकाधिपति ही क्रय-विक्रय का काम करते हैं। अच्छे विपणन, आदि के लिये राज्य को ही व्यापार संभालना चाहिये, क्योंकि व्यक्तिगत व्या-पारी यह काम नहीं कर सकते।

दीर्घकालीन क़रार, आदि उन्ही देशों के साथ हो सकते हैं जो भारत से वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं। उदाहरणतः, मिश्र को बढ़िया किस्म की चाय चाहिये और वह अच्छे दाम देने को तैयार भी है, किन्तु विदेशी विनिमय के अभाव में वह चाय नहीं मंगा सकता। जहां तक लाभ और हानि का प्रश्न है, मेरा यह दावा है कि यदि राज्य व्यापार संभाले तो लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी। मैं समझता हूं कि लाभ और हानि का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मूल्यों की घटती-बढ़ती को रोकने का काम है क्योंकि इस तरह के मूल्यों के चढ़ाव-उतार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि राज्य व्यापार को संभालता है तो लाभ होगा ; चुनाचि वह लाभ देश के विकास के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है और उस से देश की आर्थिक दृढ़ता भी बनी रह सकती है।

मुझे आशा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में मंत्री जी राज्य व्यापार सम्बन्धी चर्चा में मेरे संकल्प का समर्थन करेंगे। उन्होंने संकल्प का विरोध तो किया है किन्तु मैं समझता हूं कि वह मुझ से इस बात में सहमत हैं कि राज्य व्यापार, वास्तव में, लाभ-कर होगा। मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक कुछ वस्तुओं का अन्य देशों में राज्य व्यापार का संबन्ध है, सरकार उन वस्तुओं के व्यापार में राज्य का नियंत्रण चाहती है। मेरा उनसे यह निवेदन है कि वह कम-से-कम ऐसा कर लें।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने काली मिर्च, आदि जैसी वस्तुओं के संबन्ध में कहा है कि इंडोनेशिया और सारवाक जैसे अन्य प्रतियोगी देश होंगे। अन्य वस्तुओं में—जैसे अगिया घास का तेल—हमारा प्रति-योगी देश गुआटीमाला है, जिसने इस वस्तु को राज्य व्यापार की वस्तु माना है। क्या मंत्री जी नें अपने देश की किसी ऐसी वस्तु के संबन्ध में ऐसी बात सोची है—उदाहरणतः काजू पर हमारा एकाधिपत्य है—हम मुंह मांगे दाम ले सकते हैं। राज्य इस प्रकार की वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिपत्य क्यों नहीं जमाता ?

श्री करमरकर : मुझे इस बात का विश्वास है कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त

[श्री ए० के० गोपालन]

किये गये दृष्टिकोणों पर सावधानी से विचार करेगी। मेरा विचार है कि माननीय प्रस्तावक वाद-विवाद से अंशतः संतुष्ट हैं और मैं यह आशा भी करता हूं कि वह अपना संकल्प वापिस लेंगे ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन सभा के समक्ष रखूंगा । श्री रामचन्द्र रेड्डी श्री वी० पी० नायर, श्री बोगावत और श्री शिवमूर्ति स्वामी के नाम से चार संशोधन हैं ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति स वापिस लिया गया ।

[सभापति महोदय द्वारा श्री रामचन्द्र रेड्डी, श्री वी० पी० नायर और श्री शिवमूर्ति स्वामी के संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।]

[सभापति महोदय द्वारा श्री ए० के० गोपालन का विदेशी व्यापार पर राज्य एकाधिपत्य सम्बन्धी मुख्य संकल्प मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ ।]

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिये ३ घंटे नियत किये गये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य): भारतवर्ष के लिये आज बड़े महत्व का दिन है, जबकि लगभग आठ सौ वर्ष के पश्चात् हम फिर इस हेतु समवेत हुए हैं कि हम विचार करें कि भारत का जहाज़-व्यवसाय अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो । इस विषय पर विचार करने के पहले मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ दृष्टि डालना चाहता हूं ।

हमारे वैदिक, महाभारत और रामायण काल में "अष्टबल" का वर्णन मिलता है । उसमें "नौ-बल" का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है । नौ-बल का अर्थ है नाविक सेना, मरकन्टाइल या मैराइन नेवी । क्रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि "ट्रांस्पोर्टेशन इज़ सिविलाइज़ेशन" । इस विषय में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि भारत की सभ्यता का विकास और उसकी सभ्यता के विकास का आधार भारत की नाविक शक्ति था । इसी प्रकार यदि हम ईजिप्ट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, तो हमें ज्ञात होगा कि ५४५५ वर्ष पूर्व भी ईजिप्ट के पास अनेक जहाज़ों का एक बेड़ा था और ४० जहाज़ों का उसका एक बेड़ा व्यापार के लिये फोनीशिया गया था और उस व्यापार के साथ ही साथ ईजिप्ट और फोनीशिया के मध्य सभ्यता का भी आदान-प्रदान हुआ ।

आपको यह बात जान कर भी आश्चर्य होगा कि यद्यपि आज हमारी ओवरसी ट्रेड की अवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है और उसकी मात्रा बहुत कम है, परन्तु ४९५० वर्ष पूर्व हमारे जहाज़ अरब की खाड़ी में जाया करते थे, रैड सी में जाया करते थे और चीन में जाया करते थे । डा० साई ने, जोकि एक एसीरियोलाजिस्ट हैं, एसीरियन आर्कोआलोजिस्ट (पुरातत्व वेत्ता) हैं, साबित किया है कि आज से ४९५० वर्ष पूर्व हमारे जहाज़ बेबीलोन तक पहुंचा करते थे । इसी प्रकार आप देखेंगे कि आज से २२५० वर्ष पूर्व मैगस्थनीज़ ने भारतीय बेड़े की बहुत प्रशंसा की है । जिस समय भारत पर अलग-ज़ेन्डर का आक्रमण हुआ था, उस समय पौरस ने भारतीय जहाज़ी बेड़े के साथ उसका

सामना किया था और जब अलगज़ेन्डर हिन्दुस्तान से लौटा, तो वह ८०० भारतीय जहाज़ों पर गया, जोकि हिन्दुस्तान में ही बने थे ।

इसके बाद आप देखेंगे कि क्रीट, ग्रीस और रोम इत्यादि राज्यों की जो सभ्यता थी, वह केवल मेडीट्रेनियन तक ही सीमित थी, महदूद थी, जोकि एक प्रकार की झील थी। इस का कारण यह था कि उनका जहाज़ी बेड़ा, उनका जहाज़ी व्यवसाय इतना विकास-शील और उन्नत नहीं था कि वे ओशन में जा सकें। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि हमारे भारतवर्ष का जहाज़ी बेड़ा आज से चार हजार वर्ष पहले ओशन में जाता था । हम देखते हैं कि २२०० वर्ष पूर्व अशोक काल में अशोक पुत्र महेन्द्र और संघमित्रा पटना से—पाटलिपुत्र से—सिंहल जाने के लिये रवाना हुए और ताम्रलिप्ति बन्दरगाह से जहाज़ पर चढ़ कर वे वहां पहुंचे और अनुराधापुर में उन्होंने बोधि वृक्ष की शाखा लगाई ।

इसी प्रकार आप देखेंगे कि सन् १ ए० डी० में सौराष्ट्र के राजा प्रभुजय पहले व्यक्ति थे, जोकि समुद्र पार करके जावा गये और उन्होंने वहां अपनी सभ्यता का प्रचार किया । आप यह भी देखिये कि हमारे भारतवर्ष के वाङ्मय में जहाज़ों और नौ-बल का इतना महत्व था कि सन् १७३ ए० डी० में राजा यज्ञश्री ने अपनी मुद्रा पर अपना चित्र नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस पर जहाज़ का चित्र दिया । इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में हमारे देश में जहाज़ी व्यवसाय का कितना महत्व था । उस समय सौराष्ट्र, गुप्त, हर्ष, कालिंग, चोल इत्यादि राज्यों ने भारतीय बेड़े के विकास और उसकी वृद्धि के लिये घोर प्रयत्न किया और उन्होंने संसार भर की बन्दरगाहों में अपने जहाज भेजे । सन् १०१८ से ले कर १०३५ तक राजेन्द्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को एक प्रकार से झील बना दिया और वह इस तरह से कि वहां पर इतने भारतीय जहाज थे कि किसी को समुद्र का भय नहीं था और आवागमन अत्यन्त सुगम हो गया था । ग्यारहवीं शताब्दी का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है जिसका नाम है "युक्ति कल्पतरु" । उससे ज्ञात होता है—आप को यह जान कर आश्चर्य होगा—कि हमारे देश में उस समय २७ प्रकार के जहाज़ बनते थे और २३०० टन के जहाज़ तैयार होते थे । यह ठीक है कि एक हजार वर्ष तक हम लोग ग़ुलाम थे और उस काल में हम कोई जहाज नहीं बना सके । लेकिन वास्तव में हमारे जहाज़-व्यवसाय का अन्धकारमय युग उस समय आरम्भ हुआ जब कि बारहवीं शताब्दी में विजय और चोल राज्यों में संघर्ष प्रारम्भ हुआ । १०२६ में भारत पर महमूद गज़नवी का आक्रमण हुआ और इस देश का अन्धकारमय काल आरम्भ हुआ । इस विजय-चोल संघर्ष ने भारतीय बेड़े का नाश कर दिया और ११९३ में जब पृथ्वीराज थानेश्वर में हारे, तो उसके साथ साथ पराधीनता भी हमारे सिर पर सवार हुई । इस लिये यह बारहवीं शताब्दी का काल भारत का घोर अन्धकारमय काल है, लेकिन फिर भी दक्षिण के जो हमारे हिस्से आज़ाद थे, उनमें जहाज़ बराबर बनते रहे । मार्को पोलो जब १२७५ में यहां आया, तो उसने देखा कि दक्षिण में इतने बड़े जहाज बनते थे कि लाइफ़ बोट साइज की दस नावें एक एक जहाज़ पर लटकती थीं, ताकि अगर ज़हाज़ डूबने लगे, तो लोग लाइफ़-बोट पर चले जायें, और एक एक जहाज़ पर ६० कैबिन्ज अर्थात् कोठरियां बनी हुई थीं, जिनमें बैठ कर यात्री लोग यात्रा करते थे । लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जहाज़-व्यवसाय का अत्यन्त शोकमय काल उस वक्त आरम्भ होता है, जब कि २० मई, १४९८ को वास्को-डिगामा का कालीकट में आगमन हुआ ।

[श्री रघुनाथ सिंह]

उसके बाद १५०९ में गोआ के पहले गवर्नर जेनरल अल्बुकर्क साहब नियुक्त हुये और फिर १५२६ में मुगल राज्य की स्थापना हुई । भारतवर्ष और पुर्तगाल का जहाजी संघर्ष ९० वर्ष तक चलता रहा और महान् वीर कुंजाली ने ४० वर्ष तक पुर्तगालियों से युद्ध किया और १५६९ में उसने दीव में पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया, जो कि दीव में इकट्ठा हो गया था । लेकिन १५९५ में कुंजाली की मृत्यु हुई । उसके बाद पुर्तगालियों से शिवाजी ने होड़ ली ।

सन् १६७४ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ । उनके दो सेनापतियों, मैनाक और दौलत खां ने उस समय गोआ में घुस कर युद्ध किया । सन् १६८० में शिवाजी की मृत्यु हो गई । लेकिन मराठों को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने स्वाधीनता के युद्ध को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि १६९६ से लेकर १७ या १८ साल तक कान्होजी आंग्रे ने घोर युद्ध किया और वह भी हिन्दुस्तानी बेड़े के साथ। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि १८४८ में लोहे और लकड़ी का संघर्ष छिड़ा । सन् १८४८ में जब लोहे के जहाज़ बनने लगे तो अंग्रेजों की नीति यह हुई कि भारत में लकड़ी के जहाजी बेड़े का नाश किया जाये और १८४८ में भारतीय बेड़ा पूर्णतया ध्वंस किया गया ।

आज से ४० वर्ष पहले का बात है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के काल में ४० जहाज़ी कम्पनियां शुरू हुईं और वे सब फेल हुईं और लिक्विडेट हुईं । लेकिन एक कम्पनी ने सरवाइव किया । वह थी सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी । १९२५ में लार्ड इंचकेप जब रिट्रेंचमेंट कमेटी के चेयरमैन होकर यहां आये तो उनके दिमाग में यह बात आयी कि यह जो छोटा सा न्यूक्लियस है यह किसी दिन ब्रिटिश से होड़ ले सकता है । उस समय सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के ३० रुपये के शेअर का दाम ६ रुपया था । उस वक्त लार्ड इंचकेप ने कहा कि हम ३० रुपये पर शेअर के हिसाब से दाम देने के लिये तैयार हैं आप अपनी कम्पनी को हमें बेच दीजिये । लेकिन श्री बाल चन्द हीरा चन्द की देशभक्ति के कारण यह कम्पनी कायम रही और आज वही भारतीय जहाजी बेड़े का न्यूक्लियस है ।

भाइयो, उसके बाद क्या हुआ ? एक कंट्रेक्ट हुआ । अंग्रेजों ने एक पालिसी चलायी जिसको कि तत्कालीन कांग्रेस के लोगों ने स्लेवरी बांड कहा था । उस स्लेवरी बांड में यह था कि दस वर्ष तक कोई भारत का जहाज़ ओवरसीज नहीं जा सकता । केवल छोटे जहाज बनाये जायें जो कि कोस्टल ट्रेड का काम करें । उसमें यह भी था कि कोई यात्री जहाज न बनाये जायें । इस स्लेवरी बांड ने हमारी जहाज़ी कम्पनी को बड़ा धक्का पहुंचाया ।

इस प्रकार इन्द्र से लेकर इंचकेप तक की मैंने आपको कहानी सुनायी ।

इसके बाद एक दूसरा अध्याय हमारे यहां आरम्भ होता है । वह सन् १९४१ से आरम्भ होता है । सन् १९४१ में जहाज़ बनाने के लिये सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने शिपयार्ड की नींव डाली । १९४६ में जल उषा की तरणी अर्थात् हल रखा गया और १९४७ में शिपिंग पालिसी सब-कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इस कमेटी ने यह टार्गेट रखा कि २० लाख टन अर्थात् दो मिलयिन टन के जहाज़ हिन्दुस्तान के पास होने चाहियें । हमें अफसोस है कि उस कमेटी की रिपोर्ट के आठ वर्ष पश्चात् आज हमारे पास केवल ५,१३,००० टन के कुल जहाज हैं । अर्थात् जो टार्गेट १९४७ में रखा गया था उसका हमारे पास इस समय केवल २५ प्रति सैकड़ा जहाज़ मौजूद है ।

सन् १९४८ में भारत के जहाज़ी व्यवसाय का उषाकाल आरम्भ होता है । जल उषा के अवतरण से, जब कि पंडित जवाहर लाल जी ने पहले भारतीय जहाज़ का जलावतरण किया । अर्थात् सन् १८४८ में भारतीय जहाजी बेड़े का नाश किया गया और ठीक सौ वर्ष बाद सन् १९४८ में भारतीय जहाज़ व्यवसाय का उषाकाल आरम्भ हुआ ।

सन् १९५२ में हमारे शास्त्री जी के ज़िम्मे परिवहन मंत्रालय आया । मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जहाज़ी बेड़े के वास्ते बहुत कुछ किया है । अभी तो जो वह करना चाहते हैं उसका शतांश ही कर पाये हैं, पर हमें उम्मीद है कि जो वह करना चाहते हैं वह पूरा होगा ।

आप देखें कि जहाज़ों के मामले मे दुनिया में आज हमारी स्थिति क्या है । दुनिया में कुल ९,७०,२२,००० टन के जहाज़ हैं जिसमें भारतवर्ष के पास ५,१३,००० टन के जहाज़ हैं । अर्थात् हमारे पास विश्व के कुल टनेज़ का ·५२ है । मैं आपको तीन चार उदारहण और दूंगा । यूनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका के पास २,७३,४४,००० टन जहाज़ हैं और दुनिया में उसके जहाज़ों का अनुपात २८·०७ है । इसी प्रकार से यू० के० के पास १,९०,१४,००० टन जहाज़ हैं और उसका अनुपात १९·५१ है । नार्वे एक बहुत छोटा सा देश है । उसके पास ६८,०५,००० टन के जहाज़ हैं । उसका अनुपात ७ प्रतिशत है । डेनमार्क के पास १६,१४,००० टन के जहाज़ हैं और उसका अनुपात है १·६६ । स्वीडन के पास २७,०१,००० टन के जहाज़ हैं । उसका अनुपात २·७७ प्रतिशत है । पुर्तगाल का भी जहाज़ी बेड़ा हमसे बड़ा है । उसके पास ५,९१,७७४ टन के जहाज़ हैं । उन जहाज़ों की तादाद २२६ है और उनका अनुपात ·५० है । लेकिन पुर्तगाल की आबादी ८६ लाख है और हमारी आबादी ३५ करोड़ है । हिन्दुस्तान का अनुपात होता है ·५२ ।

मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे मालूम होगा कि दुनिया में जहाज़ों का पर-कैपिटा शेअर क्या है । अमरीका का पर-कैपिटा शेअर है ४१८ पाउंड, ब्रिटेन का ८६९२ पाउंड, नार्वे का है ४५१६ पाउंड, डेनमार्क का है ८५३ पाउंड, स्वीडन का है ८४६ पाउंड, पुर्तगाल का है १५३ पाउंड और हिन्दुस्तान का है ३.२५ पाउंड ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : रूस और चीन का कितना है ?

श्री रघुनाथ सिंह : वह आपको याद होगा, हमें याद नहीं है ।

हमारे यहां ६ बरस में ६० लाख टन स्टील का टार्गेट रखा गया है । जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी गयी है उसमें पांच साल में ६० लाख टन स्टील का टार्गेट रखा गया है । लेकिन कल जब हमारे श्री करमरकर साहब ने एक प्रश्न का जवाब दिया था उससे मालूम होता है कि कुल ४·६२ लाख टन तक उत्पादन पहुंचता है । उन्होंने सारे स्टील के कारखानों का अलग अलग उत्पादन का आंकड़ा दिया था । उससे पता चलता है कि पांच वर्ष में ४·६२ लाख टन स्टील तैयार होगी । पता नहीं वह ६० लाख टन का टार्गेट कहां से पूरा होगा ?

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इन जहाज़ों से आपको कितनी आमदनी होती है । हमने शिपिंग की उपेक्षा की है लेकिन हमको उसके द्वारा कस्टम्स की सबसे ज्यादा आमदनी होती है । जो हमारे देश का बजट हमारे सामने है उसके अनुसार हमारी

[श्री रघुनाथ सिंह]

आय है ४ अरब ९० लाख और व्यय ४ अरब ९८ लाख । इसमें से आपको कस्टम्स से जो आमदनी होती है वह है १६४ करोड़ अर्थात रुपये में चार आने ९ पाई की आमदनी कस्टम्स से होती है। इसमें से अगर आप वह आमदनी निकाल दें जो कि लैंड और हवाई जहाजों द्वारा कस्टम्स के रूप में होती है, जो कि ४ करोड़ है, तो आपको सी कस्टम से एक अरब ६० करोड़ रुपये की आमदनी होती है । जो माल जहाज़ हिन्दुस्तान में बाहर से लाते हैं और जो माल हिन्दुस्तान से बाहर ले जाते है यह आमदनी आपको उससे होती है ।

लेकिन शिपयार्ड की जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनी है उसमें १ अरब, ६४ करोड़ रुपये तो आपने आमदनी की और पंचवर्षीय योजना में शिपयार्ड के एक्सपेंशन के लिये खर्च आपने किया १ करोड़ ९६ लाख । एक परसेंट भी नहीं । इस वक्त दो, तीन जहाज़ बनते हैं और अगर शिपयार्ड का विकास हो जायगा तो ६ बनेंगे । इसी प्रकार से ड्राई डौक के वास्ते २ करोड़ १५ लाख रुपये रक्खे गये हैं । अब आप सोच सकते हैं कि पांच वर्ष में यह जो पंचवर्षीय योजना है उसके अनुसार अगर हमने पूरी स्पीड से जहाज़ बनाना शुरू किया तो ३० जहाज़ बनावेंगें । अब अगर ८ हज़ार टन का जहाज़ ले लेंगे गो कि ७ हज़ार टन के बनते हैं तो २ लाख ४० हज़ार टन के जहाज़ बना सकेंगे । हमारा टार्गेट है, ५ लाख ३५ हज़ार टन का उसमें २ लाख ४० हज़ार टन के जहाज़ तो आप हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनायेंगे और २ लाख ९५ हज़ार के शेष टार्गेट की कमी पूरी कैसे होगी ? उसके लिये विदेशों पर निर्भर होना पड़ेगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको सचमुच जहाज़ के विकास की ओर ध्यान देना है तो मैं अदब के साथ कहूंगा कि १ अरब ६४ करोड़ रुपया उसमें से कम से कम ५ वर्ष में, अगर एक साल का रुपया इस शिपयार्ड में लगा दें, जहाज़ों के विकास के लिये लगा दें तो भारतवर्ष की वास्तविक उन्नति हो सकती है ।

इस वक्त विश्व में ६० लाख टन के जहाज़ शिपयार्डस में बन रहे हैं और उनमें से हमारा हिस्सा जैसा मैं ने अभी ऊपर आपसे कहा कि २ लाख टन से कुछ थोड़े से ऊपर है । हमारे यहां के जहाज़ बनेंगे पांच वर्ष में बन कर तैयार होंगे ।

अब मैं आपके सामने दूसरे आंकड़े रखता हूं । हिन्दुस्तान शिपयार्ड एक अजीब सी चीज़ है और मैं अभी आपको प्रमाण देकर बतलाऊंगा कि इस हिन्दुस्तान शिपयार्ड से कोई भी जहाज़ की व्यवसायी कम्पनी जहाज़ बनवाना क्यों पसन्द नहीं करेगी । मैं आंकड़े दे कर बताऊंगा और आप की ही चीज़ से इसको साबित करूंगा । आपने ८० करोड़ रुपया इसके लिये लोन दिया है और ढ़ाई रुपया सैकड़ा का सूद परिवहन मिनिस्ट्री ने उस पर लगाया है । अब जहाज़ का हाल सुनिये । जहाज़ के वास्ते तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है । पहली ज़रूरी चीज़ तो यह है कि हम जो कंट्रैक्ट प्लेस करें, अगर एक वर्ष का कंट्रैक्ट हो तो एक वर्ष के भीतर हमें जहाज़ तैयार मिलना चाहिये और अगर ६ महीने का कंट्रैक्ट हो तो ६ महीने के अन्दर मिलना चाहिये । लेकिन जो मैं आपके सामने आंकड़े पेश करता हूं उनमें दो चीज़ें हैं । एक तो यह कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी जो जहाज़ बनाती है उसका मूल्य वह किस आधार पर चार्ज करती है । यू० के० की पैरिटी पर ब्रिटेन की पैरिटी पर वह चार्ज करती है जब कि आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि ब्रिटेन की जहाज़ी कम्पनियां अपने आर्डर्स जर्मन शिपयार्डस में प्लेस कर रही हैं ।

और वह इस वास्ते ऐसा करती है क्योंकि ब्रिटेन में बने हुये जहाज़ का मूल्य २० से लेकर २५ परसेंट दुनिया के जहाज़ों के मूल्य से अधिक पड़ता है । व्यवसायी तो आखिर व्यवसाय ही है, चाहे वह अंग्रेज़ व्यवसायी हो और चाहे अमरीकन व्यवसायी हो, उसका तो हित इसी में है कि उसको सस्ते मूल्य पर जहाज़ सुलभ हो और इसी कारण ब्रिटेन के लोगों ने और ब्रिटिश कम्पनियों ने भी अपने जहाज़ों का आर्डर जर्मन शिपयार्ड के साथ प्लेस किया ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह अच्छा किया ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं आपको बतलाता हूं । अब आप इस बात को देखेंगे कि एक तो जहाज़ हमको समय पर नहीं दिये जाते हैं और दूसरा कारण यह है कि जहाज़ हमें महंगे पड़ते हैं ।

अब मैं आपको बतलाता हूं कि अमरीका में सन् १९१४ और १९१८ से पूर्व २१२ दिन में एक जहाज़ बन कर तैयार हो पाता था, १९३९ में १०८ दिन में बन कर तैयार होने लगा और सन् १९४८ में ५० दिन में एक जहाज़ उन्होंने तैयार करना शुरू किया लेकिन हमारे यहां के शिपयार्ड में जो पहला जहाज़ बना, वह २८ महीने में बन कर तैयार हुआ, दूसरा जहाज़ २१ महीने में बनकर तैयार हुआ, आठवां जहाज़ १३ महीने में और ९वां जहाज़ १५ महीने में बन कर तैयार हुआ । दो दों वर्ष का टाईम लगता है और कभी कभी उससे अधिक भी लगता है, अब आप ही बतलाइये कौन सी कम्पनी हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाज़ बनाने के लिये आर्डर देगी जब कि शेड्यूल्ड टाईम दो, दो और तीन तीन बार आल्टर किया जाता है ....

मैं आप से एक बात कहता हूं कि यह हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी का सवाल नहीं हैं । यह ग़ैर-सरकारी उद्योग की ओर से सरकारी उद्योग को एक चेतावनी है ।

अब लोन का जहां तक सवाल है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो रक्खी गई है उसमें शास्त्री जी ने ८० करोड़ रुपये जहाज़ी कम्पनियों में लगाने की बात कही है । कोस्टल शिपिंग से ४ परसंट आप सूद लेंगे और ओवरसीज़ से २½ परसेंट सूद लेंगे । इस तरह में आपको दिखाना चाहता हूं कि २० करोड़ ८० लाख रुपया तो आप मूलधन में इनवेस्ट करने जा रहे हैं ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और पैसेंजर जहाज़ों में । प्राइवेट सेक्टर के जो जहाज़ होंगे, उनको सिर्फ़ ४८ करोड़ ८५ लाख रुपया आप ऋण देंगे जिसमें कि १० करोड़ ३५ लाख रुपया प्राइवेट सेक्टर से आयेगा । इसका मतलब यह हुआ कि आप जहाज़ी कम्पनियों को सिर्फ लगभग ७५ परसेंट ऋण देने जा रहे हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि जापान ने ७० परसेंट सहायता दी है । जापान के डेवलपमेंट बैंक ने ७० परसेंट और सिटी बैंक ने ३० परसेंट सहायता दी और जापान का जो नवां प्लान है उसमें जापान सरकार जहाज़ी कम्पनियों को ९० प्रतिशत सहायता देने जा रही है ।

अब मैं दूसरी बात की तरफ़ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में मुझे शास्त्री जी को दो सुझाव देने हैं । एक सुझाव यह है कि जो सूद की दर है वह बहुत ज्यादा है । जो २½ परसेंट और ४ परसेंट की दरें हैं वह कम से कम आधी होनी चाहियें, अर्थात् २¼ और २ परसेंट । जब तक हमारा टार्गेट २० लाख टन का पूरा नहीं हो जाता तब तक आप सूद की दर घटा दें । उस में आप का कोई नुक़सान भी नहीं है क्योंकि जहाज़ तो आप के यहां मौजूद रहते हैं और कोई उन को लेकर भाग नहीं सकता है ।

दूसरी बात आप देखिये कि पाकिस्तान में इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन गुलाम

[श्री रघुनाथ सिंह]

फ़ारूक़ी साहब की चेअरमैनशिप में स्थापित हुआ है । पार्टीशन के समय पाकिस्तान के पास सिर्फ़ चार जहाज़ थे, आज उन की संख्या हम से तिगुनी है । आप को इस बात को याद रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान एक आईलैंड है । हिन्दुस्तान के पास ख़ैबर पास या बोलन पास नहीं हैं । हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही है जो कि इंगलैंड या अमरीका की है । हमारा सम्पर्क बाहर से केवल जहाज़ों के द्वारा ही स्थापित हो सकता है । इसलिये आप को इस पर आज विचार करना है कि हिन्दुस्तान जहाज़ों पर ही निर्भर करता है ।

अभी लार्ड माउन्टबैटन साहब का एक वक्तव्य ५ सितम्बर को प्रकाशित हुआ है "न्यु लुक आन दि स्ट्रक्चर आफ़ ब्रिटिश शिपिंग" । अमरीका ने भी एक कौंसिल बनाई थी सन् १९५४ में । अमरीका की शिपबिल्डिंग इण्डस्ट्री बहुत कम हो गई थी, उस का टनेज वर्ल्ड में बहुत कम हो गया था, इसी तरह से इंगलैंड में भी बहुत कम हो रहा था । उन्होंने कौंसिल बिठलाई और उस के सामने इस प्रश्न को रक्खा । इसी तरह से आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान चूंकि एक आइलैंड सा हो गया है और विश्व से हमारा सम्पर्क केवल जहाजों के द्वारा ही हो सकता है, लिहाजा जहाजों के सम्बन्ध में हमारी पालिसी वही होनी चाहिये जो कि अमरीका या इंगलैंड की हो सकती है ।

कुछ शब्द अब मैं मर्चेंट नेवी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । किंग जार्ज फिफ्थ ने सन् १९१४ में कहा था कि मर्चेंट नेवी का नाम क्यों रक्खा गया । उन्होंने कहा कि यह सेकेण्ड लाइन आफ़ डिफैन्स है । १६वीं शताब्दी में किंग हेनरी अष्टम ने मर्चेंट शिपिंग और नेवी शिपिंग को अलग किया । लेकिन सन् १९१४ में दुनिया की स्ट्रेटैजी बदली और उस में मर्चेंट नेवी का प्रयोग सेना के लिये फिर से होने लगा । अमरीका में इस के वास्ते जो कौंसिल है, उस का काम यह है कि जो स्पेसिफिकेशन (विवरण) जहाज के होते हैं वह पहले नैवल डिपार्टमेंट को सबमिट किये (दिये) जाते हैं । जब नेवल डिपार्टमेंट उन स्पेसिफिकेशन्स को पास कर देता है तब वह बनते हैं ताकि उन में यह प्रबन्ध रहे कि युद्ध के समय उन में ऐंटी एअरक्रैफ्ट गन वग़ैरह रक्खी जा सकें ।

इस के बाद मैं डिस्क्रिमिनेशन आफ़ दि फ्लैग के बारे में कहना चाहता हूं । हम लोग कामनवैल्थ के मेम्बर हैं, इंगलैंड की ही तरह उस के मेम्बर हैं, लेकिन लिवरपूल और लंडन डाक्स में हमारे जहाजों को वह स्थान नहीं दिया जाता जो कि इंगलिश जहाज़ों को दिया जाता है । पहले उन का सामान उतारा जाता है उस के बाद हमारे जहाजों को अवकाश दिया जाता है । इस प्रकार की जो फ्लैग डिस्क्रिमिनेशन की पालिसी है उस को हमें फौरन अलग करना चाहिये । इसी तरह से इजिप्शियन लाइन्स (मिश्र विज्ञप्ति) के जहाज अलैग्ज़ैण्ड्रिया में जाते हैं तो उन को पहले मौका दिया जाता है, हिन्दुस्तान के जहाजों को बाद में ।

इसी तरह से मैं करेन्सी (मुद्रा) के बारे में कहना चाहता हूं । कहीं भी कोई व्यापारी सामान ख़रीदता है तो अपने क्वायन्स (मुद्रा) में उसके लिये पे करता है, लेकिन भारतवर्ष को स्टर्लिंग में पे करना पड़ता है । तो यह जो करेन्सी का डिस्क्रिमिनेशन है वह भी दूर होना चाहिये । जो हमारे व्यापारी हैं वह हिन्दुस्तानी मुद्रा में पे करें । टोकियो में जो कांग्रेस हुई थी, उस से हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ ।

अब मैं ओवरसीज़ ट्रेड को लेता हूं । सन् १९५५ में हिन्दुस्तान से ११८८ करोड़ रुपये का ट्रेड (व्यापार) हुआ । आप को

मालूम है कि अमरीका ने एक बिल पास किया है । उस में यह है कि ५० परसेन्ट ओवरसीज़ ट्रेड केवल अमरीका के जहाज़ों द्वारा होगा, बाकी दूसरे जहाजों के द्वारा होगा । हमारे ओवरसीज ट्रेड में जो हमारा कार्गो का शेअर है वह सिर्फ ५ परसेंट है । यह कम से कम ५० परसेंट होना चाहिये । साथ ही मैं शास्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों का सामान केवल हिन्दुस्तानी जहाजों में आवे और उन का इन्श्योरेन्स हिन्दुस्तानी कम्पनियों के द्वारा ही हो ।

कोस्टल ट्रेड के बारे में मेरे दूसरे मित्र कहेंगे इस लिये मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमारा ऐडजेसंट ट्रेड है जैसे बर्मा, लंका और पाकिस्तान से, उस में भी हमें १०० में ५०, ५० की पैरिटी रखनी चाहिये ।

एक बात मैं पोर्टस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । धनुषकोटि का जो स्थान है वह समाप्त हो रहा है । उस के लिये मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमें एक रास्ता बनाना चाहिये और वह रास्ता ऐसा हो कि जो हमारे जहाज आज कोलम्बो हो कर आते हैं वह सीधे आ सकें । यह जो सीलोन की परिक्रमा कर के हमारा जहाज आता है, अगर हम धनुषकोटि में समुद्र को थोड़ा डीप कर दें और स्वेज कैनाल की तरह से बना दें तो वह ५०० मील का रास्ता कम हो जायगा । जो हमारे जहाज कोलम्बो में बंकरिंग करते हैं वह धनुषकोटि में करेंगे । यह काम थोड़े से धन से हो जायेगा और जहां से रामचन्द्र गये थे और जहां सेतु बंधा था तो वह पोर्ट नष्ट हो रहा है, वह बन जायेगा ।

सरचार्ज के सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि शास्त्री जी उस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं ।

ट्रेनिंग आफ पर्सोनेल का इन्तजाम होना चाहिये । शिपिंग का जो रेट है, उस के वास्ते शास्त्री जी ने कमेटी की स्थापना की है, इस के वास्ते मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैं कमिशन क्यों चाहता हूं । शास्त्री जी से मैं साफ़ कह देना चाहता हूं कि मैं पार्लियामेन्ट के मेम्बरान का कमिशन नहीं चाहता । मैं गवर्नमेंट के सदस्यों का कमिशन चाहता हूं । मैं आफ़िशियल्स का ही कमिशन चाहता हूं और परमानेन्ट बेसिस पर चाहता हूं, परमानेन्ट आफ़िशियल बॉडी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: : प्रतिनिधि बाडी होनी चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : जैसे कि अमरीका में है, जापान में है, खास कर अमरीका का पैटर्न मुझे ज्यादा पसन्द है, उस में ऐड-मिरैलिटी के आदमी होते हैं, उस के बाद एक प्रोडक्शन का आदमी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री का एक आदमी ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : पार्लियामेंट के भी मेम्बर हों तो क्या हर्ज है ?

श्री रघुनाथ सिंह : यहां की शिपिंग का सम्बन्ध पांच स्थानों से है । नेवी, प्रोडक्शन, ट्रान्सपोर्ट, वर्कस हाउसिंग ऐंड सप्लाई और कामर्स ऐंड इंडस्ट्री । इसमें पांचों डिपार्टमेंट से एक एक आदमी को ले कर के यह कमिशन बना दिया जाय । वित्त विनियोक्ता की आवश्यकता नहीं, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जायगी । इस आयोग में केवल रचनात्मक कार्य करने वाले लोग होने चाहियें न कि मेज़ पर काम करने वाले । अतएव अमरीकन रूप रेखा के आधार पर उन पांच विभागों का एक आयोग बना दीजिये जिनका हमारे नौवहन से सीधा सम्बन्ध है ।

इस प्रकार से मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह परमानेन्ट बाडी आप के सामने होनी

[श्री रघुनाथ सिंह]

चाहिये । आज होता क्या है कि जहाज़ चलाने की ज़िम्मेदारी तो शास्त्री जी के ऊपर, बनाने की ज़िम्मेदारी रेड्डी साहब के ऊपर, आयात एवं निर्यात की ज़िम्मेदारी करमरकर साहब के ऊपर और जहाज़ के सामान की सप्लाई की ज़िम्मेदारी स्वर्ण सिंह साहब के ऊपर है । आख़िरकार, इन पांचों आदमियों को कहीं एकत्रित करने वाली कोई संस्था तो होनी चाहिये । इस लिये मैं आप से कहता हूं कि आप एक परमानेन्ट कमिशन आफिशियल्स का फ़ौरन नियुक्त कीजिये जो यह देखे कि कोआर्डिनेशन द्वारा भारतवर्ष के जहाज़ों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि ८० करोड़ रुपया हिन्दुस्तान का बाहर की फ़ौरन कम्पनीज़ ले लेती हैं । इस सिलसिले में मैं मुग़ल लाइन की बात कहता हूं । हज को जो यात्री जाते हैं वे मुग़ल लाइन द्वारा जाते हैं । आप के पास अपने हिन्दुस्तानी जहाज़ हैं । मुगल लाइन के जो जहाज़ हैं वे इंगलैंड में रजिस्टर हुये हैं । इस तरह से हर साल समुद्र पार व्यापार द्वारा भारत का ८० से सौ करोड़ रुपया भारत की लक्ष्मी के रूप में बाहर जाता है । मैं यहां पर आप को याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा जी ने ६४ करोड़ रुपये के वास्ते स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ किया और विदेशी माल का बाईकाट किया । ६४ करोड़ रुपये के कपड़े की ख़ातिर घर घर और गांव गांव में उन्होंने विदेशी कपड़े की होली लगाई। मैं शास्त्री जी से कहता हूं कि जिस दिन आप ८० करोड़ रुपये को बचा लेंगे भारतीय जनता उस दिन आपकी मुक्तहस्त और मुक्तमुख से धन्यवाद देगी ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : एक औचित्य प्रश्न है । मेरे मित्र श्री रघुनाथ सिंह आरम्भ अथवा अन्त में, अपना संकल्प प्रस्तुत करना भूल गये ।

श्री रघुनाथ सिंह : जब मैं ने अपना भाषण आरम्भ किया था उसी वक्त मैं ने कहा था कि मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं और अपना भाषण आरम्भ करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि भारतीय नौवहन के विकास के हेतु साधनों का सुझाव देने के लिये एक आयोग तुरन्त नियुक्त किया जाय । "

समापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य): मैं इसके स्थान पर अपना संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं जिस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है । वह शाब्दिक परिवर्तन है कि "नौवहन सहित व्यापार" शब्दों के स्थान पर "नौवहन तथा पत्तन इत्यादि के कार्य" शब्द रखे जायें ।

श्री एस० एन० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न संकल्प रखा जाय कि:

"इस सभा की यह राय है कि अब सरकार द्वारा एक भारतीय सामुद्रिक आयोग की स्थापना होनी चाहिये जिसे नौवहन, पत्तन, बन्दरगाह सहित सभी सामुद्रिक गतिविधियों के सर्वांगीण विकास के लिये सभी आवश्यक उपाय करने का काम सौंपा जाना चाहिये ।"

श्री बी० के दास (कंटाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न संकल्प रखा जाय कि :

"यह सभा सिफारिश करती है कि भारतीय वणिक्-पोतों के लिये पर्याप्त टनभार

अर्जित करके और उनके कार्यकरण के लिये उचित सुविधायें देने की दृष्टि से भारतीय नौवहन के विकास के हेतु, जिस में पत्तन और बन्दरगाह भी हों, अधिक वेगवान उपाय और विशद नीति अपनाई जाय ।"

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये । चूंकि अनेक माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलना है अतः प्रत्येक माननीय सदस्य दस-दस मिनट तक बोलें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं श्री आर० एन० सिंह के संकल्प का समर्थन करता हूं । उक्त संकल्प, मेरे विचार से अविलम्बनीय है और मैं आशा करता हूं कि रेलवे तथा परिवहन मंत्री को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

हमारे नौवहन का विकास मात्र राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न नहीं अपितु भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । हमारे इतने बड़े देश का तट यूरोप भर में तटीय सीमा-रेखा के बराबर है और हिन्द महासागर में हमारी स्थिति सामरिक महत्व की है, जिस कारण से रक्षा एवं शान्तिमय सम्पर्क के हेतु हमें अच्छी मात्रा में नौवहन कर्मचारिवर्ग और नौवहन उपकरण की आवश्यकता होगी ।

यही कारण है कि यह प्रश्न गम्भीर महत्व का है और सरकार इस विषय में जितनी जल्दी करे उतना ही अच्छा है । १९४७ में भारत सरकार ने एक तथ्य अन्वेषण समिति नियुक्त की थी जिस में पोतस्वामियों के प्रतिनिधि और अन्य लोग थे जिन्होंने ५ से ७ वर्ष तक की अवधि में नौवहन का लक्ष्य २० लाख टन निर्धारित करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी । मुझे मालूम नहीं कि बाद में क्या घटनायें हुईं, यद्यपि कलकत्ता में सामुद्रिक इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण निदेशालय तथा कादेत पोत "डफ़रिन" आदि की स्थापना हुई है । तीन नौवहन निगमों के स्थान पर केवल एक निगम चल रहा है जिस के पास १० करोड़ रुपये की पूंजी के स्थान पर केवल ५.५ करोड़ की पूंजी है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारी विस्तार-योजनाओं का क्या हुआ ?

प्रस्तावक ने इस बात की ओर संकेत किया है कि विश्व के व्यापार और बढ़ते हुये सामुद्रीय व्यापार की तुलना में हमारे देश का अनुपात नगण्य सा है—अर्थात् दस करोड़ टनभार की तुलना में ५ लाख टन तक नगण्य-सी चीज़ है । अपने आयात और निर्यात पर हमें विदेशों को भाड़े के रूप में बहुत बड़ी राशि देनी पड़ती है : १९५१-५२ में विदेशी नौवहन समवायों ने हम से ९५.९ करोड़ रुपये, १९५३-५४ में ६५.६ करोड़ रुपये और अप्रैल से अक्तूबर, १९५४ में ३८.२ करोड़ रुपये भाड़े में लिये थे । यह वास्तव में गम्भीर स्थिति है और हमें इसका कोई उपचार करना चाहिये ।

मैं श्री एस० एन० हाजी जैसे अग्रणी व्यक्तियों के प्रयत्नों की सराहना किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उन के प्रयत्नों से भारत का तटीय नौवहन भारतीय समवायों के लिये रक्षित रहा है । किन्तु हमारा विदेशी व्यापार विदेशियों के अधिकार में है । कहा जाता है कि इस में बहुत सी कठिनाइयां हैं । मुख्य कठिनाई यह है कि समुद्रपार के व्यापार पर विदेशी नाविकों का नियंत्रण है और वे भारत को यहां के इस विदेशी व्यापार में भी उचित भाग नहीं लेने देते । अभी हाल की बात है कि भारत—ग्रेट ब्रिटेन महाद्वीप सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले दो भारतीय समवायों को बड़ी कठिनाई से सदस्यता मिली है । अभी कुछ समय पहले आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के हितों का बहुत भारी विरोध किया गया । तो आज यह स्थिति है कि

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

हमारे जहाज कोलम्बो, अदन, पोर्ट सैयद, आदि पत्तनों से सामान लाद कर ग्रेट ब्रिटेन के पत्तनों पर अन्यथा वहां से सामान लाद कर यहां इन स्थानों को आ-जा नहीं सकते। परिणामतः इन सम्बद्ध मार्गों पर भारतीय पोतों का आना-जाना सापेक्ष रूप से अधिक खर्चीला बन गया है। विचित्र बात है कि विदेशी नाविक भारत सरकार द्वारा खरीदे, बेचे या नियंत्रित किये गये सामान के लाने-ले जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार अनधिकृत चेष्टा करते हैं। वे कहते हैं कि इसमें झण्डे के प्रतीक में राष्ट्र की भेद-नीति रहती है। हमें इस प्रकार की जालसाजी और बहाने बाजी को रोकना है। इधर हाल में ही मंत्री जी ने भारतीय पोतस्वामियों के सम्मेलन में भाग लिया और वहां यह आश्वासन भी दिया कि वह इस सम्बन्ध में अवश्य कोई कार्यवाही करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने वहां इस मामले पर इतना जोर नहीं दिया। कदाचित् उनकी चुप्पी ही सार्थक रही हो, और यहां भी उनकी चुप्पी का कुछ महत्व हो सकता है।

मुझे याद है कि अग्र सम्मति वाले कुछ व्यक्ति जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय हितों से सहानुभूति रखते रहे हैं, उदाहरणतः डा० रामस्वामी मुदालियर—राष्ट्रमंडलीय देशों की भेदभाव नीति के सम्बन्ध में बोले हैं—ऐसे देशों का मुखिया ग्रेट ब्रिटेन ही रहा है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता की भूरि प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिन में मुख्य रूप से हमारे प्रधान मंत्री हैं, की जाती है। किन्तु यदि इस सदस्यता का यह अभिप्राय है कि हमारे साथ ही कोई भेदभाव नीति बरती जाय तो इसमें कोई बुराई होगी और हमें उसका उपचार करना चाहिये।

भारतीय नौवहन की एक और कमजोरी भी है कि उन्हें आजकल वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं। कितना ही अच्छा होता कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देते। मैं जानता हूं कि सरकार ने कम ब्याज की कई धनराशियां नौवहन समवायों को दी हैं। हो सकता है कि भविष्य में उन्हें ब्याज से मुक्त धनराशियां भी दी जायें। मुझे यह भी बताया गया है कि नाविकों की ओर मांग से हुई है, और कदाचित् जापान जैसे कई देशों ने सहायता भी दी है—आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह सकता यद्यपि मंत्री जी और उपमंत्री महोदय ने इसकी ओर संकेत करते हुये कहा है कि नौवहन गैर-सरकारी क्षेत्र में है अतः इस सम्बन्ध में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। यही बात उपमंत्री जी ने श्री डी० सी० शर्मा और डा० राम सुभग सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ के उत्तर के सम्बन्ध में १२ अगस्त को कही थी, और साथ में यह भी कहा था कि नौवहन गैर-सरकारी क्षेत्र का कार्य है और अर्जन का काम तथा टनभार में विस्तार भारतीय नौवहन समवायों द्वारा ही होना चाहिये। हो सकता है कि इस बात में कोई अपवाद न हो किन्तु श्री रघुनाथ सिंह के शब्दों में इस से सरकारी क्षेत्र को गैर सरकारी क्षेत्र की चुनौती मिलती है। मैं नहीं समझता कि सरकारी क्षेत्र सभी की नजरों में क्यों न आ जाय। मुझे समवाय-स्वामियों या पोतस्वामियों के सम्बन्ध में भी कुछ ज्यादा बातें मालूम नहीं। हो सकता है कि उन के कुछ ऐसे हित हों जिनका मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी समर्थन नहीं करना चाहता। किन्तु यह भी हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र यह कहने के लिये आगे बढ़े कि वह तुरन्त ही क्या कार्य कर सकता है ताकि भारतीय नौवहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

इसी सत्र में मुझे श्री अलगेशन ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय तटीय

नौवहन में अभी भी विदेशी चीफ़ आफिसर और मास्टर हैं । मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब कलकत्ता और बम्बई के संस्थापकों से बहुत से प्रशिक्षित कर्मचारिवर्ग निकल आते हैं तो उन को क्यों बेकार रहना पड़ता है, जब कि इन ही स्थानों पर विदेशी काम करते हैं । २८-५-१९५५ के इकानोमिक वीकली में कहा गया है :—

> "१९५४ में १७० कार्यपालकों और १३० इंजीनियरों ने परिवहन मंत्रालय से क्षमता के प्रमाण-पत्र प्राप्त किये । किन्तु वास्तव में, १२ कार्यपालकों और ८ इंजीनियरिंग अफ़सरों की मांग थी ।"

यह बड़ी अजीब-सी बात है । हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हमारा नौवहन विस्तृत हो और देश के पास अधिक कर्मचारि-वर्ग हो । वास्तव में, पूरे प्रयत्न के बाद भी यदि हम क्षम्य शिल्पियों को तैयार करें तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलतीं ।

तेलवाहक जहाज़ों के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है । सिंधिया स्टीमशिप कम्पनी के सभापति ने भी २३ फरवरी, १९५५ के अपने भाषण में ऐसा ही कहा था । उन्होंने बड़े विनम्र भाव में कहा है जैसा कि सरकार के पक्षपाती और विदेशों में निहित स्वार्थ रखने वाले कहा करते हैं :—

"तीन तेल शोधक कारखानों के साथ हमारे करार में, कच्चे तेल को हमारे तटों तक पहुंचाने के लिये न केवल कोई उपबन्ध नहीं किया गया है अपितु करार की ३० वर्ष की अवधि के लिये तेल समवायों को उनके अपने या अधिकृत तेलवाहक जहाज़ चलाने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि सचाई यह है कि भारत के तटीय व्यापार को राष्ट्रीय पोतों के लिये परिरक्षित किया गया है । यों तो, यदि दोनों ओर से सद्भावना हो तो विदेशी निगमों के साथ हुये करारों के निर्बन्धनों में रूपभेद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।"

मुझे दूसरी ओर की सद्भावना का पता नहीं किन्तु मैं आशा करता हूं कि श्री शास्त्री दूसरे पक्ष को इस बात की प्रेरणा देंगे कि वह तेलशोधक कारखानों के साथ हुये करारों में कुछ परिवर्तन करा दें ।

इसके साथ ही हम पोत प्रांगणों का विकास भी चाहते हैं । हिन्दुस्तान शिपयार्ड पर कई बार बहुत सी फबतियां कसीं गई हैं और अभी भी वहां नौ या दस फ्रांसीसी विशेषज्ञ काम करते हैं । वास्तव में ये विशेषज्ञ क्या हैं और कितना काम कर सकते हैं, इस विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं ।

हम पत्तनों का विकास भी चाहते हैं । इस मद के लिये धन तो दिया जाता है, किन्तु इसका पूरी तरह से व्यय नहीं किया जाता । यह वास्तव में, एक आश्चर्यजनक बात है । १० मार्च को स्वयं श्री रघुनाथ सिंह ने एक प्रश्न पूछा था । उन्होंने पंच वर्षीय योजना के अधीन बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और कान्दला के विकास के लिये विशिष्ट रूप से उल्लिखित राशि में से अब तक व्यय की गई राशि के आंकड़े मांगे और यह भी पूछा कि क्या अब तक काम का ७५ प्रति-शत भी पूरा नहीं हो पाया है । श्री अल्गेशन ने उन्हें बताया कि काम पूरा नहीं हुआ है । कलकत्ता और बम्बई को प्रथम पंच वर्षीय योजना के लिये ७५७.६७ लाख और १४५०.५७ लाख रुपये आव-दित किये गये थे । उसमें से जनवरी १९५५, के अन्त तक उन्होंने १६१.७२ लाख और ७१७.२८ लाख रुपये खर्च किये थे । यही हाल मद्रास, कोचीन और कान्दला आदि का है । इन पत्तनों की देखभाल करनी

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

है और नये पत्तन भी खोलने हैं । पूर्वी तट पर हमारे आन्ध्र के साथी हमेशा नये पत्तन खोलने की मांग किया करते हैं । हिन्दुस्तान शिपयार्ड मछली के शिकार के लिये नौकायें भी बना सकता है और सभी तरह के पत्तन, आदि हो सकते हैं जहां भारतीय वणिक-पोतों को जोड़ने के लिये सामान जुटाया जा सकता है ।

अब मैं मज़दूरों की बात लूंगा । मैं चाता हूं कि जो आयोग नियुक्त किया जाने वाला है उसे मज़दूरों के अधिकारों के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये । विदेशी समुद्रीय व्यापारियों ने यह शिक़ायत की थो कि कलकत्ता और बम्बई के पत्तनों पर मज़-दूरों ने काम में बहुत विलम्ब कर दिया है और उन्होंने हरजाने की वसूली की बात कही थी । हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने तो उनसे कह दिया था कि हम उनके बिना काम चला सकते हैं । पर आज मंत्री ने बताया कि वह हरजाने की मांग कर रहे हैं । इस बात के लिये उनके पास न ही बहाना है कि मज़दूर बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और डाकयार्ड में काम करने वाले मज़दूरों को भड़काया जाता है कि वह धीरे धीरे काम करें । पर वास्तव में मज़दूरों में गड़बड़ी का क्या कारण है । "एकोनोमिक वीकली" में बताया गया ह कि सीमा शुल्क परीक्षण, कोयले को पार लगाने वालों और आकस्मिक अवसरों पर मज़दूरों को रखने की प्रणाली ही मुख्य कारण है । कुछ स्थानों पर मज़दूरों के प्रति-निधियों ने तेजी से काम करने वाली मशीनों की भी मांग की है । पर परिवहन मंत्रालय इसके लिये तैयार नहीं है । अतः सरकार को चाहिये कि वह इस संकल्प को स्वीकार करके एक आयोग नियुक्त करे और आयोग एक निश्चित तिथि को अपना प्रतिवेदन दे दे, फिर सरकार उस पर निश्चय करके उसे संसद् के सामने पेश करे, तभी जनता यह समझ सकती है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाने वाला है ।

श्री एस० एन० दास : भारत जैसे देश के लिये नौवहन उद्योग का बहुत महत्व है । मेरे मित्र श्री रघुनाथ सिंह ने संकल्प का प्रस्ताव करते समय हमें बताया था कि भूत काल में भारत में इस उद्योग का महत्व और इसकी स्थिति क्या थी । परतन्त्रता के समय में वह नष्ट हो गया । बाद में सरकार ने जो कुछ प्रगति की है वह अपर्याप्त है । अतः सरकार को इस विभाग की पूरी जांच करके उस पर कार्यवाही करनी चाहिये ।

इस उद्योग के दो पहलू हैं । एक व्यापार और दूसरा जहाजों का निर्माण । व्यापार के क्षत्र में सम्पूर्ण तटीय नौवहन भारतीय संस्थाओं के ही हाथ में है पर सामुद्रिक व्या-पार बहुत असंतोषजनक है । भारत का आयात निर्यात विश्व के व्यापार का १.५ प्रतिशत है और विश्व की तुलना में भारत का टनभार ०.५ प्रतिशत है स्पष्ट है कि हम इस सम्बन्ध में आवश्यक उन्नति नहीं कर पाये हैं अतः यह बहुत आवश्यक है कि शिल्पिक और प्रशासकीय प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्तियों का एक संगठन बनाया जाना चाहिये जो सरकार की नीति को कार्यान्वित करे ।

१९२३ में हुए सामुद्रिक पत्तनों पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार अभिसमय में भारत ने भी भाग लिया था । उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था । उस अभिसमय के निश्चय के अनुसार सभी विदेशी जहाजों को पत्तनों पर रुकने और सभी प्रकार की सुविधायें उसी प्रकार दी जानी चाहिएं जैसी अपने राष्ट्रीय जहाजों को । विदेशी स्वार्थी देश जो भारत की उन्नति नहीं होने देना चाहते कई प्रकार के प्रति-बन्ध लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जब सरकार

इस उद्योग को संरक्षण देने के लिये कोई कार्यवाही करती है तो विदेशी लोग उसमें बाधा डालत हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि सरकार या तो इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा से अपने को अलग करले या वे उस प्रथा में कुछ सुधार करे।

संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश ने भी ऐसा एक आयोग बनाया था। मेरा सुझाव है कि केन्द्र में एक निदेशालय होना चाहिये जो इस काम की देखभाल करे। और जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, एक स्थायी आयोग भी नियुक्त किया जाना चाहिये जो सारे मामले की जांच करे और बाद में सरकार के निश्चयों को कार्यान्वित करे। इस स्थायी आयोग के मुख्य मुख्य कार्य यह होने चाहियें :—विदेशी व्यापार के लिये प्रयोग में आने वाले जहाजों को अलग अलग सहायता देना, जहाजों के बनने में वित्तीय सहायता देना, नये जहाजों के खरीदने में पुराने जहाजों को बदले में देने पर उनका दाम निश्चित करना, आयोग के जहाजों के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाना ; जहाजों में काम करने वाले राष्ट्रीय रक्षा के लोगों को भुगतान करना ; कम दर पर निर्माण के लिये ऋण लेना ; रक्षित निधि स्थापित करना और विदेशी प्रतियोगियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता की कमी को पूरा करना ; आदि।

स्थायी आयोग यह सब काम करेगा। देश की समृद्धि के लिये ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिये भी यह आवश्यक है। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में स्थायी आयोग की बात कही है।

इस कार्य की प्रगति के लिये सरकार को अपनी योजना के साथ साथ गैर-सरकारी क्षेत्र को भी साधारण शर्तों पर ऋण देना चाहिये और उन्हें कुछ सुविधायें भी दी जानी चाहियें। कुछ समय पूर्व तीन नौवहन निगमों के खोलने की योजना थी पर अभी एक ही खोला गया है। शेष दो अभी खोले जाने वाले हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है। इसके लिये केन्द्र में एक छोटे से विभाग से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि एक महा निदेशक और दो या तीन महा उप-निदेशक हैं। पर इतना पर्याप्त नहीं है। श्री मुकर्जी ने बताया कि अब भी हमारे नौवहन केन्द्रों में विदेशी शिक्षक हैं। हमारी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी शिक्षा के लिये नये स्कूल अवश्य खोले ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमें प्रशिक्षण प्राप्त लोग मिलें। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरा संशोधन स्वीकार करेगी।

श्री बी० के० दास : इस संकल्प के प्रस्तावक ने इस उद्योग के विकास के लिये एक आयोग नियुक्त करने की मांग की है पर यदि सरकार एक स्थायी आयोग को नियुक्ति नहीं कर सकती तो कम-से-कम ऐसे तेज क़दम उठाये कि इस उद्योग का सर्वतोमुखी विकास हो। दुर्भाग्यवश हमारी गति बहुत धीमी है और हम काफी उन्नति नहीं कर पाये हैं। १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन में बताया गया है कि नौवहन के विकास के कार्यक्रम की गति धीमी रही। टन-भार को बढ़ाने और पत्तनों और प्रकाश स्तम्भों के विकास—इस उद्योग के दोनों भागों—की दशा सन्तोषजनक नहीं है। अपने लक्ष्य के अनुसार पंच वर्षीय योजना में हमने १०० प्रकाशस्तम्भों के लिये ४०० लाख रुपये की राशि रखी थी। अभी तक २१ प्रकाश स्तम्भों का निर्माण-आदि किया गया है और योजना के अन्त तक भी ५० से अधिक प्रकाश स्तम्भों का विकास आदि नहीं किया जा सकेगा।

यह कहा गया है कि यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में आता है। पर कुछ कार्यवाहियों को तो सरकार को ही करना चाहिये जैसे सामुद्रिक इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण योजना के प्रथम तीन वर्षों में १·१ करोड़ रुपये में से ४०.६६ लाख रुपये खर्च हुये थे पर इस दिशा में भी काफी उन्नति नहीं हुई है। पोत-स्वामी सन्या के सभापति ने शिल्पिक और प्रशासकीय दोनों प्रकार की कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। माननीय मंत्री ने बताया कि वह कुछ कार्यवाही कर चुके हैं और कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं। पर जहाजों से भेजे जाने वाले सामान के विकास के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सामान की समस्या पर विचार करना बहुत आवश्यक है। कोयले की बात कही गयी है पर यदि इस पर विचार किया जाय तो यह पता चलेगा कि ढोये जाने वाले इस सामान की कमी नहीं रहेगी।

[बी० के० दास]

श्री मुदालियार ने वित्तीय संसाधनों की कमी, सामुद्रिक व्यापार में प्रतियोगिता और पर्याप्त कर्मचारियों का न मिलना आदि कारणों को बताया है। वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में पोतस्वामी सन्था ने पहले ही बताया है कि नौवहन समवायों को साधारण शर्तों पर ऋण दिये जाने चाहियें ताकि वे उद्योग को बढ़ा सकें।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : मैं श्री रघुनाथ सिंह के संकल्प तथा श्री एस० एन० दास के संशोधन का समर्थन करती हूं। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि नौवहन का प्रश्न आज हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमने अपने नौवहन के लिये २१९००० टन भार का लक्ष्य निश्चित किया था पर हम उसे पूरा नहीं कर पाये। १९४७ में पुनर्निर्माण नीति उपसमिति ने तीन सिफारिशें की थीं। पहली, तटीय नौवहन को भारतीय नौवहन में मिला दिया जाय; दूसरी, भारत के पड़ौसी व्यापार का ७५ प्रतिशत व्यापार भारतीय नौवहन में मिला दिया जाय और तीसरी, दूर देशों के व्यापार के ५० प्रतिशत पर भी भारतीय नौवहन का कब्जा रहे। इनमें से प्रथम सिफारिश तो पूरी कर दी गयी है पर शेष दो के मामले में हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। प्रथम योजना के अन्त तक हम केवल ९००,००० टन भार प्रति वर्ष के हिसाब से बना सकते हैं। व्यापार के सम्बन्ध में कम-से-कम अपने देश की वस्तुओं को हमें अपने पोतों द्वारा भेजना चाहिये। जैसे चाय हमारे देश की चीज है उसे तो कम-से-कम हम अपने नौवहन द्वारा विदेशों में ले जा कर बेच कर काफी धन बचा सकते हैं।

नौवहन के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें छोटे जहाजों और नौकाओं को भूलना नहीं चाहिये। यह नावें हमारे देश में बहुत समय से बहुत काम करती आ रही हैं। ये ५० लाख टन सामान ३०० मील तक ढोती हैं पर हिसाब लगाने से पता लगता है कि इनके विकास के लिये भी काफी गुंजाइश है।

छोटे छोटे पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में भी हम काफी उन्नति नहीं कर सके हैं। नदियों द्वारा सामान ढोने की योजना पर भी हमें ध्यान देना है। गैर-सरकारी उपक्रमों की भी सहायता की जाये तो वे काफी उन्नति कर सकते हैं जैसा कि जापान में हुआ है। 'वाणिज्य वसति लक्ष्मी' के अनुसार हमें भारत में लक्ष्मी का निवास कराना चाहिये।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मैं श्री आर० एन० सिंह के संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री एच० एन० मुकर्जी तथा अन्य मित्रों ने भी इसका समर्थन किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने भी पोतस्वामी सन्था को आश्वासन दिये हैं। माननीय मंत्री ने नौवहन समिति सम्बन्धी मेरे सुझाव पर भी ध्यान दिया है।

जर्मनी, इटली और जापान का नौवहन द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल नष्ट हो गया था पर उन्होंने थोड़े ही समय में पूर्व की ही भांति या पूर्व से अधिक विकास कर लिया है। हमारे देश में नौवहन नीति समिति ने ७ वर्षों में २० लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया था पर पांच वर्षों में हम केवल १,५०,००० टन ही बढ़ा सके हैं। मैं मानता हूं कि कठिनाइयां थीं पर जब जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश अपने नौवहन का इतना विकास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।

मैं अन्य बातों को दोहराना नहीं चाहता पर यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड असफल रहा है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अनुसार हमें अगले पांच वर्षों में १,५०,००० टन पुरानी कमी को मिलाकर, ७००,००० टन का निर्माण करना है और इतना निर्माण हम अपने शिपयार्ड में नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हमें जहाजों के टूटने फूटने या घिसने पर बीसवां भाग अर्थात् ७००,००० टन का बीसवां भाग और भी तैयार करना होगा।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अभी और समय लेंगे ?

श्री मात्तन : जी हां, मैं अभी और समय लूंगा।

सभापति महोदय : तो वह अगले दिन अपना भाषण देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १० सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।